

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1976 (आश्विन 3, 1898)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1976 (ASVINA 3, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 अगस्त 1976

सं० पी०/1876 प्रशासन I—महाराष्ट्र सरकार से स्थानान्तरित होने पर भा० प्र० से० की अधिकारी श्रामती रानीजाधव ने 11 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के पद पर कार्यभार संभाल लिया।

अ० ना० कोलहसकर
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक के लिए स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए गए हैं।

उनके कार्य के स्थान और पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख उनके नाम के सामने दी गई है।

नाम	कार्य का स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सर्वश्री		
1. एस० एल० जे० गेलॉट बम्बई		29-7-76 (पूर्वाह्न)
2. एस० एल० हलदर वाराणसी		26-7-76 (अपराह्न)
3. गोकल चन्द जयपुर		19-7-76 (पूर्वाह्न)
4. जी० एस० सूद कलकत्ता		17-7-76 (पूर्वाह्न)
5. सहदेव गुप्ता जालंधर		19-7-76 (पूर्वाह्न)
6. आर० के० एस० निम जालंधर		12-7-76 (पूर्वाह्न)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 1976

सं० 25/4/76—प्रवर्तन निदेशालय के निम्नलिखित सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा अपने-

जे० एन० अरोड़ा
उप-निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 सितम्बर 1976

सं० ओ० 11-31/76-स्थापना—इस महानिदेशालय के सम संख्या अधिसूचना दिनांक 24-7-76 के पैरा 2 को इस प्रकार संशोधित किया जाये :—

श्री त्रिवेदी ने पुलिस महानिरीक्षक सेक्टर-II केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल, कलकत्ता के कार्यालय उप-पुलिस महानिरीक्षक के पद का कार्याभार 7-7-76 (पूर्वाह्न) को संभाल लिया।

दिनांक 2 सितम्बर 1976

सं० ए० छ०-9/76-स्थापना—श्री आर० एन० अग्रवाल कार्यालय अधिक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की पदोन्नति तदर्थ रूप अनु-भाग अधिकारी महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल नई दिल्ली में 31-7-1976 (पूर्वाह्न) से की जाती है।

सं० ओ० दो० 236/69-स्थापना—श्री बूर सिंह, उप-पुलिस अधिक्षक (कम्पनी कमांडर) 36 वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल को 89 दिन की सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी समाप्त होने पर सरकारी सेवा से 5-11-1976 (अपराह्न) से निवृत्त समझा जायेगा।

दिनांक 6 सितम्बर 1976

सं० ओ० II-1040/76-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर चौधरी केशोरोद चन्द्रा दास का तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनको 21-8-76 (पूर्वाह्न) से नियुक्ति करते हैं।

सं० ओ० II-906/73-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सरोज कुमार मोहामातरा 12 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल का त्याग पत्र दिनांक 2-7-76 अपराह्न से स्वीकृत कर लिया।

दिनांक 8 सितम्बर 1976

सं० ओ० II -972/74-स्थापना —राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कैलाश चन्द्रा पाणजा 40 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल का त्याग पत्र दिनांक 17-6-76 पूर्वाह्न से स्वीकृत कर लिया।

सं० ओ० दो० 975/72 स्थापना—श्री नावल सिंह, उप पुलिस अधिक्षक (कम्पनी कमांडर) 22 वां बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल को 89 दिन की सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी समाप्त होने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से 3-8-1976 (अपराह्न) से निवृत्त समझा जाय।

दिनांक 9 सितम्बर 1976

सं० टी० नौ०-9/76-स्थापना—राष्ट्रपति, सूबेदार वासदेव भनोट को उनकी पदोन्नति पर अस्थायी रूप में अल्पकालीन-रिक्ति के स्थान पर अगले आवेश जारी होने तक उप-पुलिस अधिक्षक

(क्वार्टर मास्टर/कम्पनी कमांडर) के पद पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में 29-7-1976 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. वे पहली सिग्नल वाहिनी में तैनात किये जाते हैं तथा उन्होंने अपने पद का कार्यभार उसी तारीख से ग्रहण कर लिया है।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 सितम्बर 1976

सं० 11/10/76-प्रशा०-एक—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० पी०/के० (1)-प्रशा० एक तारीख 28 फरवरी, 1976 के अनुक्रम में राष्ट्रपति, श्री एच० एस० क्वात्रा को पंजाब में जनगणना कार्य के उप निदेशक के पद पर पुनर्नियोजन को तारीख 1 सितम्बर 1976 से छः महीने की और अवधि के लिए सहर्ष बढ़ाते हैं।

सं० 11/10/76-प्रशा०-एक—राष्ट्रपति, श्री जगदीश सिंह सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) को दिल्ली में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तारीख 28 अगस्त 1976 के पूर्वाह्न से तारीख 28 फरवरी, 1977 तक तदर्थ आधार पर उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री जगदीश सिंह का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

बद्री नाथ

भारत के उप महापंजीकार
श्रीर पवेन उप-सचिव।

वित्त मंत्रालय

(अर्थ कार्य विभाग)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड

नासिक, दिनांक 4 सितम्बर 1976

सं० 779/ए०—श्री एस० टी० पवार, निम्नांकित अधिकारी को पदार्थ पत्र मुद्रणालय में (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद) उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर सुधारित वेतन श्रेणी रु-650-30-740-35-810-ई० बी० 35-880 -40-1000-ई० बी० 40-1200 में श्री एस० व्ही० चांदवडकर उप नियंत्रण अधिकारी के छुट्टी में दिनांक 3 सितम्बर 1976 से नियुक्त किया जाता है।

सं० 780/ए०—निम्नांकित नियंत्रण निरीक्षकों की (वर्ग III अराजपत्रित) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय एतद् द्वारा उप नियंत्रक अधिकारियों के रूप में (वर्ग II राजपत्रित पद) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में रु० 650-30-740-35-810-ई० बी० 35-880 40-1000 ई० बी० 40-1200 के सुधारीत वेतन मान में 2 सितम्बर 1976 से नियुक्तियां की गई हैं।

(1) श्री जे० एच० सय्यद

(2) श्री आर० व्यंकटरमन्

ना० रामभूति

ज्येष्ठ उप महाप्रबंधक,
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व
नई दिल्ली-1, दिनांक 26 अगस्त 1976

सं० एडमन-I /5-5/प्रमोशन/76-77/1543—श्रीमान् महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ने श्री के० बी० माथुर इस कार्यालय के स्थाई अनुभागाधिकारी को समय वेतनमान में रु० 840-1200 में दिनांक 24-8-76 (पूर्वाह्न) से लेखाधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

सं० प्रशासन-I/5-5 पदोन्नति/76-77/1531—श्रीमान् महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली इस कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एन० के० नागर को 23/8/76 (पूर्वाह्न) से समय वेतनमान रु० 840-1200 में लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न तौर पर कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

दिनांक 8 सितम्बर 1976

सं० प्रशासन-I /5-5/पदोन्नति/76-77/कार्यालय, आदेश 495/1591—श्री प्रो० पी० त्यागी, इस कार्यालय के लेखा अधिकारी (स्थायी) वार्धक्य निवर्तन आयु 58 वर्ष प्राप्त करने के फलस्वरूप 31-8-76 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

एच० एस० दुग्गल
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, कर्नाटक

बेंगलूर, दिनांक 9 अगस्त 1976

सं० स्थापना 1/ अ4/76-77/391—महालेखाकार का कार्यालय बेंगलूर कर्नाटक का स्थानापन्न लेखा अधिकारी श्री के० एस० बेंकटसुब्बराव को तारीख 1-7-1976 से यही कार्यालय में स्थायी क्षमता के लेखा अधिकारी पद में नियुक्त किया गया है।

डी० एच० वीरथ्या
महालेखाकार

महालेखाकार-कार्यालय पश्चिम-बंगाल

कलकत्ता-1, दिनांक 31 अगस्त 1976

सं० एडमन-I /1038-IV/2712—महालेखाकार पश्चिम बंगाल ने निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को अस्थायी और स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 1-9-76 या वास्तव में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या अगला आदेश जारी होने तक बहाली करने की कृपा की है :—

सर्वश्री

1. ननीगोपाल चक्रवर्ती
2. सुधीर चन्द्र हल्दार
3. स्वदेश रंजन भट्टाचार्य

श्री सुधीर चन्द्र हल्दार महालेखाकार (केन्द्रीय) उप महा लेखाकार (प्र०) से मुक्त हो कर इस कार्यालय [वरिष्ठ उप महा-लेखाकार (प्र०)] में लेखा-अधिकारी के पद पर सूचित करें।

पारस्परिक वरिष्ठता लेखा-अधिकारी के पद पर समग्रानुकूल अंकत की जायेगी।

धनश्याम दास
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्र०)
पश्चिम बंगाल

महालेखाकार का कार्यालय, केरल

तिरुवनतपुरम, दिनांक 2 सितम्बर 1976

सं० एस्ट० ए०/7/9-86/जिल्द-2/132—महालेखाकार केरल, निम्नोक्त स्थायी अनुभाग अधिकारियों (लेखा और लेखा-परीक्षा) को इसी कार्यालय में लेखा अधिकारी के पद में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति उनके नाम के आगे लिखी तारीख से अगले आदेशों तक लागू रहेगी।

1. श्री अब्रहाम तोमस 31-8-76 अपराह्न
2. श्री पी० वी० सेबास्ट्यन 31-8-76 अपराह्न।

आर० एस० अथर
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार वाणिज्य निर्माण

कार्य तथा विविध

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1976

सं० प्रशासन 1/2 (4)/2671-80—महालेखाकार, वाणिज्य निर्माण-कार्य तथा विविध, नई दिल्ली श्री जी० एस० मित्तल, स्थायी अनुभाग अधिकारी को अपने कार्यालय में 11-8-76 (पूर्वाह्न) से लेखा अधिकारी के पद पर, अगले आदेश तक अस्थायी एवं अन्तरिम रूप से पदोन्नति करते हैं।

बी० बी० देव राय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार द्वितीय : मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 7 सितम्बर 1976

सं० प्रशासन-6/न० श० क०/1069—श्री नारायण शंकर राव कापसे, स्थायी लेखा अधिकारी कार्यालय महालेखाकार : द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर अधिवार्षिकी वय प्राप्त होने पर,

दिनांक 31 अगस्त 1976 अपराह्न से, शासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुये।

एम० एम० नरसिंहानी
उप महालेखाकार/प्रणामन

मुख्य लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1976

सं० प्रशासन/17-14/72—अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा के स्थायी सदस्य श्री ग्रोम नारायण कपूर, अनुभाग अधिकारी के आगामी आदेश तक दिनांक 23 जुलाई 1976 पूर्वाह्न से स्थान पत्र तौर पर रेल विद्युत्करण परियोजना इलाहाबाद और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ में लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

के० एस० रंगामूर्ति
मुख्य लेखा परीक्षक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियंत्रक
नई दिल्ली-22, दिनांक 6 सितम्बर 1976

सं० 18360/प्रशा०-II —श्री एम० एल० तायल, रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक के भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1976

सं० 40011 (2)/76-प्रशासन० ए०—वार्धक्य-निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा।

क्र० सं०	नाम, रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेंशन स्थापना की अन्तरण की तारीख	संगठन
सर्वश्री				
1.	एम० परमेश्वरन नायर (पी०/127)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-76	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद।
2.	गौरी शंकर माधुर (पी०/412)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-77	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून, आई० ए० आर० आई० नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर।
3.	के० सी० मणी (पी०/479)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-77	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून, राष्ट्रीय कैंडेट कोर निदेशालय केरल, त्रिवेन्द्रम में प्रतिनियुक्ति पर।
4.	एस० एच० दामले (पी०/494)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना।
5.	भगत राम शर्मा (पी०/632)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-77	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून।
6.	धर्मवीर अवरोल (ओ०/251)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।
7.	के० के० नीलकण्ठ (अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास।

(2) सिविल सेवा विनियमावली जिल्द I के अनुच्छेद 459 (झ) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का नोटिस देने पर, रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास के संगठन में सेवारत श्री टी० एस० वैदीश्वरन, स्थानापन्न लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० ओ०/85) को 28 फरवरी 1977 अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा।

के लिए चयन होने पर, उन्हें 10-7-76 (अपराह्न) से विभाग की नफरी से निकाल दिया गया है।

दिनांक 8 सितम्बर 1976

सं० 18258/प्रशा० II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सी० जी० रामनाथन्, रक्षा लेखा सहायक महा नियंत्रक को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और उनका नाम, 29-2-77 (अपराह्न) से विभाग की नफरी से निकाल दिया जाएगा।

(2) श्री सी० जी० रामनाथन् को सेवा निवृत्ति पूर्व 1-11-76 से 28-2-77 तक की छुट्टी मंजूर दी गयी है।

(3) शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र सं० 33 दिनांक 14-8-76 भाग-III, खण्ड-I पृष्ठ, 7001/में प्रकाशित, इस कार्यालय की, श्री सी० जी० रामनाथन्, रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक संबन्धी, दिनांक 13-7-76 की समसंख्यक अधिसूचना, एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

सं० 18225/प्रशा०-II —58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस० पी० खन्ना, रक्षा लेखा सहायक महा नियंत्रक को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और उनका नाम, 31-3-77 (अपराह्न) से, विभाग की नफरी से निकाल दिया जायेगा।

पी० के० रामानुजम
रक्षा लेखा अवर महा नियंत्रक (प्रशा०)

श्री टी० एस० बैटीश्वरन को, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के नियम 39(6) के अन्तर्गत, स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद 1-3-77 से 11-4-77 तक 42 दिन की अर्जित छुट्टी तथा 12-4-77 से 30-7-77 तक 110 दिन की अर्धवेतन छुट्टी मंजूर की गई है।

(3) निम्नलिखित को इस विभाग की अधिसूचना सं० 40011 (2)/75-प्रशा० ए० दिनांक 2-6-76 के पैरा (2) में उप पैरा के रूप में जोड़ा जाता है।

श्री पी० एन० श्रीनिवासन को, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के नियम 39(6) के अन्तर्गत, स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद 10-5-76 से 26-5-76 तक 17 दिन की अर्जित छुट्टी तथा 27-5-76 से 9-9-76 तक 106 दिन की अर्धवेतन छुट्टी मंजूर की गई है।

एस० बी० सुब्रह्मण्यन,
रक्षा लेखा उप महा नियन्त्रक।

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डेनैन्स फैक्टरियां सेवा

महानिदेशालय आर्डेनैन्स फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 2 सितम्बर 1976

सं० 66/76/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर, निम्नलिखित अधिकारीगण प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीखों से सेवा निवृत्त हुए :—

1. श्री एस० सी० सेनगुप्ता, 31 जुलाई, 76 (अपराह्न)
स्थानापन्न ओ० एस०,
(स्थायी ए० एस० ओ०)
2. श्री डी० पी० श्रीवास्तवा, 31 जुलाई 1976 (अपराह्न)
स्थायी ओ० एस०

दिनांक 6 सितम्बर 1976

सं० 67/76/जी०—सेवा निवृत्ति-पूर्व अवकाश की समाप्ति पर, श्री के० एम० जी० नायर, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन), 30 जून, 1976 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 68/76/जी०—सेवा निवृत्ति-पूर्व अवकाश की समाप्ति पर श्री लुकमरेईज, मौलिक एवं स्थायी प्रबन्धक, दिनांक 30 अप्रैल, 1976 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 69/76/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर, श्री ए० आर० ईरानी, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन) दिनांक 31 मई, 1976 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

एम० पी० आर० पिल्लाय,
सहायक महानिदेशक, आर्डेनैन्स फैक्टरियां

श्रम मंत्रालय

खान सुरक्षा महानिदेशालय

धनबाद, दिनांक 3 सितम्बर 1976

सं० 2 ए(2) 76 प्रशासन 1/18926—श्री जय प्रकाश कश्यप को खान सुरक्षा महानिदेशालय में सहायक निदेशक के

पद पर परिकीक्षाधीन रूप से 16 जून 1976 के पूर्वार्ह से दो वर्षों के लिए नियुक्त किया गया।

श्याम शिव प्रसाद,
खान सुरक्षा महानिदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1976

आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण

स्थापना

सं० 6/755/65-प्रशा० (राज०)/5663—संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में श्री बी० एन० रामस्वाम्, नियंत्रक, आयात-निर्यात जो सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, बम्बई में प्रतिनियुक्त पर थे, उनका दिनांक 13-7-1976 को निधन हो गया है।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 1976

सं० प्र० 1/1(886) —स्थायी गोदी निरीक्षक तथा पूर्ति तथा निपटान निदेशक, बम्बई के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री एन० एल० परमेश्वरम् दिनांक 31-7-1976 के अपराह्न से एफ-आर० 56 (के०) के अधीन सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० प्र० 1/1(1054) —महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान एतद्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में अवर प्रगति अधिकारी श्री देवराज को दिनांक 6 अगस्त 1976 के पूर्वार्ह से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय,

नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

2. श्री देवराज की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के निर्णय के अधीन होगी ।

दिनांक 6 सितम्बर 1976

सं० प्र० 1/1 (485)—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री सी० ए० वैकटेश्वरन को 13 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से इसी महानिदेशालय में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

श्री वैकटेश्वरन दिनांक 13-8-1976 से 12-8-77 तक एक वर्ष के लिए परिबीक्षाधीन होंगे ।

के० एल० कोहली,
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1976

सं० प्र० 6/57(8)—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा निम्नलिखित सहायक निरीक्षण अधिकारियों (धातु) को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख से सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु) के स्थायी पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	वर्तमान पद	स्थायी पद जिस पर स्थायी है रूप से नियुक्त है	स्थायी नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
सर्वश्री :				
1.	सी० पी० सिन्हा	सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु)	सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु)	12-8-1965
2.	एस० के० नाग	—वही—	—वही—	1-4-1969
3.	पी० के० पालिट	—वही—	—वही—	23-12-1969
4.	एस० सेनगुप्त	—वही—	—वही—	"
5.	एम० एम० बगची	—वही—	—वही—	"
6.	ए० के० मजूमदार	—वही—	—वही—	"
7.	एस० के० मजूमदार	—वही—	—वही—	"
8.	डी० के० पत्रे	—वही—	—वही—	"
9.	के० एस० के० रामन	—वही—	—वही—	"
10.	वी० श्रीनिवासुन्दु	—वही—	—वही—	"
11.	पी० के० गुहा	—वही—	—वही—	"
12.	ए० के० चटर्जी	—वही—	—वही—	"
13.	आर० एन० पुरी	—वही—	—वही—	"
14.	सी० एस० भर्ज	—वही—	—वही—	"
15.	एस० एस० शर्मा	—वही—	—वही—	"
16.	के० पी० पिल्ले	—वही—	—वही—	"

पूर्ति विभाग

(प्रशासन शाखा-6)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1976

सं० प्र० 6/247 (58)/57-II—भारतीय निरीक्षण सेवा (इन्जीनियरी शाखा) ग्रुप ए के ग्रेड-II से सेवा के ग्रेड-III में पदावसति होने पर श्री एम० सी० ऐच ने दिनांक 11-6-76 के पूर्वाह्न से कलकत्ता निरीक्षण मंडल में निरीक्षण उप निदेशक (इंजी०) का पदभार छोड़ दिया और निरीक्षण अधिकारी (इन्जी०) का पदभार सम्भाल लिया ।

दिनांक 2 सितम्बर 1976

सं० प्र० 6/247 (414)—स्थायी भंडार परीक्षक (इंजीनियरी) और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी श्री एम० आर० अलवी जो भारत पूर्ति मिशन, लंदन में तकनीकी अधिकारी ग्रेड-III के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे, को सरकारी सेवा से हटा दिया गया है ।

सूर्य प्रकाश,
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

1	2	3	4	5
17. एम० एम० सरकार	.	सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु)	सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु)	23-12-1969
18. पी० चटर्जी	.	—वही—	—वही—	"
19. बी० के० दास	.	—वही—	—वही—	15-7-1971
20. ए० एस० राणा	.	—वही—	—वही—	"
21. सी० के० एस० एन० राजू	.	—वही—	—वही—	"
22. बी० राघवेंद्रम	.	—वही—	—वही—	"
23. आर० एस० दूवे	.	सहायक निदेशक निरीक्षण (धातु सहायक	निदेशक (निरीक्षण) (धातु)	17-1-1974
24. एस० डी० एस० रावत	.	—वही—	—वही—	29-1-1974
25. बी० एम० खुराना	.	—वही—	—वही—	1-11-1974

सूर्य प्रकाश
उप निदेशक (प्रशासन)
होते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 सितम्बर 1976

का० आ० सं० एडमन (सी० डी० एन०) 35—मुख्य लेखा नियंत्रक (पूर्ति विभाग), नई दिल्ली के स्थायी लेखा अधिकारी श्री इन्द्रजीत चावला (आई० जे० चावला) सेवा निवृत्तन की आयु पर पहुंचने पर दिनांक 31 अगस्त, 1976 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

पी० पी० गंगाधरन,
मुख्य लेखा नियंत्रक

1200 रु० के संशोधित वेतनमान ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) में 92/-रु० की कटौती करते हुए 650/-रु० प्रतिमाह पर सहायक मुख्य नक्काश के पद पर नक्काश अनुभाग पूर्वी सर्किल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता में दिनांक 13-4-1976 (पूर्वाह्न) से दिनांक 12-7-1976 (अपराह्न) तक 3 माह की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जाता है।

के० एल० खोसला,
मेजर जनरल,
भारत के महासर्वेक्षक

लोहा और इस्पात मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

लोहा और इस्पात नियंत्रण

कलकत्ता-20, दिनांक सितम्बर 1976

सं० ई० आई० 2 (2)/71—श्री सुनील कुमार राय के छुट्टी ग्रहण के कारण श्री सुधीर कुमार चन्द्र, अधीक्षक को एतद्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 1976 से उप सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक के पद पर स्थानापन्न नियुक्ति दी जा रही है।

टी० घोष,
लोहा और इस्पात नियंत्रक

भारतीय प्राणि विज्ञान-सर्वेक्षण विभाग

कलकत्ता, दिनांक 4 सितम्बर 1976

सं० एफ० 70-2/74 स्थापना/16312—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्रीमती मनिका गुहा, वरिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक जो भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के अंतर्गत तदर्थ आधार पर सहायक प्राणि विज्ञानी के पद पर कार्य कर रही हैं। उन्हें इसी विभाग में स्थाई आधार पर 650 रु० से 1200 रु० के वेतनमान में 12 अगस्त, 1976 से सहायक प्राणि विज्ञानी के पद पर कार्य करने के लिए आगामी आदेशों तक नियुक्ति किया जा रहा है।

डा० सं० खेरा,
संयुक्त निदेशक प्रभारी,
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 1 सितम्बर 1976

सं० गो० 5132/579-ए—श्री राधे श्याम शर्मा, स्थानापन्न स्थापना एवं लेखा अधिकारी, महासर्वेक्षक का कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (ग्रुप 'बी' सेवा) की नियुक्ति की दिनांक 1 दिसम्बर 1975 से पृष्ठ की जाती है।

दिनांक 2 सितम्बर 1976

सं० स्था० 1/5132/825-अधिकारी—श्री परिमल दास गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक मुख्य नक्काश पूर्वी सर्किल, को 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 1976

सं० 10/15/78-एस० तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा श्री वाई० जोनसन को वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के पद

से सहायक इंजीनियरी के पद पर पदोन्नति करते हैं और 2-8-1976 (पूर्वाह्न) से आकाशवाणी, मंगलौर में स्थानापन्न अवस्था में नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह,
प्रशासन उप-निदेशक,
कृते महानिदेशक

पर भेजे गये हैं, आकाशवाणी महानिदेशालय में 24-8-1976 से 31-12-1976 तक रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर प्रतिनियुक्त करते हैं।

एस० बी० शोषाद्री
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 1976

सं० 6 (88)/63-एस० एक—महानिदेशक आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री ए० सी० मजुमदार, प्रसारण निष्पादक, दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता को 5 अगस्त, 1976 से अग्रेतर आदेशों तक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कटक में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी अवस्था में नियुक्त करते हैं।

सं० 5 (35)/67-एस० एक—महानिदेशक आकाशवाणी एतद्द्वारा श्री ए० एन० चट्टोपाध्याय, प्रसारण निष्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता को 12 जुलाई, 1976 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी कलकत्ता में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी अवस्था में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 2 सितम्बर 1976

सं० 5/31/67-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० के० मित्रा, प्रसारण निष्पादक, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली को 17 अगस्त, 1976 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, नई दिल्ली में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रेम कुमार सिन्हा,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 1976

सं० 2/4/68 एस० दो—इस महानिदेशालय की अधिसूचना सं० 2/4/68 एस० दो दिनांक 22-5-76 के प्रतिस्थापन में श्री एम० डी० द्विवेदी, प्रशासनिक अधिकारी (तदर्थ) समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली को सेवा-निवृत्ति की उम्र के बाद एक वर्ष की 1-4-76 से 31-3-77 तक नौकरी की अवधि में वृद्धि प्रदान की जाती है।

सं० ए० 12026/2/76 एस० पांच—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री पी० एल० शर्मा, वरिष्ठ निरीक्षक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय, नई दिल्ली को, श्री एन० पी० वारिया, सांख्यिकी अधिकारी के स्थान पर, जो कोयला विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रतिनियुक्ति

कार्यालय आयकर आयुक्त,

आयकर विभाग

लखनऊ, दिनांक 4 सितम्बर 1976

सं० 168—श्री आर० एन० गुप्ता, निरीक्षक कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) वाराणसी को द्वितीय श्रेणी आयकर अधिकारी (ग्रुप-बी) के रूप में आफिशियेट करने के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत होने पर उन्होंने तारीख 15-6-1976 को पूर्वाह्न में आयकर अधिकारी जो बार्ड सर्किल-1, वाराणसी के रूप में कार्यभार संभाला।

सं० 169—श्री बी० एन० सिंह, निरीक्षक, आयकर कार्यालय सर्किल लखनऊ को द्वितीय श्रेणी आयकर अधिकारी, (ग्रुप बी०) के रूप में आफिशियेट करने के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत होने पर उन्होंने तारीख 14-6-76 को पूर्वाह्न में आयकर अधिकारी (मुख्यालय) तकनीकी, अनुभाग, कार्यालय आयकर आयुक्त लखनऊ के रूप में कार्यभार संभाला।

सं० 170—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, निरीक्षक, कार्यालय कर वसूली अधिकारी वरेली को द्वितीय श्रेणी आयकर अधिकारी (ग्रुप बी०) के रूप में आफिशियेट करने के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत होने पर उन्होंने तारीख 15-6-1976 को पूर्वाह्न में आयकर अधिकारी एफ० बार्ड मुरादाबाद के रूप में कार्यभार संभाला।

सं० 171—श्री जगराम कनौजिय, निरीक्षक, लेखा परीक्षादल, कार्यालय निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त (आडिट लखनऊ को द्वितीय श्रेणी आयकर अधिकारी (ग्रुप बी०) के रूप में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत होने पर उन्होंने तारीख 10-6-1976 को पूर्वाह्न में जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय आयकर आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला।

एस० के० लाल,
आयकर आयुक्त, लखनऊ

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 27 अगस्त 1976

निदेश सं० 69-बी०/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 195/28/1 है तथा जो गोलागंज, जगतनारायन रोड लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की भावत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

2—256 GI/76

1. श्री सफदर अली खां (अन्तरक)
2. बशीरुद्दीन (अन्तरिती)
3. अन्तरक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 195/28/1 स्थित मोहल्ला गोलागंज, जगत नारायन रोड, लखनऊ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 27-8-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 27 अगस्त 1976

निदेश सं० 130-एस०/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह
बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट नं० 222/वाई है तथा जो कि मौजा नगवा परगना देहात अमानत वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन्त-
रण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शिव कुमारी देवी एवं अन्य (अन्तरक)
2. श्रीमती सुभाषिनी देवी (अन्तरिती)
3. विप्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लॉट नं० 222/वाई नाप 1.46 डेक्स० जो कि मौजा नगवा परगना, देहात अमानत तह० एवं जिला वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 27-8-1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 1976

निदेश सं० 37-जे०/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० खसरा नं० 732/2 इत्यादि है तथा जो कि मौजा सिरौली तुला परगना रुद्रपुर तह० किच्छा जिला नैनीताल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हल्द्वानी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त, अधिनियम, की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री महेन्द्र सिंह एवं अन्य (अन्तरक)
2. श्री जसबीर सिंह (अन्तरिती)
3. क्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।
4. व्यक्तिगत (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में जिये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक जमीन जिसका खसरा नम्बर 732/2 इत्यादि नाप 14/6/10 बीघा जो कि मौजा सिरौली तुला तह० किच्छा परगना रुद्रपुर जिला नैनीताल में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 28-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 1976

निदेश सं० 58-के०/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 563/18 है तथा जो कि चित्रगुप्त नगर लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री स्वामी स्वरूपानन्द सगुण (अन्तरक)
2. श्रीमती कमला देवी त्रिवेदी (अन्तरिती)
3. विज्रैता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नं० 563/18 जो कि चित्रगुप्त नगर लखनऊ में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 28-8-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 1976

निदेश सं० 68-ए०/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० खसरा नं० 732/2 इत्यादि है तथा जो कि मौजा सिरौली तुला तहसील किच्छा जिला नैनीताल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हल्द्वानी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महेन्द्र सिंह एवं अन्य (अन्तरक)
2. श्री अजीत सिंह (अन्तरिती)
3. क्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।
4. व्यक्तिगत (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक जमीन नं० 732/2, इत्यादि नाप 14/6/10 बीघा जो कि मौजा सिरौली तुला तहसील किच्छा जिला नैनीताल में स्थित है ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 28-8-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (अन्तरक)
2. श्री आदित्य कुमार डालमिया (अन्तरिती)
3. विक्रेता (बहु व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 1976

निर्देश सं० 69-ए/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है, और जिसकी सं०

बन्दोबस्ती नं० 791 नाप 5375 वर्ग फीट है तथा जो कि मौजा सरायनन्दन पर० देहात अमानत जि० वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका बन्दोबस्ती नम्बर 791 नाप 5375 वर्ग गज जो कि मौजा सरायनन्दन, परगना देहात अमानत जिला वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 28-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

1. श्रीमती बबुई देवी एवं अन्य । (अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 1976

निर्देश सं० 85-एम०/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 268-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 123 है तथा जो कि मौजा रामापुरा, परगना देहात अमानत वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-1-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अन्तर्गण में, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

2. श्री मुरलीमल एवं अन्य । (अन्तरिती)

3. विनेता (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशेष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लॉट नं० 123 नाप 4895 वर्ग गज जो कि मौजा रामापुरा परगना देहात अमानत जिला वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख 28-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 1976

निदेश सं० 84-एम/अर्जन—अतः मूझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी संख्या बन्दोवस्ती नं० 791 तथा 792 5500 59 व० ग० है तथा जो कि मौजा सरयू नन्दन पर० देहात अमानत जि० वाराणसी में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता । (अन्तरक)

2. श्रीमती मंजू देबी डालमिया । (अन्तरिती)

3. विक्रेता । [वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है]

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जिसका बन्दोवस्ती नम्बर 791 तथा 792 नाप 5,500 वर्ग गज जो कि मौजा सरयू नन्दन, परगना देहात अमानत जिला वाराणसी में स्थित है ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 28-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 1976

निर्देश सं० 131-एस/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या सी० के० 63/68 ए० है तथा जो छोटी प्यिरी, वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-1-1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

3—256GI/76

1. श्रीमती साबित्री देवी व अन्य (अन्तरक)
2. श्री श्याम जी सिंह (अन्तरिती)
3. अन्तरक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ [होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान न० सी० के० 63/68 ए० स्थित मोहल्ला छोटी प्यिरी, वाराणसी शहर।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 28-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 23 अगस्त 1976

निदेश सं० 250 (एकु० रे०-III/76-77/कल०/544—

अतः मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 180/19 है तथा जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस
रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
आलिपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख 20-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती इन्दु भाटाल 140/19, नेताजी सुभाष चन्द्र
बोस रोड कलकत्ता-40 अर्धूना : 178, अलिपि बाग, इलाहाबाद ।
(अन्तरक)

2. (1) श्री निरोद बरन बनार्जी (2) सदर हसपिटाल रोड,
हाजारी-बाग बिहार । (अन्तरिती)

4. रतन भाटाल, रनजित भाटाल, पार्वती भाटाल, 140/
19 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-40 (वह व्यक्ति,
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में
हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामोल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है ।

अनुसूची

करीब 12 कट्टा 15 छटाक 11 स्को० फुट जमीन साथ
उस पर बनाया दो तल्ला मकान बहिर्घर, गेराज, कम्पाउन्ड वाल
इत्यादि का अविभक्त 1/4 अंश जो 140/19 नेताजी सुभाष चन्द्र
बोस रोड, कल० पर अवस्थित और जो दलिल सं० I-293/1976
का अनुसार है ।

एल० के० बालसुब्रमनियन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 23 अगस्त 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 23 अगस्त 1976

निर्देश सं० 251 /एकूरे-III/ 76-77/ कल०/538:—

अतः मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० 140/19 है, तथा जो नेता जी सुभाष
चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनू-
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, आलिपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 16-1-76 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमानप्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/ या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में,
में, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पार्वती भाटाल, 140/19 नेता जी सुभाष
चन्द्र बोस रोड कल० 40 अघूना-178 आलिपि
बाग, इलाहाबाद ।
(अन्तरक)

(2) श्री निरोद बरन बनर्जी, 2 सदर अस्पताल रोड,
हजारी बाग, बिहार ।
(अन्तरिती)

(4) श्री रतन भाटाल, रनजीत भाटाल, इन्दु भाटाल,
140/19 नेता जी सुभाष चन्द्र बोस रोड, कल०-40 ।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता
है वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिये कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

करीब 12 कट्टा 15 छटाक 11 स्को० फुट जमिन
साथ उसपर बनाया दोतला मकान, बर्हिधर, गेराज, कम्पाउंड
वाल इत्यादि का अधिभक्त 1/4 अण जो 140/19 नेता जी सुभाष
चन्द्र बोस रोड, कल० पर अवस्थित और जो दलिल सं० 212/
1976 का अनुसार है ।

एल० के० बालसुब्रमनियन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 23-8-1976

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, ककलता

ककलता, दिनांक 23 अगस्त 1976

निदेश सं० 252/एकूरे- /76-77/कल०/541:— अतः
मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन्,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 140/19 है तथा जो नेता जी सुभाष चन्द्र
बोस रोड, ककलता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
आलिपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख 16-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/
या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रतन भाटल 140/19 नेता जी सुभाष चन्द्र बोस
रोड कल०-40 अधुना-178, आलिपबाग, इलाहाबाद।
(अन्तरक)

(2) निरोद बरन बनर्जी, 2 सदर अस्पताल रोड हजारीबाग
बिहार।
(अन्तरिती)

(4) कुमारी रनजित भाटल, हन्दुभाटल, पार्वती भाटल,
140/19, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, कल०
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

करीब 12 कट्टा 15 छटांक 11 स्के० फुट जमीन साथ पर
बनाया दोतल्ला मकान, बहिधर, गेराज कम्पाउंड वाल इत्यादि का
अविवक्षित 1/4 अंश जो 140/19 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड
कल० पर अवस्थित और जो दलिल सं० 211/1976 का अनुसार
है।

एल० के० बालसुब्रमनियन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III,
54 रफी अहमद किदवाई रोड, ककलता-16

तारीख : 23-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज - कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 23 अगस्त 1976

निदेश सं० 253/एकुरे-III/75-76/कल०/535---यतः
मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन्
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए
से अधिक है

और जिसकी सं० 140/19 है तथा जो नेता जी सुभाष चन्द्र
बोस रोड, कल० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
आलिपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख 16-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में,
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री रनजित भाटल, 140/19 नेताजी सुभाष चन्द्र
बोस रोड, कल०-40 अधुना-178, आलिपिबाग,
एलाहाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री निरोद बरन बनार्जी 2 सदर हास्पिटल रोड,
हजारी बाग, बिहार।

(अन्तरिती)

(4) रतन भाटल, इन्दु भाटल और पार्वती भाटल, 140/19
नेता जी सुभाष चन्द्र बोस रोड, कल०-40
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

करीब 12 कठ्ठा 15 छटांक 11 स्के० फुट जमिन साथ उस पर
बनाया दोतल्ला मकान, बहिघर गेराज कम्पाउंड वाल इत्यादि का
अभिभक्त 1/4 अंश जो 140/19, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड,
कल० पर अवस्थित और जो दलिल सं० 210/1976 का अनुसार
है।

एल० के० बालसुब्रमनियन्

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III,

54 रफी अहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 23-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 30 अगस्त 1976

निदेश सं० 354/एकुरेIII/76-77/कल०:—यतः मुझे,
एल० के० बालसुब्रमनियन्

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा, 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 54 है, तथा जो ढाकुरिया स्टेशन रोड, कल० स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आलिपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-1-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सैलेन्द्र नाथ दे 36 ए०, सियन रोड, बोम्बे-22 (अन्तरक)

(2) श्रीमती चैताली साहा, 79 कांकुलिया रोड, कलकत्ता (अन्तरिती)

(3) सर्वश्री क० ल० चटार्जी, ए० सेनगुप्त, प० चौधुरी और श्रीमति र० धर (वह व्यक्ति, अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

करीब 3 कठ्ठा जमीन साथ उस पर बनाया तिनपल्ला मकान जो सं० 54, ढाकुरिया स्टेशन रोड, कलकत्ता-31 पर अबस्थित और जो सब-रजिस्ट्रार, आलिपुर सदर द्वारा रजिस्ट्रीकृत बलिल सं० 553/1976 का अनुसार है।

एल० के० बालसुब्रमनियन्

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III; 54, रफी अहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 30-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) श्रीमती बिसमिल्ला बेगम, पति, मोहम्मद नजीर
(अन्तरक)शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना(2) (1) श्री सतीश कुमार अनेजा (2) श्री बिनय कुमार
घोष, (3) श्री अब्दुल हमीद
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 5 कलकत्ता,

कलकत्ता, दिनांक 30 अगस्त, 1976

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निदेश सं० ए० सी० 26/अ० रे०-5/कल० /76-77:—

अतः मुझे, एस० एस० ईमानदार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के
अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए
से अधिक है(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;और जिसकी सं० प्लॉट 8104 है तथा जो बार्ड नं० IV सिली-
गुडी, जिला दार्जिलिंग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
सिलीगुडी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन तारीख 17-1-1976(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है :—स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परि-
भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में
दिया गया है।(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

अनुसूची

भूमि का क्षेत्रफल 0.690 एकड़ अर्थात् 41.4 कट्टाह है
जो प्लॉट नं० 8104 बार्ड नं० IV सिलीगुडी में स्थित है, दलील
सं० 296 ता० 17-1-1976(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;एस० एस० ईमानदार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज-5, कलकत्ता

54, रफीअहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में,
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—तारीख : 30-8-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ
 (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 12 मई, 1976

सं० आर० ए० सी० 78/76-77 :—यतः मुझे, एस० वी०
 सुब्बाराव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
 पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन
 सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
 संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नागरजुना सनीमा नं० 5-7 मीयोलगुडा
 है, जो मीयोलगुडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
 में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
 मीयोलगुडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
 के अधीन, तारीख 22-4-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
 करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
 उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
 (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
 प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
 रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम,
 के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
 करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
 को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
 अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
 अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
 जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 घ के अनुसरण
 में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1)
 के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री करनाली रतनया पिता बुजी रामय्या घर नं०
 17-26, मीयोलगुडा/ नलगोनडा/ जिला
 (अन्तरक)

(2) 1. उत्तकुरु सत्यानारायण रेड्डी घर नं० 20-20
 मीयोलगुडा
 2. टी० मटारेड्डी सुबारेड्डी के पास मीयोलगुडा
 3. बंरेड्डी जिन्ना सयीरेड्डी निवासी नारामागुडा
 पोस्ट मीरयालगुडा
 4. वी० मन्नादारेड्डी निवासी दीलापूर
 5. वी० सीमीरेड्डी निवासी मुत्यालम्मागुटां दिरसीन
 जेरला पोस्ट मीयोलगुडा नलगोनडा जिला
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
 कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
 तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
 समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
 किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
 अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित
 है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
 गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नागरजुना टाकीस नं० 5-7 विस्तेन 1440 बरी
 याडं प्रोजेक्टर के साथ और फरनीचर बगैरा मीयोलगुडा जिला

एस० वी० सुब्बाराव
 सक्षम प्राधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 12-5-1976

मोहुर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 23 अगस्त 1976

सं० आर० ए० सी० 148/76-77—यतः मुझे, के० एम०
वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिनकी सं० 19/307 है, जो कृष्णमंदिर स्ट्रीट नेल्लोर
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नेल्लोर में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
20-2-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

4-256 GI/76

(1) श्री डी० वेंकटरामी रेड्डी, जी० पी० ए० एस० श्रीनिवा-
सलु रेड्डी, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री तुलसी सुब्बारायडु, पिता का नाम सुब्बारायडु,
निवासी—कृष्णमन्दिर स्ट्रीट, नेल्लोर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति : पंजीकरण कार्यालय, नेल्लोर में पंजीकृत दस्तावेज
सं० 1976 का 303; कृष्णमन्दिर स्ट्रीट, नेल्लोर स्थित वार्ड
सं० 19, दरवाजा सं० 307 ।

के० एम० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 23-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 22 जुलाई 1976

निदेश सं० 4/जन०/75-76 :—यतः, मुझे, जी० राम-
नाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० 1010/2 बी है, जो पोन्नगरम रोड
पलनि में स्थित है (और इसमें उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पत्र (पत्र सं०
15/1976) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वजह, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती राजरत्नमाल

(अन्तरक)

(2) श्री जी० वेंकटाचलम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पलनि, पोन्नगरम रोड, वार्ड 16, टी० एस० सं० 1010/2
बी में 111551/2 स्क्वियर फीट की भूमि (मकान के साथ) ।

जी० रामनाथन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 22-7-76

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्रीमती कानिष्कै मणि

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अगम्माल

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 सितम्बर 1976

निदेश सं० 40/जन०/75-76 :—यतः, मुझे, जी० रामा-
नाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है, जो कसतूरिपट्टी और
संकरिदुरग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, संकरि-
दुरग (पत्र 42/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

कसतूरिपट्टी गांव सखे सं० 6/1 और 6/2 में 0.24-10/22
एकड़ और संकरिदुरग गांव एस० सं० 172/1 (0.35-13/22),
172/2 (0.34-10/22), 172/4 (0.18-10/22), 172/
5 (0.05-21/22), 216/1 (0.568/22), 216/2
(0.37-16/22), 216/4 (0.14-14/22) की भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 3-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 सितम्बर 1976

निदेश सं० 41/जन० /75-76 :—अतः, मुझे,

जी० रामनाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूप से अधिक है

और जिसकी सं० है, जो कस्तूरिपट्टी और संकरिदुरग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, संकरिदुरग (पत्र सं० 43/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कानिकके मणि

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुलोचना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कस्तूरिपट्टी गांव सर्वे सं० 6/1 और 6/2 में 0.24¹⁰₂₂ एकड़, और संकरिदुरग गांव सर्वे सं० 172/1 (0.35-13/22), 172/2 (0.34-10/22), 172/4 (0.18-10/22), 172/5 (0.05-21/22), 216/1 (0.56-8/22), 216/2 (0.37-16/22), 216/4 (0.14-14/22), की भूमि ।

जी० रामनाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 3-9-1976

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

निदेश सं० 52/जन०/75-76 :—अतः मुझे, जी०
रामानाथन
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 93 है, जो अबनियापुरम
में स्थित (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै (पत्र सं० 159/76) में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
जनवरी, 1976 को
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय के बावजूद उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री के० एम० मटराजन और आदि
(अन्तरक)
- (2) श्री बी० वी० कोतारी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, अबनियापुरम गांव आर० एस० सं० 93 में 87 सेन्ट
और 295 स्क्वियर फीट की खाली भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 4-9-1976

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) श्री के० एस० नटराजन और आदि

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

(2) श्री वी० विनोदकुमार

(अन्तरिती)

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

निदेश सं० 53/जन०/75-76 :—यतः, मुझे, जी०

रामानाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका, उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 93 है, जो अबनियापुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै (पत्र सं० 158/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, अबनियापुरम गांव आर० एस० सं० 93 में 63 सेन्ट और 210 स्क्वियर फीट की खाली भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 4-9-1976]

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) श्री के० एस० नटराजन और आदि

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री जे० वी० कोतारी

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

निर्देश सं० 57/एफ०ई०बी०/75-76—अतः, मुझे, जी० रामानाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर, सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० सं० 93 है, जो अबनियापुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै (पत्र सं० 210/1976) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269घ के अनुसूची में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, अबनियापुरम गांव आर० एस० सं० 93 में 85 सेन्ट और 129 स्क्वेयर फीट की खाली भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 4-9-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

निदेश सं० 86/एफ०ई०वी०/75-76—अतः मुझे, जी०
रामानाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० आर० एस० सं० 93 है, जो अवनियापुरम में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै (पत्र सं० 209/76)
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन 16 फरवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने
में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री के० एस० नटराजन और आदि

(अन्तरक)

(2) श्री वी० विनोदकुमार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, अवनियापुरम गांव आर० एस० सं० 93 में 81 सेन्ट
और 388 स्क्वेयर फीट की खाली भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 4-9-76

सोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री एस० मोहम्मद नैनार

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 ष (1) के अधीन सूचना

(2) श्री एच० मोहम्मद अब्दुल कादर

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976]

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिये कार्यवाहियां करता हूं।

निदेश सं० 60/जनवरी/75-76—अतः मुझे, जी० रामा-
नाथन,

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी
सं० उन्नमपालयम है, जो में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
उन्नमपालयम (पत्र सं० 63/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन 17-1-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्य-
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्य-
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
5-256GI/76

अनुसूची

मदुरै गांव, उन्नमपालयम गांव एस० सं० 2181/1, 2204,
2203, 2201, 2202, 2173/3 और 2202/2 में 11 एकड़
और 14½ सेन्ट की भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक 4-9-76

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन० एस०—

(1) श्री वी० आर० भक्तवतसलम वी० आर० सुन्दरसनम
(अन्तरक)आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

निदेश सं० 30/एफ०ई०बी०/75-76—अतः मुझे जी०
रामनाथन,आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक हैऔर जिसकी सं० 101/2 है, जो कोमारपालयम में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, कोमारपालयम (पत्र सं० 122/76)
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन 16 फरवरी, 1976को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तयपाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;अतः अथ उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—(2) श्री ती० अर्दनारिसामी चेट्टियार और आदि ।
(अन्तरिती)को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिला, कोमारपालयम नारायण नगर ग्राउन्ड सं० 69
(3197 स्क्वेयर फीट), 70 (3220 स्क्वेयर फीट) 83 (3197
स्क्वेयर फीट) और 84 (3174 स्क्वेयर फीट) में 12,788
स्क्वेयर फीट की खाली भूमि।जी० रामनाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक 4-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकिनाडा, दिनांक 22 जुलाई 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 349—अतः मुझे बी० वी० सुब्बाराव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 21/103B2 41-4-3 है, जो राममन्त्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्त्री में भारतीय रजिस्ट्र-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 11-2-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, तय पाया गया निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

- (1) श्री मनचिम सेट्टी वीर वेंकटराव
 - (2) श्री मनचिम सेट्टी रमण वेंकटा
 - (3) श्री एम० वीराजु
 - (4) महाकमीराव राजमन्त्री (अन्तरक)
2. श्री वेंकटारमणा अल्युमिनियम कंपनी
- (1) प्रबन्ध भागीदार श्री मुच्चो सत्यनारायणसे अभिवेदन, राजमन्त्री
 - (2) लवुडु रामुनायुडु राजमन्त्री
 - (3) कडियाला रामाराव राजमन्त्री
 - (4) कडियाला ताताराव राजमन्त्री (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राजमन्त्री रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 11-2-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 405/76 निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बी० वी० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

दिनांक : 22-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 7 अगस्त 1976

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 353—अतः मुझे बि० वि० सुब्बाराव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर ए० नं० 294 है, जो कातेरू गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्डी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-2-76 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रिजिया बेगम पत्नी श्री महमद गौस साहेब सेषाधिमेट्टा, राजमन्डी ।

(अन्तरक)

2. श्री गारपाटी सूर्यराव प० वेकन्ना कातेरू राजमुन्डी ताल्लुक ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहां अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

राजमन्डी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 29-2-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 518/76 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक : 7-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

1. इल्लिनडू रंगनायकुलु, पुटुपती

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

2. कामिनेनि परन्धामथ्थ श्रीमन्नाहब पालेम ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 अगस्त 1976

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 354—अतः मुझे बि० वि० सुब्बाराव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 11-13-74 समिरेड्डी पेट है, जो नरसाराव पेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नरसाराव पेट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

नरसारावपेट रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 31-1-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 135/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बी० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा ।

अतः अब; उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक : 9-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस्०—

- (1) (i) श्री नूने महेश्वरराव
(ii) श्री नूने ऐमनागराज कुमार, गुन्टूर।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 अगस्त 1976

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 355—अतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 5/बी है, जो नल्लपाडू ग्राम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुन्टूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बावत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (2) मैसर्स बोम्मिडाला ब्रदर्स लिमिटेड
मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बोम्मिडाला भानुमूर्ती गुन्टूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-1-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 90/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक : 9-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 अगस्त 1976

- (1) (i) श्री नूने महेस्वराय
(ii) नूने ऐमनागराज कुमार गुन्दूर ।

(अन्तरक)

- (2) बोम्मिडाला श्री कृष्णमूर्ती, गुन्दूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुन्दूर रजिस्ट्री अधिकारी से पॉक्षक अंत 31-1-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 91/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 356—अतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 5/बी है, जो नल्लीपाडु ग्राम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्दूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-1-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक : 9-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

- (1) श्री नूने भट्टेस्वराराव
(2) श्री नूने एम० नागराज कुमार, गुन्दूर

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

2. ओम्मिडाला, लक्ष्मी अन्नापूर्ण, गुन्दूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

काकिनाडा, दिनांक 9 अगस्त 1976

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

सं० आर० ए० सी० नं० 357—यतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजारमूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 5/बी है, जो नल्लापाडु ग्राम में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्दूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-1-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अनुसूची

गुन्दूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-1-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 92/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

दिनांक : 9-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 अगस्त 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 358—यतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० 488 और 489 है, जो जे० अन्नवरम् में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ट्रिट्टिपाडु में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
3-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

6—256GI/76

1. करूरी पूर्णम्मा कमबाल पालेम ।

(अन्तरक)

2. अल्लु अम्पलाराजू, लिगमपटी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ट्रिट्टिपाडु रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1-76 में
पंजीकृत दस्तावेज नं० 3/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक : 9-8-1976

मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 24 अगस्त 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 359—यतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और
जिसकी सं० 402/1 है, जो बेटेरुपाक रायवरम में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, रामचन्द्रपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :—

1. श्रीमती वल्लूरी सब्बयम्मा, रायवरम

(अन्तरक)

2. कुमारी मेडपाटी शेषारत्नम पि० वेंकटरेड्डी, रायवरम
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए,
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

रामचन्द्रपुर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1-76
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 76/1976 में निगमित अनुसूची
सम्पत्ति।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज, काकिनाडा

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक : 24-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

1. श्रीमती मेन्ती सत्यन्तारयणम्मा, बेलगी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

2. श्रीमती मरमाटी पद्मावती अनकापल्ली

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

काकिनाडा, दिनांक 24 अगस्त, 76

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

सं० आर० ए० सी० 360—अतः मुझे बि० वि० सुब्बाराव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

और जिसकी सं० 185ए, 186, 187, 188ए है, जो राविकामपाडू
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी 1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती)
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/
या

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षक अंत 31-1-76
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 316/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक : 24-8-76

मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 24 अगस्त, 76

सं० आर० ए० सी० 361—अतः मुझे बि० वि० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम, प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 43/14 ब्लाक नं० 8 वाड नं० 2 है, जो गांधी नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-2-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किधा जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती डाटल्ला पद्मावती लक्ष्मीनरसापुरम

(अन्तरक)

1. वस्तवाया सुब्रमन्य विश्वनाथ राजु काकिनाडा ।

2. धश्ववाया वेंकट सत्यधारयण राजु काकिनाडा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 29-2-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 544/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक : 24-8-76

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम,

कोचीन, दिनांक 4 सितम्बर, 1976

निदेश सं० 80/76-77 :—यतः मुझे, एस० एन० चन्द्रयूटन
नायर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो ईस्ट चालकुटि
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चालकुटि में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
16-1-76

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नमबियालन नमबियालन भट्टनिरिपाड ।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० हरिहरन

(अन्तरिती)

(3) श्री एन० मनिअय्यर (2) पी० एन० शंकरन नमबूतिरि

(3) इ० सी० बेबि ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय
में दिया गया है ।

अनुसूची

36 Cents of land with buildings as per schedule attached
to document No. 120 dated 16th January 1976.

एस० एन० चन्द्रयूटन नायर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 4-9-1976

मोहर :

परूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ
(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 सितम्बर, 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 263 :—यतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कर्मागार है, जो कासिबुग्गा में स्थित है (और जिससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, कासिबुग्गा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 22-1-76 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) फिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, काकिनाडा प्रतिनिधि (1) प्रबन्ध निदेशक श्री बालुम्मल मनिक एडवर्ड और (2) सयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री वि० कृष्णाराव काकिनाडा, (अन्तरक)
- (2) 1. मैसर्स परासा ट्रेडर्स एण्ड इनडसट्रीज विसाखपटनम
2. श्रीमति धनकम्मा प्रेन्स पः बि० जे० प्रेन्स, एर्नाकुलम
3. श्रीमति सन्तम्मा मेट्यु पः बि० जे० मन्थु कोचीन-7
4. श्रीमति नेल्ली एन्तानी पः बि० जे० एन्तानी कोचीन-7
5. श्री जोसफ प्रेन्को पिः बि० जे० प्रन्को एर्नाकुलम
6. श्रीमति सोन्ना एडवर्ड पः बि० एस० एडवर्ड कोचीन-7
7. श्री मनिक प्रसाद पिः बि० एस० एडवर्ड विसाख-पटनम
8. श्रीमति बेबी पाली पः बि० पि० पाली काकिनाडा
9. श्रीमति वि० आदिलक्षमी प० रामसुब्बाराव अन्नपती साकज
10. श्री वि० प्रदमन भम पि० वि० एन० एन० मूर्ती
11. कुमारी रेबेका जकरम्मा पि० के० वि० अब्रहम कुरिन्नर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित, है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनुसूची

कासिबुग्गा रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अन्त 31-1-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 66/76 से निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रन्ज-III, कलकत्ता

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्रीमती बुराचिटी कामराजम्मा प० अप्पलाराजु
मल्लाम (अन्तरक)आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

- (2) 1. श्री देवरपल्ली कासी विश्वनाथम पि: सुरक्ष
2. श्री देवरपल्ली वेंकटरमण मूर्ति पि: कासीविस्वनाथम
3. श्री देवरपल्ली सुरन्ना पि: कासीविस्वनाथम
4. श्री देवरपल्ली सीताराम चन्द्रमूर्ति पि: कासीविस्वनाथम
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 सितम्बर, 1976

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 364-यत: मुझे, वि० वि०
सुब्बारावआयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा ;

और जिसकी सं० 233, 107, 106, 231 और 105 है,
जो कापवरम ग्राम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
सामलकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 18-2-1976 को

- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

अनुसूची

- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

सामलकोट रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 29-2-76
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 203/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

वि० वि० सुब्बाराव

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज एम वि काकिनाडा

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की
उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 2 सितम्बर, 1976

सं० अर० ए० सी० नं० 362 :—यतः मुझे, वि० वि०-
सुब्बाराव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० 27/2/271 है, जो मचलीपटनम में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मचलीपटनम में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
19-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1. श्रीमति वि० लीलावति
2. वि० एस० एल० नरसिंहाराव विजयवाड़ा
(अन्तरक)
(2) श्री जमि० हनुमन्तराव, मचलीपटनम
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मचलीपटनम रजिस्ट्री अधिकारी से मही अन्त 31-1-76
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 53/76 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

वि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 2-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०—

(1) श्री परिमल चन्द्र घोष वल्लभ रव० हरेन्द्र कुमार घोष,
38, पाण्डित्य टेरेस, कलकत्ता-29

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ

(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

(2) श्री जयप्रकाश यादव (नाबालिग) वल्लभ श्री जगदीश
यादव, सा० पुराना मीमा बाजार (कोपाल), देवघर
जिला संचालपरगना

(अन्तरिती)

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार

पटना, दिनांक 6 सितम्बर, 1976

निर्देश सं० 111-204/अर्जन /76-77/1667 :—यतः

मुझे अजय कुमार सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी अ सं० 128, वार्ड सं० XVII है, तथा जो बमपास, देवघर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8-1-76

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

7-256जी०आई०/76

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन रकबा लगभग 12 कठ्ठा के साथ मकान जो मोहल्ला बमपास शहर देवघर में है तथा शहर प्लॉट सं० 1292 ओ० सं० वार्ड सं० XVII है और जिसका वर्णन दस्तावेज सं० I/91 दिनांक 8-1-1976 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, परिक्षेत्र, बिहार पटना

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार,

पटना, दिनांक 6 सितम्बर, 76

निदेश सं० 111-205/अर्जन/76-77/1668 :— यतः
मुझे, अजय कुमार सिंहा,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लॉट सं० 64 एवं 246 तथा वार्ड सं०
11 है, तथा जो चक्रधरपुर में स्थित है (और इससे उपाद्ध अनु-
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन, 20-1-76

को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखत में वारताविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में बर्सा करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
के अधीन व्यक्तिगत, निम्नलिखित अर्थः—

(1) श्रीमति शशांका मजरीदेवी जोजे स्व० राजा लक्ष्मी नारा-
यण सिंह सा० चक्रधरपुर, जिला सिंहभूम, वर्तमान
निवासी, 10 स्टेफेन कोर्ट, 18/अ पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता

(अन्तरक)

(2) एम०/एस० छोटाभाई जेठा भाई पटेल एवं० क०,
3 ए०, रूपचन्द्र राय स्ट्रीट कलकत्ता-6 वर्तमान
चक्रधरपुर, जिला सिंहभूम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर
अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन रकबा 1.86 एकड़ सहित पुराना मकान जो वार्ड
सं० -11 चक्रधरपुर, जिला सिंहभूम में है तथा जिसका खाता
सं० 108 प्लॉट सं० 64 एवं 246 है तथा जिसका वर्णन दस्तावेज
सं० 292 दिनांक 20-1-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार पटना

तारीख : 6-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार

पटना, दिनांक 6 सितम्बर, 1976

निदेश सं० 111-206/ अर्जन/ 76-77/1669 :—यतः मुझे, अजय कुमार सिन्हा

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी, को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० वा० सं० 11 है, तथा जो चक्रधरपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिर्ध में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति शशंका मंजरी देवी जोजे स्व० राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, सा० चक्रधर पुर जिला सिंहभूम, वर्तमान 10, स्टेफेन कोर्ट, 18/अ०, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता ।

(अन्तरक)

(2) एम०/एस० छोटा भाई जेटाभाई पटेल एवं कं०, 3 ए०, रूपचन्द राय स्ट्रीट कलकत्ता-6, वर्तमान चक्रधर पुर जिला सिंहभूम

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पुरानी मकान जो वार्ड सं० 11 चक्रधरपुर जिला सिंहभूम, में है तथा जिसका विवरण दस्तावेज सं० 801 दिनांक 28-1-76 में पूर्ण है ।

अजय कुमार सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, परिक्षेत्र, बिहार पटना

तारीख : 6-9-76

सोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार

पटना, दिनांक 6 सितम्बर 76

निदेश सं० 111-207/अर्जन /76-77/ 1670 :—यतः
मुझे, अजय कुमार सिन्हा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी प्लॉट सं० 67 है, तथा जो चक्रधर-
पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 22-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने
के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती शशंका मंजरी देवी जोजे स्व० राजा लक्ष्मी
नारायण सिंह, सां० चक्रधरपुर, जिला सिंहभूम,
वर्तमान -90, स्टेफेन कोर्ट, 18/अ० - पार्क स्ट्रीट
कलकत्ता ।

(अन्तरक)

(2) एम०/ एस० छोटाभाई जंठाभाई पटेल एवं० कं०,
3 ए., रूपचन्द राय स्ट्रीट कलकत्ता-6, वर्तमान-
चक्रधर पुर, जिला सिंहभूम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन रकबा 62 जिस मिल जो वार्ड सं० 11 चक्रधरपुर
जिला सिंहभूम में है, प्लॉट सं० 67 है तथा जिसका वर्णन दस्ता-
वेज सं० 361 दिनांक 22-1-76 में पूर्ण है ।

अजय कुमार सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पपिक्षेत्र, बिहार पटना

तारीख : 6-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

(1) श्री डाक्टर वी० श्रीरामुलु

(अन्तरक)

(2) श्री एन० वेलुमनि

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास-600006

मद्रास, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निदेश सं० 2833/76-77:—यतः मुझे, एस० राजरटनम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 14/3 सिवाघ्नदा नगर है तथा जो कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीवर्ती अधिकारी के कार्यालय, गान्दिपुरम (डाकुमेन्ट 92/76) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 22-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डोर सं० 14/3 सिवाघ्नदा नगर, कोयम्बतूर

(टी० एस० सं० 11, प्लॉट सं० 37, और टी० एस० सं० 54/5)

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 13-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) श्रीमती कलपथम रामकृष्णन

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री जेतानन्द बी० खन्ना

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 13 सितम्बर, 1976

निदेश सं० 5035/76-77:—यतः मुझे, एस० राजरटनम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5, प्लॉट सं० 13 ए०, है, तथा जो ग्रीम्स रोड, मद्रास 6 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर (ड्राकुमेन्ट 30/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सं० 5, प्लॉट सं० 13 ए०, ग्रीम्स रोड, मद्रास-6 ।

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 13-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री डी० गोविन्दन, श्रीमती मानिकम्माल
श्रीमती पत्मावती और श्रीमती चन्द्रा

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री एस० पलनिसामि

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 6 सितम्बर 1976

निदेश सं० 2855/76-77:—यतः मुझे, एस० राजरटनम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० डोर सं० 23/360, ओप्पनकारा स्ट्रीट कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० कोयम्बतूर (डॉकुमेन्ट 17/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, ओप्पनकारा स्ट्रीट, नया डोर सं० 23/360
(टी० एस० सं० 6/1215) में भूमि और मकान।

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 6-9-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

(1) श्री डी० विदय प्रकाश

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री डी० पत्त्वनाबन

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास 600006, दिनांक 6 सितम्बर 1976

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

निदेश सं० 2856/76-77 :—यतः मुझे, एस० राजरटनम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 6/5 कामराज रोड, कोयम्बतूर, 23 सेन्ट की भूमि (मकान के साथ) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० III कोयम्बतूर (डाकुमेंट 128/76) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

अनुसूची

कोयम्बतूर कृष्णरायपुरम गांव, टी० एस० सं० 10/1086/3 में 23 सेन्ट की भूमि (मकान के साथ) जिसका डी० सं० 6/5 (भाग) कामराज रोड, कोयम्बतूर।

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री एम० शण्भुग सुन्दरम

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री एम० संपन्ध मूर्ति

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 7 सितम्बर 1976

निदेश सं० 2864/76-77 :—यतः मुझे, एम० राजरदनम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 1, श्रीनिवास स्ट्रीट, है तथा जो ईरोड में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एम० आर० I, ईरोड (डाकुमेंट 164/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-1-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ईरोड, श्रीनिवास मुदलि स्ट्रीट, डोर सं० 1 में भूमि और मकान (टी० एस० सं० 1353/1, नया वार्ड सं० 25, ईरोड)

एम० राजरदनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 6 सितम्बर 1976

निदेश सं० 2864/76-77 :—यतः मुझे, एस० राजरटनम
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० टी० श्रीनिवास मुदलि है तथा
जो स्ट्रीट ईरोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे०
एस० आर० 1 ईरोड (डाकुमेंट 173/76) में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
23-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ष की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री एम० पंचाशरम (मैनर) सखणत
(अन्तरक)
(2) श्री एम० सम्पन्द मृति
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि,
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति
द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ता-
क्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ईरोड, 60 श्रीनिवास मुदलि स्ट्रीट डोर सं० 1 (टी०
एस० सं० 1353/1 सि०) में भूमि और मकान।

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
 धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 6 सितम्बर 1976

निदेश सं० 3500/76-77 —यतः, मुझे, एस० राजरदनम
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ,
 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
 है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
 से अधिक है

और जिसकी सं० तिरुचि, के० अपिशोकपुरम गांव, टी० एस०
 सं० 385 (भाग) में भूमि और मकान में स्थित है (और
 इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
 अधिकारी के कार्यालय, तिरुचि (डाकुमेंट 239 आय सं०
 18/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
 16) के अधीन, तारीख 23-1-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
 करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
 मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
 पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती
 (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
 प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
 रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
 अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
 दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
 लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
 को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
 या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
 गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
 सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269घ के अनुसरण में,
 मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन,
 निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती टी० वि० सविदा देवी और श्री प्रेम कुमार
 (अन्तरक)

(2) श्री पी० एल० ए० अब्दुल्ले चेट्टियार
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
 कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
 की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
 में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
 किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
 अधिनियम' के अध्याय 20क में परिभाषित
 है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
 दिया गया है।

अनुसूची

तिरुचि के० अपिशोकपुरम गांव, 48-ब्लाक, टी० एस० सं०
 385 भाग में 6 भूमि और मकान (डाकुमेंट 239/76 आय
 सं० 18/76)

एस० राजरदनम
 सक्षम प्राधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज-मद्रास

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्रीमति बुररा अलमेलू

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

(2) श्री पी० आलफरेड

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 6 सितम्बर 1976

निदेश सं० 5046/76-77—यतः मुझे, एस० राजरटनम
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 18/1 ग्रीम्स रोड, मद्रास 6 में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर (डाकुमेंट 14/76)
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 8-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269 ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, ही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

[मद्रास 6, ग्रीम्स रोड, डोर सं० 18/1 में भूमि और मकान ।
(आर० एस० सं० 41/7 और 41/8)

[एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 6-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

(1) श्रीमति के० सी० कल्पककाल

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 15 सितम्बर 1976

निदेश सं० 2852/76-77--यतः मुझे, एस० राजरटनम
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सं० 43/1 ए, और 43/2 बी०
है तथा जो कारमंड गांव, अविनाशि तालुका में स्थित है (और
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, मेडुपालयम (डाकुमेंट 1967/75)
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 24-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों,
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(2) श्री रामकृष्णा आबसीजन लिमिटेड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

अविनाशि तालुका, कारमंड गांव, एस० सं० 43/1 ए०
और 43/2 बी० में 8.25 एकड़ की भूमि ।

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 15-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री वी० एल० अस्तरानी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री शेरिफ सालमेन

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० 28/जनवरी/1976—यतः मुझे, जी० रामा-
नाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
र० से अधिक है

और जिसकी सं० घर सं० 1-बी, प्लॉट सं० 4 सी० है, जो
स्परटनक रोड, एगमोट, मद्रास में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ० वेसट मद्रास में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
जनवरी, 76

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सं० 1 बी० प्लॉट सं० 4 सी० स्परटनक रोड, एगमोट
मद्रास, आर० एस० सं० 471/1 (भाग) में 1 गोनड 200
स्कोयर फुट का खाली भूमि।

जी० रामा. थन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

(1) श्री टी० श्रीनिवासन

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

(2) श्री शेरिफ सांलमन

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निदेश सं० 62/जनवरी/76—यतः मुझे, जी० रामा-
नाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

और जिसकी सं० घर सं० 1 बी०, प्लॉट सं० 4 बी० है, जो
स्परटानक रोड, एगमोर, मद्रास में स्थित है (और इससे उपा-
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, एस० आर० ओ० वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16
जनवरी, 76

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करन या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

घर सं० 1-बी० प्लॉट सं० 4-बी० स्परटानक रोड, एगमोर
मद्रास, आर० एस० ओ० सं० 471/1 (भाग) में 1 ग्रोन्ड
24 स्कोयर फुट का खालि भूमि।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के
अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

(1) श्री वी० श्रीनिवासन और आदि

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री वी० राजेन्द्रन

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

निर्देश सं० 37/ जनवरी/76 --यतः मुझे, जी० रामानाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे सं० 84/1 है, जो एरसक्कनायकनूर ग्राम, मदुरै डिस्ट्रिक्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ० चिन्नमनूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसूचन में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे सं० 84/1 (पट्टा सं० 123) एरसक्कनायकनूर ग्राम चिन्तमनूर, मदुरै डिस्ट्रिक्ट में 3 एकड़ भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 4-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री वी० श्रीनिवासन और आदि (अन्तरक)

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री वी० राजेन्द्रन

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

निर्देश सं० /जनवरी/76—अतः, मुझे जी० रामानाथन,
प्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसको
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० सर्वे सं० 84/1 है, जो एरसक्कनूर ग्राम मदुरै
डिस्ट्रिक्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस०
अर० ओ० चिन्नमनूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16 के अधीन जानवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

सर्वे सं० 84/1, (पट्टा सं० 123), एरसक्कनायक्कनूर
ग्राम, चिन्नमनूर, मदुरै डिस्ट्रिक्ट में 3 एकड़ (अभिन्न भाग 6
एकड़) भूमि।

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों,
को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

जी० रामानाथन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
9—256GI/76

तारीख : 4-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 सितम्बर 1976

निदेश सं० 42/जनवरी/75-76—अतः, मुझे जी० रामानाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि रथावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० 116/7, 116/3, 166/3 एफ०, 166/2 डी० है, जो मीनक्सीपालयन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलूर (पत्र सं० 41/76) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एट्टम्माल और तम्ब राजू (अन्तरक

(2) श्री के० एम० पलानयध गऊण्डर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिल्ला, नामक्कल तालुक मीनक्शी पालयम गांव
एस० सं० 116/7, 116/3, 166/1 एफ० और 166/2 डी०
में 1.59 एकड़ खेती की भूमि ।

जी० रामानाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 4-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्रीमती अमीना भी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती मियानशहीडा बेगम

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये
कार्यवाहियां करता हूं।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

अर्जन रेंज-I, मद्रास

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त, व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त आधार सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

निदेश सं० 44/जनवरी/76—यतः, मुझे जी० रामानाथन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का
43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास
करने का कारण है, कि रथावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी
सं० घट सं० 15/3 है, जो मासिलामनि मुदलियार हासटल रोड,
वेल्लूर में स्थित है (और इससे उपात्र अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस०
आर० ओ० I, वेल्लूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1976 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
भारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;
और/या

घर सं० 15/3, मासिलामनी मुदलियार हास्टल रोड,
वेल्लूर में भूमि और घर 16,583 स्क्वायर फुट (टी० एस० सं०
317/2, और 316)।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

जी० रामानाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख : 10-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
 269-घ(1) के अधीन सूचना
 भारत सरकार
 कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज-I, मद्रास
 मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

(1) श्री दसतगीर

(अन्तरक)

(2) श्री अमीरवीन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निदेश सं० 46/जनवरी/76—अतः, मुझे जी० रामानाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे सं० 555 है, जो पत्र सं० 51/76 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ० कीलकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

सर्वे सं० 555, पत्र सं० 51/76, में खेति की भूमि 9 एकड़ 13 सेनत।

जी० रामानाथन,
 सक्षम प्राधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज, मद्रास

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख : 10-9-1976

मीहूर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) श्री बी० सखनपान्दियसामि तेषर

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० 47/जनवरी, /76—यतः, मुझे जी० रामानाथन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए
से अधिक है

और जिसकी सं० घर सं०-1 (नयी वार्ड सं० 3) है, जो अरनमनै
साऊथ स्ट्रीट, रामनाथपुरम टाऊन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय जे० एस० आर० ओ० 1 रामनाथपुरम में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(2) श्री एस० एन० रेनमानातन

चेट्टियार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20 क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

घर सं० 1, अरनमनै साऊथ स्ट्रीट, रामनाथपुरम टाऊन में
एक घर नयी वार्ड सं० 3 (पुराना वार्ड सं० 5) (6322 स्कोयर
फुट) और क्षरता

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 10-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० 87/फरवरी/76-- अतः, मुझे जी० रामानाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नयी घर सं० 2 (नयी बार्ड सं० 3) है, जो अरनमनै साऊथ स्ट्रीट रामनातपुरम टाउन में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० ओ०-1 रामनातपुरम्, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधीन फरवरी, 1976 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री कीर्ति गौसामी अलयास पोन्नुसामि तेवट और
5 दूसरा (अन्तरक)

(2) श्री एस० एन० गानेसा वेदियार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

घर सं० 2, अरनमनै साऊथ स्ट्रीट, रामनातपुरम टाउन में एक घर नयी बार्ड सं० 3 (पुराना बार्ड सं० 5) (6367 स्कोयर फुट) गालि भूमि 280 स्कोयर फुट और अरना

जी० रामानाथन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 10-9-1976

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री पी० एस० अबदुल सलाम (अन्तरक)

(2) श्री कोलनदे गोण्डर (अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० 55/जनवरी/76—अतः, मुझे जी० रामानाथन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० — है, जो एलबमपट्टी ग्राम, तिरुपततूर तालुक
में स्थित है (और इससे उपाब्द्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ओ० तिरुपततूर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के
अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उप-
धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे सं० 203/1, 203/4, 205/2, 207/3, 227/1
(13 एकड़ 74 सेन्ट) एलबमपट्टी गा०, तिरुपततूर तालुका में
खेती की भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री जी० रामनाथ चेट्टियार

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

(2) 1. डाक्टर वी० के० सिक्कवासग

2. वी० के० शनमुगम

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० /जनवरी/76--अतः, मुझे जी० रामनाथन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि रथावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए
से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० सं० 363 (भाग) है, जो तिरुप्पतूर
टाउन नार्थ आरकाड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
के कार्यालय, एस० आर० ओ० तिरुप्पतूर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी,
1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

टि० एस० सं० 363 (भाग), प्लॉट सं० 1, 2, 3 और 4
(10606 3/4 स्कोयर फुट) आर प्लॉट सं० 7, 8 और 9
(8585 स्कोयर फुट) ए० डिविशन, वार्ड सं० 1, प्लॉट सं० 16
तिरुप्पतूर टाउन, नार्थ आरकाड डिस्ट्रिक्ट में घर का खालि भूमि।

जी० रामनाथन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) सर्वश्री 1. अम्मयप्पन

2. मुरुगन और

3. सेलवराज

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ(1) के अधीन सूचना

(2) श्री कप्तु (मुता गोन्डर)

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर, 1976

निदेश सं० 57/जनवरी/76—अतः, मुझे जी० रामानाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० --- है, जो कुरिसिलापट्ट ग्राम तिरुपततूर तालुका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० श्री० तिरुपततूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी 1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

10—256 GI/76

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे सं० 181/1बी०, 181/2-बी०, 182/2, कुरिसिलापट्ट ग्राम तिरुपततूर तालुका में 4 एकड़ 62 सेंट खेती की भूमि।

जी० रामानाथन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 10-9-1976

मोहर :

रूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर, 1976

निदेश सं० 58/जनवरी/76—यतः, मुझे जी० रामानाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे सं० 18/1-ए० है, जो संकरपेरि ग्राम पोलनायकन पेट्टै, तुतुकुडि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० ओ० II, तुतुकुडि में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री आर० थालगुरुसामि

और

(2) श्री भी गुनसुन्दरि अम्माल।

(अन्तरक)

(2) श्री तेरैस

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे सं० 18/1ए०, संकरपेरि ग्राम, पोल नामकन पेट्टै तुतुकुडि (75 सेन्ट) वार्ड सं० 1 का घर (डाकूमेन्ट सं० 83/76)।

जी० रामानाथन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री एस० पी० सुभ्रैया मुदलियार और 4 दूसरा
(अन्तरक)आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ (1) के अधीन सूचना(2) श्री एस० एस० सिबराज मोहन
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 सितम्बर 1976

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निर्देश सं० 59/जनवरी/76—अतः, मुझे जी० रामानाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे सं० 1, 2, 13/1, 14/1, है, जो वी० वेडपट्टि ग्राम विलत्तिकुलम, केविलपट्टि तालूका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तूतिकोरिन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे सं० 1, 2, 13/1, 14/1, वी० वेडपट्टि ग्राम, विलात्तिकुलम, कोविलपट्टी तालूका में 20.05 हेक्टेयर (3/4 भाग) खेति की भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 10-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ष

(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, नई दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1976

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/III/एस०आर०-II/जनवरी/
1130/(10)/75-76—अतः मुझे, एस० सी० पारीजा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट नं० 36, रोड नं० 52, है, तथा जो पंजाबी बाग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 9 जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक से है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ष की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. किशन सिंह, सुपुत्र श्री बारू सिंह,
निवासी 3-सी/6, रोहतक रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री शम्शेर सिंह कुकरेजा, सुपुत्र श्री राम सिंह,
निवासी ए-25, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट की भूमि जिसका नं० 36, रोड नं० 52 पर है, जिसका क्षेत्रफल 1088.88 वर्ग गज है, क्लास 'बी' पंजाबी बाग दिल्ली में चार दीवारी के साथ, मावीपुर गांव के राजस्व एस्टेट, दिल्ली राज्य में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लॉट नं० 34 पर बना मकान

पश्चिम : प्लॉट नं० 38 पर बना मकान

उत्तर : रोड नं० 52

दक्षिण : सर्विस लेन

एस० सी० पारीजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, नई दिल्ली

दिनांक : 30-6-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर० 3/1067/जन०-1/(16)/75-76—अतः मुझे सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० ई० 501 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती प्रतीभा खुराना बेवा स्व०हरबेल सिंह खुराना अपने लिए तथा अपनी पुत्री कुमारी रोबिना खुराना के लिए और कुमारी शलीना खुराना के लिए निवासी 23 चावड़ी बाजार, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री तेजा सिंह खुराना पुत्र लाला खान चन्द, श्री खान चन्द पुत्र श्री सोहन मल और श्रीमती [हुकम बेबी पत्नी लाला खान चन्द द्वारा उनके कानूनी अटारनी लाला खान चन्द सभी निवासी 126-डी, नई मंडी, शिरशा (हिसार)।

श्री सन्त राम पुत्र स्व० बोध राज निवासी 2060 गंज मीर खां, दरिया गंज, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 501, ब्लाक ई जिसका क्षेत्रफल 248 वर्ग गज है जो कि निवासी कालोनी ग्रेटर कैलाश-II, के गांव बहारपुर दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : सर्विस लेन

दक्षिण : सड़क

पूर्व / प्लॉट नं० ई/499

पश्चिम : प्लॉट नं० ई/503

सी० वी० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

दिनांक : 6 सितम्बर, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

दिल्ली-1, दिनांक 9-9-1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०- |
1057/विसम्बर-II (25)/75-76—अतः मुझे, च० वि० गुप्ते
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 24-ए है, तथा जो ब्लॉक नं० ए० कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, दिनांक 30-12-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए
और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों,
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बलदेव भगत, पत्नी श्री पी० सी० भगत निवासी डब्ल्यू०
41 ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन, श्री सतीन्द्र कुमार जैन और श्री राकेश
कुमार जैन सभी पुत्रगण स्व० श्री सुन्दर लाल जैन निवासी 6549,
कुतब रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जिसका नं० ए/24-ए क्षेत्रफल 1004.9
वर्ग गज है जिसका अन्दरूनी हिस्सा बना हुआ है जिसमें सभी प्रकार
की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो कि निवासी कालोनी के गांव जमुराद-
पुर दिल्ली में है जो कि मुनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली कि हद में
निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लॉट नं० ए/25

पश्चिम : प्लॉट नं० ए/24

उत्तर : सड़क

दक्षिण : प्लॉट नं० एल/6, एल/7 और एल/8

च० वि० गुप्ते

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली ।

दिनांक : 9 सितम्बर 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 1976

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यु०-I/एस०आर० III/1083/
जन० II/(9)/75-76—अतः मुझे, सी० वी० गुप्ते

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये
से अधिक है और

जिसकी सं० 44-बी० (ग्राउन्ड फ्लोर की दुकान) खान मार्केट,
नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, दिनांक 24-1-1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधि-
नियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में,
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लाला भीम सेन
निवासी 22, मैन बाजार, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री सुधीर बाबा त्रि० जी० एस० बाबा
निवासी फ्लेट नं० 46 खान मार्केट, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किये जा सकेंगे ।

स्थष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक लीज होल्ड दुकान नं० 44-बी० (ग्राउन्ड फ्लोर) क्षेत्रफल
489 वर्ग फुट (ज्यादा या कम) जो कि खान मार्केट नई दिल्ली में
है ।

सी० वी० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली,
नई दिल्ली-1

दिनांक : 9 सितम्बर, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-II, दिल्ली 4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०ए०सी०एक्यू०/II/1216/76-77—

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 7, ब्लाक नं० 33 रोशनआरा एक्सटेंशन स्कीम, (शक्ती नगर) दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल या पन्ट प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री नेम चन्द जैन, सुपुत्र श्री सालीग राम,
निवासी 2053, किनारी बाजार, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती कान्ता जैन, पत्नी श्री नेम चन्द जैन,
निवासी 2053, किनारी बाजार, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० 7, ब्लाक नं० 33 है, और क्षेत्रफल 137.2 वर्ग गज है, रोशनआरा एक्सटेंशन स्कीम (शक्ती नगर), दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : प्लॉट नं० 33/9

पश्चिम : प्लॉट नं० 33/5

उत्तर : लेन

दक्षिण रोड़।

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 2 सितम्बर, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/II/1217/76-77--

मतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० प्लॉट नं० 40, रोड नं० 5 है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसंधान में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुरीन्द्र नाथ छाबड़ा, सुपुत्र डा० मोहन लाल छाबड़ा निवासी 4875, चौक अहाता किदारा, बाड़ा हिन्दु राव, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री बनारसी लाल भाटिया, सुपुत्र श्री कान्शी राम भाटिया, निवासी मकान नं० 10742, अडेवालन रोड, नाबी करीम, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जो कि 277.5 वर्ग गज क्षेत्रफल है फ्रीहोल्ड प्लॉट पर बना हुआ है, जिसका नं० 40 है, रोड नं० 5, पंजाबी बाग दिल्ली में है। यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० 38

पश्चिम : जायदाद नं० 42

उत्तर : रोड नं० 5

दक्षिण : सर्विस लेन

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 2 सितम्बर, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एएम०/11/1218/76-77--

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सी०-29 है तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री तुलसी सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह
20, नोर्थ एवेन्यू पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री मदन गोपाल पुत्र मेहता भोला राम 2. श्रीमती शांती देवी पत्नी श्री मदन गोपाल 3. श्री सुरेश कुमार

4. श्री नरेश कुमार सभी पुत्रगण मेहता मदन गोपाल निवासी सी-20 वाली नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जिसका क्षेत्रफल 181.3 वर्ग गज जो कि नं० सी-29 वाली नगर नई दिल्ली में निम्न प्रकार से घिरा हुआ है :—

उत्तर : खुली हुई जमीन

दक्षिण : जायदाद नं० सी-28

पूर्व : सड़क

पश्चिम : सर्विस लेन

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 14-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एफ्यु०/II/1219/76-77--

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० 2755 (नया) और 1988 (पुराना) गली राम रूप, सब्जी मंडी, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --

1. श्रीमती बिरभो देवी बेबा स्व० श्री डिप्टी मल जैन खुद व एस० पी० ए० 2. श्री नेम चन्द जैन पुत्र स्व० डिप्टी मल जैन 3. श्रीमती शकुन्तला जैन 4. श्रीमती विमला जैन 5. श्रीमती माया जैन सभी पुत्रियां स्व० श्री डिप्टी मल जैन निवासी 2788 गली राजपूताना सब्जी मंडी दिल्ली 6. निरलोक कुमार जैन पुत्र स्व० श्री डिप्टी मल जैन निवासी 2788 गली राजपूताना सब्जी मंडी दिल्ली खुद एवं स्पेशल अटारनीश्री गियान चन्द जैन पुत्र स्व०

श्री डिप्टी मल जैन निवासी 2788 गली राजपूताना, सब्जी मंडी, दिल्ली । (अन्तरक)

2. 1 श्री इन्दरमल पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद 2 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री इन्दर मल 3. श्री ब्रिज मोहन

4. श्री धनु मल पुत्रगण श्री प्रभु दयाल

सभी निवासी 2755 गली राम रूप, सब्जी मंडी, दिल्ली ।

3. 1. श्री इन्दर मल (अन्तरिती)

2. श्री रमेश चन्द

3. श्री नाथु राज

4. श्री देवी राम प्रसाद

5. श्री चन्दगी राम

6. श्री प्रेम नारायण

7. श्री राम स्वरूप

8. श्री बनवारी लाल

9. श्री भोपाल सिंह

(वह व्यक्ति जिसके अभिभाग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ढाई मंजिल मकान जिसका म्युनिसिपल नं० 2755 (नया) और 1988 (पुराना) जो कि 382 वर्ग गज जमीन पर बना है जो कि रूप राम गली, सब्जी मंडी दिल्ली में है तथा निम्न प्रकार से घिरा है :-

उत्तर : दूसरों की जायदाद

दक्षिण : दूसरों की जायदाद

पूर्व : दूसरों की जायदाद : गली राम रूप

पश्चिम : दूसरों की जायदाद

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली ।

दिनांक 14 सितम्बर 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यु०/11/1220/76-77--

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और

जिसकी सं० 9/25 (ब्लाक नं० 9) है तथा जो ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अन्तर सिंह पाहवा पुत्र श्री भगवान सिंह
निवासी 9/25 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. सर्वश्री सुशील कुमार जैन और श्री राज कुमार जैन
पुत्रगण लाला रोशन लाल जैन निवासी 4866 बारा टूटी, फूटा
रोड़, दिल्ली :

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1. 1/2 मंजिली जायदाद जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज जिसका नं० 9/25 (ब्लाक नं० 9) ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से घिरा है :—

उत्तर : सड़क

दक्षिण : सर्विस लेन

पूर्व : गली

पश्चिम : दूसरों के क्वार्टर

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 14 सितम्बर, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 1976

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यु०/II/1221/76-77—

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4829/1, प्लॉट नं० 45 और नं० 24 है तथा जो दरयागंज, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री सुन्दर सिंह लूथरा

2. श्री सतपाल सिंह लूथरा पुत्रगण

श्री गुरदीत सिंह निवासी एफ० 1/22, माडल टाउन, दिल्ली।

3. श्री मनजीत सिंह खुराना पुत्र श्री गुरुमुख सिंह खुराना निवासी एफ०-2/15 माडल टाउन, दिल्ली।

4. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व० श्री प्रीतम सिंह

5. सरदारनी नरेन्द्र कौर पत्नी सरदार जगजीत सिंह आहूजा निवासी 1565-67 चर्च रोड, कण्ठीरी गेट, दिल्ली।

6. सरदारनी मन मोहन और पत्नी श्री गुरुमुख सिंह निवासी एफ० 2/15 माडल टाउन दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मैमो देवी सुपत्नी श्री अजीत प्रसाद, निवासी 2320, धर्मपुरा दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि करीब 180-89 बर्ग गज क्षेत्रफल के प्लॉट पर बना हुआ है जिसका प्लॉट नं० 45, जायदाद नं० 4829/1, खसरा नं० 51 है, 24 दरिया गंज, दिल्ली में है। यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० 4830

पश्चिम : मकान नं० 4838

उत्तर : प्रह्लाद लैन 20' चौड़ी

दक्षिण : जायदाद नं० 4837

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 14 सितम्बर, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निदेश सं० ए० सी० 9/आर०-II/कल/76-77—अतः मुझे,
आर० भी० लालमीया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 32-पी० है तथा जो निउ रोड, आलीपुर,
कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार
अब एसुरेन्सेस कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-2-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री महाराज कुमार अभय चांद महनाव बहादुर
32-डी०, निउ रोड, आलीपुर, कलकत्ता।

(अन्तरक)

- (1) श्री ओम प्रकाश कातोेरिया,
- (2) श्रीमती सावित्री देवी कातोेरिया
- (3) श्रीमती सुशिला देवी कातोेरिया
- (4) श्री अंजन कुमार कातोेरिया
4. क्लार्क रोड, कलकत्ता-22।
- (5) श्रीमती भागीरती देवी
- (6) श्रीमती चप्पा देवी कातोेरिया
- (7) श्रीमती सोभा देवी कातोेरिया
- (8) श्रीमती विमला देवी कातोेरिया

5. जानकी साहा रोड, कलकत्ता-22।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रमिसेस नं 32 मि निउ रोड, आलीपुर, कलकत्ता
अवस्थित 1 विघ 1 छढाक 61 स्कीयर फुट जमीन के ऊपर एक
इमारत है।

आर० भी० लालमीया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

दिनांक 13-9-76

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निदेश सं० ए० सी० 10/आर०-II/कल०/76-77—

अतः मुझे आर० भी० लालमीया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 1 बी० है तथा जो जानकी साहा रोड, कलकत्ता-22 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूपसे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार, अब एसुरेन्सेस कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 30-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी, 1 बी, जानकी साहा रोड, कलकत्ता (अन्तरक)

2. (1) श्री सराज कुमार जैन,
डि०-20, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1

(2) श्री मनोज कुमार जैन, 26-ए बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1।

(3) श्री प्रदीप कुमार जैन, 14 आलीपुर रोड, नई दिल्ली।

(4) श्री अनिल कुमार जैन, 2 जानकी साहा रोड, हेस्टिंग्स, कलकत्ता-22। (अन्तरिती)

3. श्री जदीश राय, 1 बी, जानकी साहा रोड, कलकत्ता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रमिसेस नं० 1 बी जानकीसाहा रोड, हेस्टिंग्स, कलकत्ता

आर० भी० लालमीया

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

54, रफीअहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

दिनांक : 13-9-76

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर० 258/सी० 253/कल०-I/75-76—
अतः मुझे, सं० क० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए
से अधिक है

और जिसकी सं० 27 बी, है तथा जो केमेक स्ट्रीट में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, सं० गवर्नमेंट प्रेस, नार्थ कलकत्ता में,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक 21-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि-
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पुष्पा देवी गौयन्का

(अन्तरक)

2. श्री देवकी नन्दन घलिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-
वाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए
जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में पारिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

27 बी, केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता में अबस्थिक पांच तल्ला में
1980 वर्ग फिट ओयेंस्टनि बे का 1/6 हिस्सा।

सं० क० चक्रवर्ती

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, 54, रफीअहमद किरवाई रोड,
कलकत्ता-16

दिनांक : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

1. श्री अरविन्द कुमार गोयेंका

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

2. श्री देवकी नन्दन धालिया

(अन्तरितगी)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

अर्जन रेंज, I कलकत्ता-16

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

कलकत्ता, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निर्देश सं० टी० आर० 262/सि०-247/कल-1/75-76-
अतः, मुझे, सं० क० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० 27 बी, है तथा जो केमेक स्ट्रीट में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से और वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्लेस नार्थ कलकत्ता
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक 21-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—
12-256GI/76

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

27 बी केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता, में अवस्थित पश्चिमी खाड़ी
क्षेत्रफल 1980 व०फु० का 1/6 हिस्सा।

सं० क० चक्रवर्ती

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

दिनांक 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

1. श्रीमती सरस्वती देवी गोयेन्का

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, I कलकत्ता 16

कलकत्ता-16, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर०-250/सी०-259/कल०-I/75-76—

अतः मुझे सं० क० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विधवा करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये
से अधिक है और जिसकी सं० 27 बी,

है तथा जो केमेक स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है (और इससे
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता
अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्लेस नार्थ कलकत्ता में, रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख
27-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
वहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में, कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

2. श्रीमती देवकी नन्दन धलिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताधारी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम
के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

27 बी, केमेक स्ट्रीट कलकत्ता में अवस्थित पश्चिमी
खाड़ी क्षेत्रफल में 1980 वर्ग का 1/6 हिस्सा।

सं० क० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

तारीख : 10-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

कलकत्ता, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर०-253/सी०-254/कल-I/75-76--

अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 27 बी०, है तथा डो केमेक स्ट्रीट में स्थित है (और इसके उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्रेस नार्थ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-1-76

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से; ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री विनय कुमार गोयेन्का

(अन्तरक)

2. श्री देवकी नन्दन धलिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया था।

अनुसूची

27 बी०, केमेक स्ट्रीट कलकत्ता में अवस्थित, पांच तल्ला में अभिष्टार्ण बेका 1980 वर्ग फुट 1/4 हिस्सा।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

तारीख : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर० 257/सी०-252/कल-I/75-76—

अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 27 बी० है तथा जो केमेक स्ट्रीट में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्रेस, नार्थ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

1. श्रीमती सुमित्रा देवी गोयेन्का

(अन्तरक)

2. श्री देवकी नन्दन धलिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

27 बी० केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थित, पांच तला 1980 बर्गफुट ओयेस्टर्ण बेका 1/6 हिस्सा।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

तारीख : 10-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर० 249/सी०-258/कल-1/75-76--

अतः मुझे, एम० के० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 27 बी०, तथा जो केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्रेस (नार्थ) कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करना या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती सरस्वती देवी गोयेंस्का

(अन्तरक)

2. श्री गोबिन्द प्रसाद ढालिया, माइनर
उपस्थापक पिता देवकीनन्दन ढालिया

(अन्तरिकी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

रपट्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1980 स्को० फुट और जो 27 बी०, केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता पर अवस्थित उसका चार तल्ला पूर्वांश जिसका परिमाण 1/6 अंश ।

एम० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

तारीख : 13-9-76
मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०-----

1. श्री विनय कुमार गोवंदा

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

2. श्री गोविन्द प्रसाद ढालिया, माइनर, उपस्थापक—पिता देवकीचन्दन ढालिया

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

कलकत्ता, दिनांक 10 सितम्बर 1976

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निदेश सं० टी० आर० 252/सी०-257/कल-1/75-76--
अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

और जिसकी सं० 27 बी है तथा जो केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेंट प्रेस (नार्थ), कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-1-76

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं दिया गया है:—

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1980 स्को: फुट और जो 27 बी०, केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता पर अवस्थित चार तल्ला का पुर्वांश जिसका परिमाण उसका 1/4 अंश।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख: 10-9-76
मोहर:

प्रहृष आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर०-251/सी०-260/कल-1/75-76--
अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और जिनकी सं० 27 बी० है तथा जो केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेंट प्रेम (नार्थ), कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-1-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्रीमती पुष्प देवी गोंयका

(अन्तरक)

2. श्री गोबिन्द प्रसाद हालिया, माइनर उपस्थापक-पिता देवकी नन्दन हालिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1980 स्को० फुट और जो 27 बी०, केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता पर अवस्थित चार तल्ला का पुर्वांश जिसका परिमाण उसका 1/4 अंश।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

तारीख : 13-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-J, कलकत्ता,

कलकत्ता-16, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर० 256/सी०-255/कल-1/75-76—

अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 27 बी० है तथा जो केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेंट प्रेस (नार्थ) कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अरविन्द कुमार गोयेंका

(अन्तरक)

2. श्री गोविन्द प्रसाद ढालिया माइनर उपस्थापक—पिता देवकी नन्दन ढालिया ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1980 स्को० फुट और जो 27 बी०, केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता पर अवस्थित चार तल्ला का पुबलिश जिसका परिमाण उसका 1/6 अंश ।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-, कलकत्ता- 16

तारीख : 13-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

1. श्रीमती सुमित्रा देवी गोयेंका

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निदेश सं० टी० आर०-255/सी०-256/कल-1/75-76—

अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 27 बी०, है तथा जो केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेंट प्रेस (नार्थ), कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908) (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-1-76 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अन्तर्गण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

13—256G1/76

2. श्री गोविन्द प्रसाद ढालिया, माइनर उपस्थापक:—पिता
देवकी नन्दन ढालिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1980 स्को० फुट और जो 27 बी०, केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता पर अवस्थित है चार तल्लाका पुर्वाश जिसका परिमाण उसका 1/6 अंश ।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, कलकत्ता-16

तारीख : 13-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

श्रीमती के० जी० पी० आयुर्वेदिक हास्पीटल बिल्डिंग
नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-400002

बम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 1976

निदेश सं० आई०-3/966/जन० 76—अतः मुझे आर०

जी० नेरुरकर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० नं० 99, हिस्सा नं० 5 है, जो एकसर बोरीवली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार का कार्यालय, बम्बई, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1909 (1908 का 16) के अधीन 15-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बाबी भाई राजाराम पाटिल, एकसर, बोरीवली (प), बम्बई । (अन्तरक)

2. (1) रतीलाल एम० पटेल
- (2) लल्लूभाई बी० पटेल
- (3) श्री धीरजलाल बी० गला
- (4) श्री दयालाल एम० मेहता
- (5) श्री कालूचंद एच० शाह
- (6) श्री मूलचन्द के० रंक
- (7) श्री जेथमल एच० रंक
- (8) श्री बाबू लाल पी० जैन

(9) बसंत डी० गला
इस्माइल बाग आनंद रोड, मलाड (प०) बम्बई । (अन्तरिती)
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, जो कि एकसर में स्थित, मौजूद पड़ा है और पहले बोरिवली तालुका में था, किन्तु अब बृहतबंबई में, बांद्रा रजिस्ट्री उप-जिला व बंबई उपनगर जिले में आ गया है, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है । यह माप से करीब 2 एकड़ 1 3/4 गुंठा या 9891 वर्गगज अथवा 8259 वर्ग मीटर है और उत्तर की ओर जिसका कुछ भाग उस भूखंड से घिरा हुआ है, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 1 है एवं वह वामन गणपत पाटिल का है, और कुछ भाग उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 4 और वह गोविंद नारायण कीणी का है । दक्षिण व पश्चिम की ओर उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 95 है और वह दादाजी सामंत का है । पूर्व की ओर उस जमीन से, जिसका सर्वे नं० 99 हिस्सा नं० 3 और वह विष्णु दामोदर काकर की है और कुछ भाग जी० बी० नि० की जमीन से, जिसे वल्लभ नगर कहा जाता है और जिसका सर्वे नं० 98 है । (1/6 हिस्सा) ।

आर० जी० नेरुरकर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 1 सितम्बर 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

श्रीमती के० जी० एम० पी० आयुर्वेदिक हास्पिटल बिल्डिंग

नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-400002

बम्बई, दिनांक 1 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०-3/967/जन० 1976—अतः मुझे श्री आर० जी० नेरूरकर आयकर

अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है, जो एक्सर, बोरीवली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सब रजिस्ट्रार का कार्यालय, बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अनुभाई काशीनाथ महले एकसर, बोरीवली (प०) बम्बई। (अन्तरक)

2. (1) श्री रतीलाल एम० पटेल
- (2) श्री लल्लूभाई बी० पटेल
- (3) श्री धीरजलाल बी० गला।
- (4) श्री दयालाल एम० मेहता
- (5) श्री कालुचंद एच० शाह
- (6) श्री मूलचंद के० रंक
- (7) श्री जेथमल क० रंक
- (8) श्री बाबू लाल पी० जैन
- (9) श्री वसंत डी० गला

(10) ज्ञान चंद बी० गला इस्माइल बिल्डिंग, आनन्द रोड, मलाड (प०) बम्बई। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, जोकि एकसर में स्थित, मौजूद पड़ा है और पहले बोरीवली तालुका में था, किन्तु बृहत बम्बई में, बांद्रा रजिस्ट्री उप-जिला व बंबई उप नगर जिले में आ गया है, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है। यह माप से करीब 2 एकड़ 1 1/2 गुंठा या 9891 वर्गगज अथवा 8259 वर्ग मीटर है और उत्तर की ओर जिसका कुछ भाग उस भूखंड से घिरा हुआ है, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 1 है एवं वह वामन गणपत पाटिल का है, और कुछ भाग उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 4 और वह गोविंद नारायण कीणी का है। दक्षिण व पश्चिम की ओर उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 95 है और वह दादाजी सामंत का है। पूर्व की ओर उस जमीन से, जिसका सर्वे नं० 99 हिस्सा नं० 3 और वह विष्णु दामोदर ठाकर की है और कुछ भाग जी० बी० नी० की जमीन है, जिसे वल्लभ नगर कहा जाता है और जिसका सर्वे नं० 98 नं० है (1/6 हिस्सा)

आर० जी० नेरूरकर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 1-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

श्रीमती के० जी० एम० पी० आयुर्वेदिक हास्पिटल
बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-400002

बम्बई, दिनांक 1 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई० 3/968/जन० 1976—यतः, मुझे,
आर० जी० नेरूरकर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है, जो एकसर, बोरीबली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब-रजिस्ट्रार का कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती जमुनाबाई लक्ष्मण पाटिल, एकसर, बोरीबली (प०) बम्बई। (अन्तरक)

2. सर्व श्री 1. रतीलाल एम० पटेल, 2. लल्लूभाई बी० पटेल, 3. धीरजलाल बी० गला, 4. दयालाल एम० मेहता, 5. कालूचंद एच० शाह, 6. मूलचंद के० रंक, 7. जेथमल के रंक, 8. बाबूलाल पी० जैन, 10. बसंत डी० गला 9. पानचंद द्वि० गला इस्माइल बाग आनंद रोड, मलाड (प्र०) बंबई नं० 64. (अन्तरिती)

4. अन्तरिती

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, जोकि एकसर में स्थित, मौजूद पड़ा है और पहले बोरीबली तालुका में था, किन्तु बृहत् बम्बई में, बांद्रा रजिस्ट्री उप-जिला व बम्बई उपनगर जिले में आ गया, जिसका सर्वे नं० 99 हिस्सा नं० 5 है। यह माप से करीब 2 एकड़ 1-3/4 गुंठा या 9891 वर्गगज अथवा 8259 वर्ग मीटर है और उत्तर की ओर जिसका कुछ भाग उस भूखंड से घिरा हुआ है, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 1 है एवं यह वामन गणपत पाटिल का है, और कुछ भाग उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 99; हिस्सा नं० 4 और वह गोविंद नारायण गीणी का है। दक्षिण व पश्चिम की ओर उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 95 है और वह दादाजी सामंत का है। पूर्व की ओर उस जमीन से, जिसका सर्वे नं० 99 हिस्सा नं० 3 और वह विष्णु दामोदर ठाकर की है और कुछ भाग जी० बी० नि० की जमीन है, जिसे वल्लभ नगर कहा जाता है और जिसका सर्वे नं० 98 है (1/6 हिस्सा) आर० जी० बे०।

आर० डी० नेरूरकर,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-III बम्बई

तारीख : 1 सितम्बर, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
 269घ (1) के अधीन सूचना
 भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज-3, बम्बई

श्रीमती के० जी० एम० पी० आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बिल्डिंग
 नेताजी गुभाय रोड, बम्बई-400002
 बम्बई, दिनांक 1 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०-3/969/जन-1976—यतः, मुझे,
 आर० जी० नेरूरकर,
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
 इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
 कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
 रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है, जो एकसर
 बोरीबली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
 पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिाक्षरी के कार्यालय,
 सब रजिस्ट्रार का कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-1-1976
 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
 का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
 उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
 (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
 फल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
 रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
 नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
 करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
 (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
 कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
 प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
 था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
 के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
 सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
 (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री 1. वामन हरी महत्वे, 2. तुलसीबाई वामन महत्वे
 एकसर, बोरीबली (प०) बम्बई (अन्तरक)
2. श्री 1. रतीलाल एम० पटेल 2. लल्लुभाई बी० पटेल,
3. धीरज लाल वी० गला, 4. दयालाल एम० मेहता, 5.
 कालूचंद एच० शाह, 6. मूलचंद के० रंग, 7. जेथमल के०

रंग, 8 बाबूलाल पी० जैन, 9. पन्नचंद वी० गला, 10. वसंत
 डी० गला, इस्माइल बाग, आनंद रोड, मलाड (प०) बम्बई-
 64। (अन्तरिती)

4. अन्तरिती

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो-
 हस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति
 में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
 लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
 की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
 बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
 में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
 बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
 अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
 भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
 में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, जोकि
 एकसर में स्थित, मौजूद पड़ा है और पहले बोरीबली तालुका
 में था, किन्तु अब बृहत् बम्बई में, वांश्वा रजिस्ट्री उप-जिला
 व बम्बई उपनगर जिले में आ गया है, जिसका सर्वे नं० 99,
 हिस्सा नं० 5 है। यह माप से करीब 2 एकड़ 1-3/4 गुंठा
 या 9891 वर्गगज अथवा 8259 वर्ग मीटर है और उत्तर
 की ओर जिसका कुछ भाग उस भूखंड से घिरा हुआ है, जिसका
 सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 1 है एवं वह वामन गणपत पाटिल
 का है, और कुछ भाग उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 99,
 हिस्सा नं० 4 और वह गोविंद नारायण कीणी का है। दक्षिण
 व पश्चिम की ओर उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 95 है और
 वह दादाजी सामंत का है। पूर्व की ओर उस जमीन से
 जिसका सर्वे नं० 99 हिस्सा नं० 5 और वह विष्णु दामोदर
 ठाकर की है और कुछ भाग जी० वी० नि० की जमीन से,
 जिसे वल्लभ नगर कहा जाता है और जिसका सर्वे नं० 98
 है (1/6 हिस्सा) आर० जी० बे०।

आर० जी० नेरूरकर,
 सक्षम प्राधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 1 सितम्बर 1976

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

श्रीमती के० जी० एम० पी० आयुर्वेदिक हास्पिटल बिल्डिंग

नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-400002

बम्बई, दिनांक 7 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०-3/985/जन-76—यतः, मुझे, आर० जी० नेरूरकर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 8 (पार्ट), III सी० टी० एस० नं० 488 (1 से 28) टिका नं० 62 है, जो एकसर पहाड़ी गोरे गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार का कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, तारीख 22-1-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरिलाल गोर्धनदास सोना बाला, सोनावाला बिल्डिंग, 67, मरीन ड्राइव, बम्बई-20

(अन्तरक)

2. 1. राजचंद्र के सागर, द्वारा, सरदार वच्चन सिंह सरदार वच्चन सिंह चाल, ब्लाक नं० 12, सोना बाला मेन रोड, गोरेगांव (पूर्व) बम्बई-63।
 2. रमेश अमृतलाल मेहता, विद्या बिल्डिंग पहला माला, प्लाट नं० 1 एस० वी० रोड, कांदिवली (प०) बम्बई-67।
 3. जगदीश रामकृष्ण मेहता, 127, जवाहर नगर, गोरेगांव (प०) बम्बई-62
 4. महेन्द्रकुमार हिम्मतमल परमार, ए-7, नवजीवन को० आप० हाउ० सो०, 5 वां माला, ब्लाक नं० 18, लिमिगटन रोड, बम्बई-8 (अन्तरिती)
 3. किराएदार के अधिभाग में यह सम्पत्ति (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है)
 4. अन्तरिती (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)
- को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग जो सोना बाला रोड पर सोनावाला स्ट्रीट में, गोरेगांव (पूर्व), गांव एकसर पहाड़ी, जो पहाड़ी भी कहलाती है, रजिस्ट्री जिला व उप जिला बम्बई नगर व बम्बई उपनगर में स्थित है, माप से 10549 वर्गगज (8820 वर्गमीटर) या उसके आसपास है, उस पर खड़ी इमारतों ढोंचों सहित, और जिसका सर्वे सं० 8 (भाग) 3 (भाग) सी० टी० एस० सं० 488 (1 से 28 तक) टिका नं० 62, पहाड़ी गोरेगांव है और इस प्रकार से घिरा हुआ है कि पूर्व में या पूर्व की ओर सार्वजनिक सड़क है, पश्चिम में या पश्चिम की ओर पश्चिम रेल की जायदाद, उत्तर में या उत्तर की ओर सर्वे सं० III (भाग) और दक्षिण में या दक्षिण की ओर सर्वे नं० III (भाग) है।

आर० जी० नेरूरकर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 7 सितम्बर 1976 :

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
 धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
 भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

श्रीमती के० जी० एम० पी० आयुर्वेदिक हास्पिटल बिल्डिंग

नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-400002

बम्बई, दिनांक 1 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०-3/990/जन० 1976—यतः मुझे,
 आर० जी० नेरूरकर,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
 इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख
 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
 कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
 से अधिक है,

और जिसकी सं० सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है, जो एकसर,
 बोरीबली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
 रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब
 रजिस्ट्रार का कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-1-1976
 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
 फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
 कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
 दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से
 अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
 के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
 उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
 किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
 नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
 में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
 और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
 अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
 अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
 जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण
 में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
 अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1.1. श्री माऊराव हरी महले, 2. मालतीबाई भाऊराव
 महले, 3. हेमंत भाऊराव महले, 4. प्रदीप भाऊराव महले,
 5. अरविद भाऊराव महले एकसर, बोरीबली (प०) बम्बई
 (अन्तरक)

2.1. श्री रतीलाल एम० पटेल, 2. लल्लुभाई बी०
 पटेल, 3. धीरजलाल भी० गला, 4. दयालाल एम० मेहता,
 5. कालूचंद एच० शाह, 6. मूलचंद के० रंक, 7. जेथमल के०
 रंक, 8. बाबूलाल पी० जैन, 9. पद्माचंद वी० गला, 10.
 वसंत डी० गला, इस्माइल बाग, आनंद रोड, मलाड (प०)
 बम्बई-64 (अन्तरिती)

3. अन्तरिती

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो-
 हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति
 में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
 कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
 की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
 में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
 किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
 लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
 अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
 हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
 गया है।

अनुसूची

जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, जोकि
 एकसर भू-में स्थित, मौजूद पड़ा है और पहले बोरीबनी तालुका
 में था, किन्तु अब बृहत् बम्बई में, बांद्रा रजिस्ट्री उप-जिला
 व बम्बई उपनगर जिले में आ गया है, जिसका
 सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है। यह माप से करीब 2 एकड़
 1 3/4 गुठा या 9891 वर्गगज अथवा 8259 वर्ग मीटर है और
 उत्तर की ओर जिसका कुछ भाग उस भूखंड से घिरा हुआ है,
 जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 1 है एवं वह वामन गणपत
 पाटिल का है, और कुछ भाग उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं०
 99, हिस्सा नं० 4 और वह गोविंद नारायण कीणी का है।
 दक्षिण व पश्चिम की ओर उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 95
 है और वह दादाजी सामंत का है। पूर्व की ओर उस जमीन
 से, जिसका सर्वे नं० 99 हिस्सा नं० 3 और वह विष्णु दामोदर
 ठाकर की है और कुछ भाग जी० बी० नि० की जमीन से,
 जिसे वल्लभ नगर कहा जाता है और जिसका सर्वे नं० 98
 है (1/6 हिस्सा)।

आर० जी० नेरूरकर
 सक्षम प्राधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 1-9-76
 मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

श्रीमती के० जी० एम० पी० आयुर्वेदिक हास्पिटल बिल्डिंग,
नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-400002

बम्बई, दिनांक 1 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०-3/991/जन०-1976—यतः, मुखे
आर० जी० नेरुरकर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है, जो एम्स, बोरीबली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार का कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-1-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुखे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. हीराजी हरी महले, 2. जानकीबाई हिराजी पहले, 3. हरीश हीराजी महले, 4. रेखा हीराजी महले, 5. प्रतिलाहिरा महले, 6. तंदा हीराजी महले एकसर बोलीबली (प०) बम्बई (अन्तरक)

2. श्री 1. रतीलाल एम० पटेल, 2. लल्लुभाई बी० पटेल, 3. धीरजलाल बी० गला, 4. दयालाल एम० मेहता,

5. कालूचद एन० शाह, 6. मूलचद के० रंक, 7. जेधमल के० रक, 8. बाबूलाल पी० जैन, 9. पन्नाचद वी० गला, 10. वसत डी० गला, इस्माइल बाग, आनंद रोड, मलाड (प०) बम्बई-64 (अन्तरिती)

3. अन्तरिती

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, जोकि एकसर में स्थित है, मौजूद पड़ा है और पहले बोरीबली तालुका में था, किन्तु अब बृहत् बम्बई में, बांद्रा रजिस्ट्री उप-जिला में बम्बई उपनगर जिले में आ गया है, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 5 है, यह माप से करीब 2 एकड़ 1 3/4 गुंठा या 9891 वर्गगज अथवा 8259 वर्ग मीटर है और उत्तर की ओर जिसका कुछ भाग उस भूखंड से घिरा हुआ है, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 1 है एवं वह वामन गणपत पाटिल का है, और कुछ भाग उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 99, हिस्सा नं० 4 और वह गोविंद नारायण कीणी का है। दक्षिण पश्चिम की ओर उस भूखंड से, जिसका सर्वे नं० 95 है और वह दादाजी सांमंत का है। पूर्व की ओर उस जमीन से जिसका सर्वे नं० 99 हिस्सा नं० 3 और वह विष्णु दामोदर ठाकर की है और कुछ भाग जी० बी० नि० की जमीन से, जिसे वल्लभ नगर कहा जाता है और जिसका सर्वे नं० 98 है (1 1/2 हिस्सा)।

आर० बी० नेरुरकर

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3 बम्बई

तारीख : 1-9-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

आयुर्वेदिक हास्पिटल बिल्डिंग,

नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-400002

बम्बई दिनांक 2 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०-1/1492-6/जन०-76---यतः, मुझे,
वी० आर० अमीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एन० नं० 7261, सी० एस० नं० 127 का कांबाला मलबार्ड हिल डिवीजन है, जो बालकेश्वर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-1-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रवीनचद द्वारिकादास (अन्तरक)
2. पमीर को० आप० हाउ० सो० लि० (अन्तरिती)

3. 1. श्री मधुकांत एन० शाह
2. श्री हरगोविंद दास, बी० सागर और श्रीमती इंदिरा बेन एच० सागर
3. श्री बाबूलाल एम० जाजू
4. श्री पोपटलाल एम० शाह और श्री वसंतलाल पी० शाह

14-256जीआई/76

5. श्री बालूभाई मोहनलाल

6. श्रीमती अंजुलाबेन मंजुलाबेन जयन्तिलाल और श्री जयन्तिलाल के० बोरा

7. श्रीमती हीरालक्ष्मी जे० मोदी

8. श्री चन्द्रलाल एम० गांधी

9. श्री जयेंद्र धीरजलाल

10. श्रीमती पद्मावती धीरजलाल

11. श्री महेश जी० झवेरी

12. श्रीमती मंगला गौरी द्वारकादास

13. श्री दिलीप कुमार जी० दलाल

14. श्री चन्द्रकांत जी० पटेल

(यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पूर्व स्वामित्व की जमीन का वह तमाम टुकड़ा या भाग, उस पर खड़ी वाड़ियों, किराए के आवासों का निवास घरों सहित, जो बालकेश्वर, बम्बई द्वीप और रजिस्ट्री उप-जिले में स्थित, मौजूद पड़ा हुआ है, ताज पैमाइश से चार सौ दस वर्ग गज यानी 340.80 वर्ग मीटर के बराबर या आसपास थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, और भूराजस्व कलेक्टर के यहाँ पुराने सं० 39 और नए सर्वे नं० 7261 से दर्ज है और जिसका मलबार हिल डिवीजन कलेक्टर सर्वे नं० 127 है, एवं महानगर पालिका द्वारा जी० वार्ड नं० 3120 स्ट्रीट नं० नं० 258.60 बालकेश्वर रोड के अधीन निर्धारित होता है और उत्तर-पश्चिम की ओर नाथुराम राम नारायण प्रा० लि० की जायदाद, उत्तर-पूर्व की ओर कुबलिया राजस्व श्रीमती नर्वादाबाई केशवजी की जायदाद, पश्चिम की ओर नवी चाल, और दक्षिण की ओर श्रीमती मंगलागौरी द्वारका दास एवं अन्य ट्रास्टियों की गंगा निवास नामक जायदाद से तथा पूर्व की ओर बालकेश्वर रोड से घिरा हुआ है।

वी० आर० अमीन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख 2 सितम्बर 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

आयुर्वेदिक अस्पताल बिल्डिंग,

नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-2

बम्बई, दिनांक 10 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई०-1/1507-11/जन०-76—यत्., मुझे, श्री आर० अमीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 940 ए० वार्ड नं० 23 डी० फोड डिवीजन है, तथा जो डा० डी० एन० रोड बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-1-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. बीना इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि० (अन्तरक)
2. गैलानी कन्स्ट्रक्शंस कं० प्रा० लि० (अन्तरिती)

3. 1. डा० एस० बी० शिरवियाकर
2. श्री जान सोलोमन
3. श्री कस्तूरी लाल ए० भाटिया
4. श्री अरुम डी० भाटिया
5. श्री जहांगीर डी० मानजी
6. श्री सिलवर जुबली कुल्ब
7. श्री ताहेर नायब सोनी
8. श्री जमील अहमद
9. श्री अरशद हुसैन
10. श्रीमती अनवरी अलीम और श्री बली ।
(जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्वामित्व पट्टे की जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा, या भाग उस पर स्थित "डबल हाऊस" नामक ताडी किराए के आवास का निवास घर सहित जो दादाभाई नारोजी रोड पर मौजूद है, नाप से 156 वर्ग गज यानी 130.43 वर्ग मीटर या उसके आस पास है और रजिस्ट्री उप-जिला, बम्बई नगर व बम्बई उप नगर में स्थित है और जिसका कंडेस्ट्रल सर्वे नं० 940, फोर्ट डिवीजन और महानगर पालिका ए-वार्ड नं० 2360, स्ट्रीट नं० 197-198 है।

श्री० आर० अमीन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 10 सितम्बर 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निर्देश सं 141/76- 77/एसीक्यू--यतः मुझे, एस० नरसिंहन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 1977 है, जो गणपत गल्ली, बेलगम में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगम डाक्युमेंट नंबर 3227 के अन्तर्गत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-2-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. (1) श्री केशव हनुमंत जमखंडी
- (2) श्री आनंद केशव जमखंडी
- (3) श्री श्रीनिवास केशव जमखंडी
- (4) श्री वेंकटेश केशव जमखंडी, सभी महादेव गल्ली, बेलगम के रहवासी (अन्तरक)

2. श्री रामचन्द्र हनुमंत जाधव मार्फत मेसर्स, रामचंद्र हनुमंत जाधव पुस्तक व्यापारी और प्रकाशक गणपत गल्ली, बेलगम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्थिर आस्ति जिसमें दुकान, गोडाऊन, खाली जगह है जिसके सर्वे नंबर 1977 है, जिसका विस्तीर्ण 156 चदरवाई है, जो गणपत गली बेलगम में उपस्थित है।

एस० नरसिंहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 13-9-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, धारवाड़ कार्यालय

धारवाड़, दिनांक 13 सितम्बर 1976

निर्देश सं० 140/76-77/ए० सी० क्यू—यतः, मुझे,
एस० नरसिंहन्,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है,
और जिसकी सं० लैंड रजिस्टर नं० 20781 (पणजी) है, जो गोवा
बेलहा में स्थित है और (इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पणजी में डाकयुमेट नं० 15
के अन्तर्गत तारीख 6-1-1976 के दिन में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों,
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री फिलिप कस्टोडियो लोबो और उसकी पत्नी श्रीमती
मेरिया पार्लमिरा मार्सेलिना लोबो समोलिम, बाडेंस (गोवा)
के रहवासी। (अन्तरक)
2. श्री दशरथ यशवंत सावंत बेरेम, रीस भगोस, बाडेंस,
गोवा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

स्थिर आस्ती जिसमें नारियल के पेड़, रहने का घर,
नौकरों का घर जो उप जिला इल्हास (गोवा) के गोवा बेलहा
में उपस्थित हैं 'ओन्लीचेम भाट' या 'फ्रागोसो भाट' नाम से
कहलाया जाता है और जिसकी सीमाएं इस प्रकार के हैं :-
पूर्व दिशा में—जगह जिसके मालिक कृष्णा सिनाय थे, अब
एस० जे० कामत संकवलीकर हैं।
पश्चिम दिशा में—कमुनिडेड गोवा बेलहा के पेडी का खेत।
उत्तर दिशा में—अन्तर भाग का बचा हुआ जगह जो 'ओन्लीचेम
भाट' कहलाया जाता है।
दक्षिण दिशा में—अगासिम—पणजी सार्वजनिक रास्ता।

एस० एन० नरसिंहन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 13-9-1976 :

मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 23rd August 1976

No. P/1876-Admn.I.—On transfer from the Government of Maharashtra, Smt. Rani Jadhav, an officer of the I.A.S., assumed charge of the office of Under Secretary, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 11th August, 1976, until further orders.

A. N. KOLHATKAR
Under Secy.
Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMN. REFORMS)
ENFORCEMENT DIRECTORATE

New Delhi, the 13th August 1976

No. 25/4/76.—The following Assistant Enforcement Officers have been appointed to officiate as Enforcement officers in this Directorate w.e.f. the date of their assumption of charge and until further orders.

Their places of posting and dates of assumption of charge are indicated against each :—

Name	Place of posting	Date of assumption of charge
S/Shri		
1. S. L. J. Gallyot	Bombay	29-7-76 (FN)
2. S. L. Haldar	Varansi	26-7-76 (AN)
3. Gokal Chand	Jaipur	19-7-76 (FN)
4. G. S. Sood	Calcutta	17-7-76 (FN)
5. Sahdev Gupta	Jullundur	19-7-76 (FN)
6. R. K. S. Nim	Jullundur	12-7-76 (FN)

J. N. ARORA
Deputy Director (Admn).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 1st September 1976

CORRIGENDUM

No. O-II-31/76-Estt.—Para 2 of this Directorate General notification of even number dated 24-7-76 may please be amended to read as under :—

Shri Trivedi took over charge of the post of D.I.G. in the office of I.G.P. Sector II, C.R.P.F. Calcutta on the forenoon of 7th July 1976.

The 2nd September 1976

No. A.VI-9/76-Estt.—Shri R. N. Agarwal, Office Supdt. of the C.R.P. Force is promoted as Section Officer on *ad-hoc* basis in the Directorate General, C.R.P. Force, New Delhi with effect from the forenoon of 31-7-1976.

No. O-II-237/69-Estt.—On the expiry of 89 days LPR granted to him, Shri Boor Singh, Dy. S.P. (Coy. Comdr.) 36th Bn., C.R.P.F. will stand retired from Govt. service w.e.f. the afternoon of 5-11-1976.

The 6th September 1976

No. O.II-1048/75-Estt.(CRPF)—The Director General, CRPF, is pleased to appoint Dr. Choudhury Kshirod Chandra Das, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on *ad-hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 21st Aug., 1976.

No. O-II-906/73-Estt.—The President is pleased to accept the resignation tendered by Dr. Saroj Kumar Mohapatra, J.M.O. 12th Bn. C.R.P.F. w.e.f. the afternoon of 2nd July 1976.

The 8th September 1976

No. O-II-972/74-Estt.(CRPF)—The President is pleased to accept the resignation tendered by Dr. Kailash Chandra Panda, J.M.O. 40th Bn., C.R.P.F. w.e.f. the forenoon of 17th June, 1976.

No. O-II-985/72-Estt.—Consequent on the expiry of LPR for 89 days, Shri Nawal Singh Dy. S.P. (Coy. Comdr.) 22nd Bn. CRP Force retired from Govt. service on the afternoon of 3-8-1976.

The 9th September 1976

No. T-IX-9/76-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion Subedar Vasdev Bhanot as Dy. S.P. (Coy. Comdr./Q.M.) in the CRPF w.e.f. the forenoon of 29-7-76 in a temporary capacity against a short term vacancy until further orders.

2. He is posted to 1st Sig. Bn., CRPF and has taken over charge of his post on the forenoon of the same date.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 9th September 1976

No. 11/10/76-Ad.I.—In continuation of this office notification No. P/K(1)-Ad.J dated, 28th February 1976, the President is pleased to continue the reemployment of Shri H. S. Kwatra as Deputy Director of Census Operations, Punjab for a further period of six months with effect from 1st September 1976.

No. 11/10/76-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Jagdish Singh, Assistant Director of Census Operations (Technical), as Deputy Director of Census Operations, in the office of the Director of Census Operations, Delhi, on an *ad-hoc* basis, with effect from the forenoon of the 28th August, 1976 upto the 28th February, 1977.

The headquarters of Shri Jagdish Singh will be at Delhi.

BADRI NATH
Deputy Registrar General, India &
ex-officio Deputy Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

INDIA SECURITY PRESS

Nasik Road, the 4th September 1976

No. 779/A.—The undersigned hereby appoints Shri S. T. Pawar, Inspector Control, C.N.P., Nasik Road (Class III non-Gazetted), to officiate as Deputy Control Officer (Class II Gazetted post) in New Currency Note Press in the revised scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the leave vacancy of Shri S. V. Chandwadkar, Dy. Control Officer with effect from 3-9-1976.

No. 780/A.—The undersigned hereby appoints the following Inspectors Control (Class III non-Gazetted), India Security Press, Nasik Road as Deputy Control Officers (Class II Gazetted post) in India Security Press, in the revised scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on short-term officiating basis with effect from 2nd September, 1976.

1. Shri J. H. Sayyed
2. Shri R. Venkataraman

N. RAMAMURTHY
Sr. Dy. General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
CENTRAL REVENUES

New Delhi, the 26th August/3rd September 1976

No. Admn.I/5-5/Promotion/76-77/1543.—The Accountant General, Central Revenues, New Delhi has appointed Shri K. B. Mathur, permanent Section Officer of this office to officiate as Accounts Officer in the time scale of Rs. 840—1200 w.e.f. 24-8-1976 (F.N.).

The 26th August/4th September 1976

No. Admn.I/5-5/Promotion/76-77/1531.—The Accountant General, Central Revenues, New Delhi has appointed Shri N. K. Nagar, permanent Section Officer of this office to officiate as Accounts Officer in the time scale of Rs. 840—1200 w.e.f. 23-8-1976 (F.N.).

The 8th September 1976

No. Admn. I/5-5/Promotion/76-77/O.O. 95/1591.—Consequent upon his attaining the age of superannuation (58 years), Shri O. P. Tyagi, A.O. (Permanent) of this office retired from Government Service w.e.f. 31-8-76 (A.N.).

His date of birth is 1-8-1918.

H. S. DUGGAL
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
KARNATAKA

Bangalore, the 9th August 1976

No. ESI/A4-76-77/391.—Shri K. S. Venkatasubba Rao, Officiating Accounts Officer of the Office of the Accountant General, Karnataka Bangalore is appointed in substantive capacity in the grade of Accounts officer with effect from 1-7-76 in the same office.

D. H. VEERAI AH
Accountant General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, WEST
BENGAL

Calcutta-700001, the 31st August/7th September 1976

No. Admn.I/1038-IV/2712.—The Accountant General, West Bengal has been pleased to appoint the following permanent Section Officers to officiate as Accounts Officers in temporary and officiating capacity with effect from 1-9-76 or with effect from the date/dates on which they actually take over charge thereafter as Accounts officer in this office until further orders :—

S/Shri

1. Nani Gopal Chakraborty
2. Sudhir Chandra Halder
3. Swadesh Ranjan Bhattacharjee.

Shri Sudhir Chandra Halder on being released by D.A.G. (Admn.) office of the A.G. Central may report to Sr. Deputy Accountant General (Admn.) of this office to take over his new assignment as Accounts Officer in this office.

The inter-se-seniority of the officers will be indicated in due course and will not depend on the dates of taking over charge as Accounts Officers.

GHANSHIAM DAS
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)
West Bengal

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
KERALA

Trivandrum, the 2nd September 1976

No. Estt.A/V/VII/9-86/Vol.II/132.—The Accountant General, Kerala is pleased to appoint the following permanent Section Officers (Audit and Accounts) to officiate as Accounts Officers in the same office with effect from the dates shown against each, until further orders.

1. Shri Abraham Thomas—31-8-1976 A.N.
2. Shri P. V. Sebastian—31-8-1976 A.N.

R. S. AIER
Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
COMMERCE, WORKS & MISCELLANEOUS

New Delhi, the 6th September 1976

No. Admn.I/2(4)/2671-80.—The Accountant General, Commerce, Works & Misc., New Delhi has been pleased to promote on temporary and provisional basis Shri G. S. Mittal, Permanent Section Officer as an Accounts Officer in the office of the A.G.C.W. & M., New Delhi with effect from 11-8-76 (F.N.) until further orders.

B. B. DEB ROY
Sr. Dy. Accountant General (A)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
MADHYA PRADESH II

Gwalior, the 7th September 1976

No. OE VI/PF-NSK/1069.—Shri Narayan Shankar Rao Kapse a permanent Accounts Officer, in the office of the Accountant General, Madhya Pradesh II, Gwalior, retired from Govt. service on attaining the age of superannuation, w.e.f. 31-8-76 (A.N.).

M. M. NARSINGHANI
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, NORTHERN
RAILWAY

New Delhi-110001, the 8th September 1976

No. Admn/17-14/72.—Shri Om Narain Kapoor, Section Officer (Audit) a permanent member of subordinate Railway Audit Service is appointed to officiate as Audit Officer at Railway Electrification Allahabad and R.D.S.O. Lucknow w.e.f. 23rd July 1976 (F.N.) until further orders.

K. S. RANGAMURTI
Chief Auditor

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE
CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110022, the 6th September 1976

No. 18360/AN-II.—On his selection for appointment to the Indian Administrative Service, Shri M. L. Tayal, Assistant Controller of Defence Accounts, has been struck off the strength of the Department with effect from 10-7-1976 (AN).

The 8th September 1976

No. 18258/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri C. G. Ramanathan, Assistant Controller General of Defence Accounts, will be transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department from 28-2-1977 (AN).

(2) Shri C. G. Ramanathan has been sanctioned leave pending retirement with effect from 1-11-76 to 28-2-77.

CORRIGENDUM

(3) Notification bearing this office even No. dated 13-7-76 published in the Gazette of India No. 33 dated 14-8-76 in

Part III, Section 1 page 7123 in respect of Shri C. G. Ramanathan, A.C.G.D.A., is hereby cancelled.

No. 18225/AN-II.—On attaining the age of 52 years, Shri S. P. Khanna, Assistant Controller General of Defence Accounts, will be transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department with effect from 31-3-77 (AN).

P. K. RAMANUJAM
Additional Controller General of Defence
Accounts (Admin.)

New Delhi, the 31st August 1976

No. 40011(2)/76/AN-A.—(1) The undermentioned Accounts Officers will be transferred to the pension establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation.

Serial Number	Name with Roster No.	Grade	Date from which transferred to pension establishment	Organisation
Sarvashri				
1.	M. Parameswaran Nair (P/127)	Permanent Accounts Officer.	31-10-1976	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.
2.	Gauri Shankar Mathur (P/412)	Permanent Accounts Officer.	31-3-1977	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun—on deputation with IARI, New Delhi.
3.	K. C. Mani (P/479)	Permanent Accounts Officer.	31-3-1977	Controller of Defence Accounts (Air Force) —On deputation with NCC Directorate, Kerala, Trivandrum.
4.	S. H. Damle, (P/494)	Permanent Accounts Officer.	31-3-1977	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
5.	Bhagat Ram Sharma (P/632)	Permanent Accounts Officer.	31-3-1977	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun.
6.	Dharam Bir Abrol (O/251)	Officiating Accounts Officer.	31-1-1977	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) —North, Meerut.
7.	K. K. Neelakantan (NYA)	Officiating Accounts Officer.	31-1-1977	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) —South, Madras.

(2) Having given notice of voluntary retirement from service under the provisions of Article 459(i) Civil Service Regulations, Volume I, Shri T. S. Vaideeswaran, Officiating Accounts Officer (Roster No. 0/85) serving in the organisation of the Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras will be transferred to the pension establishment with effect from the afternoon of 28th February, 1977.

Shri T. S. Vaideeswaran has been granted earned leave for 42 days from 1-3-77 to 11-4-77 and half pay leave for 110 days from 12-4-77 to 30-7-77 beyond the date of voluntary retirement under Rule 39(6) of the Central Civil Services (Leave) Rules 1972.

(3) The following is added as sub para to para (2) of this department notification bearing No. 40011(2)/75-AN-A dated 2-6-76 :—

“Shri P. N. Srinivasan has been granted 17 days earned leave from 10-5-76 to 26-5-76 and Half pay leave for 106 days from 27-5-76 to 9-9-76 beyond the date of voluntary retirement under Rule 39(6) of the Central Civil Services (Leave) Rules 1972”.

S. V. SUBRAMANIAN
Dy. Controller General of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF DEFENCE**INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE****DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES**

Calcutta-16, the 2nd September 1976

No. 66/76/G.—On attaining the age of superannuation, the undermentioned officers retired from service with effect from the dates shown against each :—

- Shri N. C. Sengupta, Offg. O.S. (Permt. A.S.O.—31st July 1976 (A/N).
- Shri D. P. Srivastava, Permt. O.S.—31st July 1976 (A/N).

The 6th September 1976

No. 67/76/G.—On expiry of leave preparatory to retirement, Shri K. M. G. Nair, Offg. Assistant Manager (Subst. & Permt. Foreman) retired from service with effect from 30th June, 1976 (A/N)

No. 68/76/G.—On expiry of leave preparatory to retirement, Shri Lucas Reis, Subst. and Permt. Manager, retired from service with effect from 30th April, 1976 (A.N.).

No. 69/76/G.—On attaining the age of superannuation (58 years), Shri A. R. Irani, Offg. Asstt. Manager (Subst. and Permt. Foreman), retired from service with effect from 31st May, 1976 (A.N.).

M. P. R. PILLAI
Asstt. Director General, Ord. Fys.

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE-GENERAL OF MINES SAFETY

Dhanbad, the 3rd September 1976

No. 2A(2)76-Adm.I/18926.—Shri Jai Prakash Kashyap has been appointed as Assistant Director of Mines Safety in the Directorate-General of Mines Safety on probation for two years with effect from the forenoon of 16th June, 1976.

(Sd./-) ILLEGIBLE
Director-General.

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL
(ESTABLISHMENT)

No. 6/755/65-Admn(G)/5663.—Shri B. N. Ramarathnam, Controller of Imports and Exports in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay who was on deputation to Santa Cruz Electronic Export Processing Zone, Bombay expired on 13-7-1976

A. S. GILL
Chief Controller of Imports & Exports

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS
(DEPARTMENT OF SUPPLY)

(Administration Section A-1)

New Delhi-1, the 1st September 1976

No. A-1/1(886).—Shri N. L. Parmeswaran, permanent Dock Inspector and officiating as Assistant Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies and Disposals.

The 6th September 1976

No. A-6/57(8).—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints the following officiating Assistant Inspecting Officers (Met.) substantively against the permanent posts of Asstt. Inspecting Officers (Met.) with effect from the dates noted against each :—

S. No.	Name	Post held at present	Permanent post in which appointed substantively	Date of substantive appointment
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	C. P. Sinha	Asstt. Inspecting Officer (Met.)	Asstt. Inspecting Officer (Met.)	12-8-1965
2.	S. K. Nag	Do.	Do.	1-4-1969
3.	R. K. Palit	Do.	Do.	23-12-1969
4.	S. Sen Gupta	Do.	Do.	Do.
5.	M. M. Bagchi	Do.	Do.	Do.
6.	A. K. Majumdar	Do.	Do.	Do.
7.	S. K. Majumdar	Do.	Do.	Do.
8.	D. K. Paul	Do.	Do.	Do.
9.	K. S. K. Raman	Do.	Do.	Do.
10.	V. Srinivasulu	Do.	Do.	Do.
11.	P. K. Guha	Do.	Do.	Do.
12.	A. K. Chatterjee	Do.	Do.	Do.

Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 1976 under FR. 56(k).

No. A-1/1(1054).—The Director General, Supplies & Disposals hereby appoints Shri Dev Raj, Junior Progress Officer in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director (Grade II) in the same Dte. General at New Delhi with effect from the forenoon of 6th August, 1976 and until further orders.

2. The appointment of Shri Dev Raj as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and subject to the result of Civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppaswamy in the High Court of Delhi.

K. L. KOHLI
Deputy Director (Administration)
for Director General, Supplies & Disposals

New Delhi-1, the 6th September 1976

No. A-1/1(485).—The President is pleased to appoint Shri C. A. Venkateswaran, Assistant Director (Grade II) in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi to officiate as Assistant Director (Grade I) in the same Dte. General with effect from the forenoon of 13th August, 1976.

2. Shri Venkateswaran will be on probation for one year from 13-8-76 to 12-8-77.

K. L. KOHLI
Deputy Director (Administration)

(Admn. Sec. A-6)

New Delhi, the 26th August 1976

No. A-6/247(58)/57-II.—On reversion from Grade II of IIS (Engg. Branch) Group A to the grade III of this service, Shri M. C. Aich relinquished the charge of the post of Dy. Director of Inspection (Engg.) and assumed charge of the post of Inspecting Officer (Engg.) in the Inspection Circle Calcutta from the forenoon of 11-6-76.

The 1st September 1976

No. A-6/247(414).—Shri M. R. Alvi, a permanent Examiner of Stores (Engg.) and officiating Asstt. Inspecting Officer of this Directorate General of Supplies and Disposals who was on deputation to ISM London as Technical Officer (Grade III) has been dismissed from Govt. service.

1	2	3	4	5
	S/Shri	Asstt. Inspecting Officer (Met.)	Asstt. Inspecting Officer (Met.)	23-12-1969
13.	R. N. Puri	Do.	Do.	Do.
14.	C. S. Bharj	Do.	Do.	Do.
15.	S. S. Sharma	Do.	Do.	Do.
16.	K. P. Pillai	Do.	Do.	Do.
17.	M. M. Sarkar	Do.	Do.	Do.
18.	P. Chatterjee	Do.	Do.	Do.
19.	B. K. Das	Do.	Do.	15-7-1971
20.	A. S. Rana	Do.	Do.	Do.
21.	C. K. S. N. Rao.	Do.	Do.	Do.
22.	V. Raghavindram	Do.	Do.	Do.
23.	R. S. Dubey	Asstt. Director Inspection (met.)	Do.	17-1-1974
24.	S. D. S. Rawat	Asstt. Inspecting Officer (Met.)	Do.	29-1-1974
25.	B. M. Khurana	Do.	Do.	1-11-1974

SURYA PRAKASH
Dy. Director (Administration)
For Director General of Supplies and Disposals

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS
(DEPARTMENT OF SUPPLY)

New Delhi, the 6th September 1976

O.O. No. Admn(CDN)/35.—On attaining the age of Superannuation, Shri I. J. Chawla, a permanent Accounts Officer in the Office of the Chief Controller of Accounts, Department of Supply, New Delhi has retired from service with effect from the afternoon of 31-8-76.

P. P. GANGADHARAN
Chief Controller of Accounts

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12, the 4th September 1976

No. F.70-2/74-Estt./16312.—On the recommendation of the D.P.C., Smt. Manika Guha, Senior Zoological Assistant, working as Assistant Zoologist on *ad-hoc* basis in the Zoological Survey of India, is appointed to officiate as Assistant Zoologist in the same Department with effect from 12th August, 1976, on regular basis in the scale of pay of Rs. 650—1200, until further orders.

DR. S. KHERA
Joint Director-in-Charge,
Zoological Survey of India

MINISTRY OF STEEL & MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

IRON & STEEL CONTROL

Calcutta-20, the September 1976

No. EI-2(2)/71.—Shri Sudhir Kumar Chandra, Superintendent, is hereby appointed to officiate in the post of Deputy Assistant Iron & Steel Controller with effect from September 1, 1976 (F.N.) *vice* Shri Sunil Kumar Roy, proceeded on leave.

T. GHOSH
Iron & Steel Controller

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 1st September 1976

No. 10/15/76-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to promote and appoint Shri Y. Johnson from Senior Engineering Assistant to the Cadre of Assistant Engineer at All India Radio, Mangalore in an officiating capacity with effect from 2-8-76 (F.N.).

HARJIT SINGH
Deputy Director of Administration
for Director General

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 1st September 1976

No. C-5132/579-A.—Shri Radhey Shyam Sharma, officiating as Establishment and Accounts Officer, Surveyor General's Office, Survey of India (Group 'B' Service) is confirmed in his appointment with effect from 1st December 1975.

The 2nd September 1976

No. E1-5132/825-Officers.—Shri Parimal Das Gupta, retired Assistant Head Engraver, Eastern Circle in the revised scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in Group 'B' (Non-Gazetted) is re-employed as Assistant Head Engraver @ Rs. 650/- p.m. reduced by Rs. 92/- on his re-employment in the Engraving Section, Eastern Circle, Survey of India, Calcutta w.e.f. 13-4-1976 (FN) for a period of 3 months upto 12-7-1976 (AN).

K. L. KHOSLA
Major General
Surveyor General of India

New Delhi, the 1st September 1976

No. 6(88)/63-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri A. C. Majumdar, Transmission Executive, Doordarshan Kendra, Calcutta, at Programme Executive, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Cuttack in a temporary capacity with effect from the 5th August, 1976 and until further orders.

No. 5(35)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri A. N. Chattopadhyay, Transmission Executive, Doordarshan Kendra, Calcutta as Programme Executive, All India Radio, Calcutta in a temporary capacity with effect from the 12th July, 1976 and until further orders.

The 2nd September 1976

No. 5(31)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. K. Mitra, Transmission Executive, Upraha Doordarshan Kendra, New Delhi as Programme Executive, All India Radio, New Delhi in a temporary capacity with effect from the 17th August, 1976 and until further orders.

P. K. SINHA
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi-1, the 2nd September 1976

No. 2/4/68-SII.—In supersession of this Directorate's Notification No. 2/4/68-SII dated 22-5-76, Shri M. D. Dwivedi, Administrative Officer (*ad-hoc*), News Services Division, All India Radio, New Delhi is granted an extension in service beyond the age of superannuation for a period of one year with effect from 1-4-76 to 31-3-77.

No. A-12026/2/76-SV.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri P. L. Sharma, Senior Investigator, Central Statistical Organisation, Department of Statistics, Ministry of Planning, New Delhi to the post of Statistical Officer in the Directorate General, All India Radio, New Delhi in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—40—1000—EB—40—1200 on deputation, on *ad hoc* basis from 24-8-76 to 31-12-1976, *vice* Shri N. P. Varia, Statistical Officer sent on deputation for appointment as Economist in the Department of Coal, Ministry of Commerce, New Delhi.

S. V. SESHADRI
Deputy Director of Administration
for Director General

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Lucknow, the 4th September 1976

INCOME-TAX DEPARTMENT

No. 168.—Shri R. N. Gupta, Inspector, Office of the IAC, Varanasi has been promoted to officiate as Income-tax Offi-

cer, Class II (Group B) in the Pay Scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200. On promotion he joined as ITO, G-Ward, Circle I, Varanasi, on 15-6-1976 in the forenoon.

No. 169.—Shri V. N. Singh, Inspector, I.T. Office, Circle II, Lucknow has been promoted to officiate as Income-tax Officer, Class II (Group-B) in the Pay Scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200. On promotion he joined as Income-tax Officer Head Quarters Tech. I, Office of the Commissioner of Income-tax, Lucknow on 14-6-1976 in the forenoon.

No. 170.—Shri Mukand Lal Agarwal, Inspector, Office of the Tax Recovery Officer, Bareilly has been promoted to officiate as Income-tax Officer, Class II (Group-B) in the Pay Scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200. On promotion he joined as Income-tax Officer, F-Ward, Moradabad on 15-6-1976 in the forenoon.

No. 171.—Shri Jagram Kanojia, Inspector, Audit Party, Office of the IAC (Audit), Lucknow, has been promoted to officiate as ITO, Class II (Group-B), in the Pay Scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200. On promotion he joined as Public Relations Officer, Office of the Commissioner of Income-tax, Lucknow, on 10-6-1976 in the forenoon.

S. K. LALL
Commissioner of Income-tax,
Lucknow.

FORM ITNS

(1) Shri Safdar Ali Khan.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Bashiruddin.

(Transferee)

(3) Seller.

(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Lucknow, the 27th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 69-B/IAC(Acq.).—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 195/28/1 situated at Gola Ganj Jagat Narain Road, Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 5-1-1976,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

House No. 195/28/1 situate at Gola Ganj Jagat Narain Road, Lucknow.

A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

Date : 27-8-1976
Seal :

FORM ITNS—

- (1) Smt. Sheo Kumari Devi and others. (Transferor)
 (2) Smt. Subhashni Devi. (Transferee)
 (3) Sellers. (Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
 ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 27th August 1976

Ref. No. 130-S/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 222/Y situated at Mauja Nagwa Pargna Dehat Amanat, Varanasi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Varanasi on 4-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot No. 222/Y measuring 1.46 Acre, situated at Mauja Nagwa Pargna Dehat Amanat Teh. and Distt. Varanasi.

A. S. BISEN,
 Competent Authority,
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
 Acquisition Range, Lucknow.

Date : 27-8-1976
 Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Mahendra Singh & others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Jasbir Singh

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Transferee

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

(4) Personal

(Person whom the undersigned knows
to be interested in the property)

Lucknow, the 28th August 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property may
be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

Ref. No. 37-J/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
Khasra No. 732/2 etc. situated at Mauja Sirauli Tula Parg
Rudrapur Teh Kichha Distt. Nainital
(and more fully described in the Schedule annexed here-
to), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer
at Haldwani on 21-1-1976
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as are
defined in Chapter XXA of the 'said Act',
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the 'said Act' in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);A land bearing No. 732/2, etc. measuring 14/6/10 Bighas
situated at Mauja Sirauli Tula Teh. Kichha Pargna Rudrapur
Distt. Nainital.A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of Section 269D of the 'said Act', to the following per-
sons, namely :—

Date : 28-8-1976

Seal :

FORM ITNS ———

(1) Shri Swami Swarupa Nand Shagun.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Kamla Devi Trivedi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Seller.

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Lucknow, the 28th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. 58-K/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 563/18 situated at Chitra Gupta Nagar, Lucknow

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 20-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A house No. 563/18 situated at Chitra Gupta Nagar, Lucknow.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 28-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Mahendra Singh & others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Ajit Singh.

(Transferee)

(3) Transferee.

(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

(4) Personal.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Lucknow, the 28th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 68-A/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Khasra No. 732/2 etc. situated at Mauja Sirauli Tula, Teh. Kichha Distt. Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Haldwani on 24-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A land bearing no. 732/2 etc. measuring 14/6/10 Bighas situated at Mauja Sirauli Teh. Kichha, Distt. Nainital.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 28-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Raicndra Prasad Gupta,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Aditya Kumar Dalmiya.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

(3) Seller.

(Person in occupation of the property)

Lucknow, the 28th August 1976

Ref. No. 69-A/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Bandobasti No. 791, 5375 sq. ft. situated at Mauja Saraunandan Parg. Dehat Amanat Distt. Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 29-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Bandobasti No. 791 measuring 5375 sq. ft. which is situated at Mauja Sarau Nandan, Pargna Dehat Amanat Distt. Varanasi.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 28-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Babual Devi and others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri. Murlimal and others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Seller.

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOWObjections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Lucknow, the 28th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;

Ref. No. 85—M/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 123 situated at Mauja Ramapura Pargana Dehat
Amanat, Varanasi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Varanasi on 23-1-1976,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif-
teen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
the publication of this notice in the Official
Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as
given in that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the 'said Act', in
respect of any income arising from the transfer; and/
or(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A plot No. 123 measuring 4895 sq. ft. situated at Mauja
Ramapura, Parg. Dehat Amanat, Varanasi.A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
Section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—
16—256G1/76

Date : 28-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Sh. Rajendra Prasad Gupta.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Manju Devi Dalmiya.

(Transferee)

(3) Seller.

(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 28th August 1976

Ref. No. 84—M/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Bandobasti No. 791 and 792, 5,500 sq. ft. situated at Mauja Sarai Nandan, Parg. Dehat Amanat, Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Varanasi on 29-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing No. 791 and 792 measuring 5,500 sq. ft. which is situated at Mauja Sarai Nandan Pargana Dehat Amanat Distt, Varanasi.

A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 28-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Savitri Devi and others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Shyamji Singh.

(Transferee)

(3) Transferor.

(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 28th August 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. 131-S/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. CK 63/68A situated at Chhoti Piyahi, Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 7-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfers with the object of :—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

House No. C.K. 63/68-A, situate at Mohalla Chhoti Piyahi, Varanasi.

A. S. BISEN.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Date : 28-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta-16, the 23rd August 1976

Ref. No. 350/Acq.R-III/76-77/Cal/544.—Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 140/19 situated at Netaji Subhas Chander Bose Road, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Alipore on 20-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) on the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Indu Vatal,
140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road,
Calcutta-40.
(Presently at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Transferor)
- (2) Nirode Baran Banerjee
2, Sadar Hospital Road, Hazaribagh, Bihar.
(Transferee)
- (4) Sri Ratan Vatal, Sri Ranjit Vatal and Smt. Parvati Vatal,
140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta-40.
(Now at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The 1th undivided share of land measuring 12 cottahs 15 chittacks and 11 sq. ft. together with a 2-storeyed building, outhouses garages, compound walls etc. situated at 140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta as registered under deed No. I-293 of 1976 date 20-1-1976.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 23-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 23rd August 1976

Ref. No. 351/Acq.R-III/76-77/Cal/538.—Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 140/19, situated at Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Alipore on 16-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Srimati Parvati Vatal,
140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road,
Calcutta-40.
(Presently at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Transferor)
- (2) Shri Nirode Baran Banerjee,
2, Saddar Hospital Road, Hazaribagh, Bihar.
(Transferee)
- (4) Sri Ratan Vatal, Sri Ranjit Vatal and Indu Vatal,
140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta,
(Presently at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Person whom the undersigned knows
to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The 4th undivided share of land measuring 12 cottahs 15 chittacks and 11 sq. ft. together with a 2 storied building outhouses garages, compound walls etc. situated at 140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta as registered under deed No. 1-212 of 1976 date 16-1-1976.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, 54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16.

Date : 23-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Ratan Vatal,
140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road,
Calcutta.
(Presently at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Nirode Baran Banerjee,
2, Saddar Hospital Road, Hazaribagh, Bihar.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

(4) Sri Ranjit Vatal, Smt. Parvati Vatal and Indu Vatal,
140/19, Netaji Subhas Ch. Bose Road, Calcutta.
(Presently at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Person whom the undersigned knows
to be interested in the property)

Calcutta, the 23rd August 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. 352/Acq.R-III/76-77/Cal/541.—Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 140/19, situated at Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Alipore on 16-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax

The 4th undivided share of land measuring 12 cottahs 15 chittacks and 11 sq. ft. together with a 2-storied building, outhouses, garages, compound walls etc. situated at 140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta as registered under deed No. I-211 of 1976 dt. 16.1.76.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Calcutta,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 23-8-76
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 23rd August 1976

Ref. No. 353/Acq.R-III/76-77/Cal/535.—Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 140/19, situated at Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)

in the office of the Registering Officer at Alipore on 16-1-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ranjit Vatal,
140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road,
Calcutta-40.
(Presently at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Transferor)

(2) Nirode Baran Banerjee
2. Saddar Hospital Road, Hazaribagh, Bihar.
(Transferee)

(4) Sri Ratan Vatal, Smt. Parvati Vatal and Indu Vatal,
of
140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road,
Calcutta (presently at 178, Alipi Bag, Allahabad).
(Person whom the undersigned knows
to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The 4th undivided share of land measuring 12 cottahs 15 chittacks and 11 sq. ft. together with a 2-storeyed building, out of houses garages, compound walls etc. situated at 140/19, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta as registered under deed No. I-210 of 1976 dated 16-1-1976.

L. K. BALASUBRAMANIAN
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 23-8-1976

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 30th August 1976

Ref. No. 354/Acq.R-III/76-77/Cal.—Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 54 situated at Dhakuria Station Road, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Alipore Sadar on 30-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sailendra Nath Dey
'Upendra Nivas'
36A, Sion Road, Bombay-22.

(Transferor)

(2) Chaitali Saha.
79, Kankulia Road, Calcutta.

(Transferee)

(3) Sarvasree K. L. Chatterjee, A. Sengupta,
P. Chowdhuri and Mrs. R. Dhar,
54, Dhakuria Station Road, Calcutta.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 3 cottahs more or less together with a three storeyed building erected thereon at 54 Dhakuria Station Road, Calcutta-31, as per deed No. 553 of 1976 registered before the Sub-Registrar, Alipore Sadar, 24-Parganas.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 30-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Bismilla Begum w/o Md. Nazir.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) 1. Shri Satish Kumar Aneja,
2. Shri Benoy Kumar Ghosh,
3. Shri Abdul Hamid.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
54 RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 30th August 1976

Ref. No. AC-26/Acq.R-V/Cal/76-77.—Whereas, I, S. S. INAMDAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the Immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 8104 situated at ward No. IV Siliguri, Distt. Darjeeling (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Siliguri on 17-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—
17-256GI/76

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 0.690 acre i.e. 41.4 cottahs situated at Plot No. 8104 in ward No. IV, Siliguri, Distt. Darjeeling more particularly as per deed No. 296 dated 17-1-1976.

S. S. INAMDAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 30-8-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 12th May 1976

Ref. No. RAC.No. 78/76-77.—Whereas, I, S. V. SUBBARAO,

being the competent authority under
Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Nagarjuna Talkies situated at (5-7) Miryalguda, Nalgonda-Distt.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Miryalguda on 22-4-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

- (1) Shri Karnati Ratnaiah s/o Shri Buchiramiah,
R/o H. No. 17-26 at Miryalguda, Nalgonda-Distt.
(Transferor)
- (2) (1) Shri Vootukuru-Satyanarayanareddy
H. No. 20-20 Miryalguda,
(2) Shri Mattareddy R/o Subbareddyguda, Miryalguda-Tq,
(3) Shri Baireddy Chinnasaidreddy, R/o Naramaguda Post Miryalguda,
(4) Shri V. Manmadhareddy R/o Dllavarpur-Tq. Miryalguda,
(5) Shri V. Somireddy R/o Mutyalammagunta, Daisincherla Post Miryalguda, Nalgonda-Distt.
(Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Nagarjuna Talkies, Bearing No. 5-7 Area : 1440 sq. yds. with Projector, and furniture, etc. at Miryalguda, Nalgonda Distt.

S. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 12-5-1976
Seal ,

FORM ITNS

(1) Shri D. Venkataramireddy, G.P.A.S. Sreenivasulu Reddy, Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Tulasi Subbarayudu S/o Subbarayudu R/o Krishnamandiram, Street, Nellore.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Hyderabad, the 23rd August 1976

Ref. No. RAC No. 148/76-77.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 19/307 situated at Krishnamandiram Street, Nellore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nellore on 20-2-1976,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Property covered by Doc. No. 303 of 1976 registered at the Registration office Nellore. Bearing Ward No. 19 Door No. 307 situated at Krishnamandiram, Street, Nellore.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act thereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 23-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

- (1) Smt. Rajarathinammal, W/o M. Narayanasamy Chettiar, 25-C, Thirumalsampuram, Bodinayakanpatti, Dindigul.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Shri G. Venkatachalam (minor) By mother and guardian Smt. G. Palani Ammal, W/o Shri A. K. M. Govindasamy Chettiar, No. 33, Society Street, Dindigul.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Madras-6, the 22nd July 1976

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

Ref. No. 4/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T.S. No. 1010/2-B situated at Ponnagaram Road, Palani (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Palani (Doc. No. 15/1976) on January 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Land and building measuring 11,155½ sq. ft. with Furniture and Fittings at T.S. No. 1010/2-B, Block 26, New Ward No. 16, Ponnagaram Road, Palani.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Dated : 22-7-1976.

Seal :

FORM ITNS—

(2) Smt. Angammal, W/o Shri Thambiran, No. 18, Paluthu Street, Tiruchengode.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

MADRAS-6, the 3rd September 1976

Ref. No. 40/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein after referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing

No. _____, situated at Kasturipatti village & Sankaridurg village, Salem district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering

Officer at Sankaridurg (Doc. No. 42/1976) on January, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kanickai Mani, W/o A. S. Deenadayalan Albert, 16/B1, Salem Main Road, Sankari, Salem district.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands bearing the following survey Nos. and measurements at :

Survey Nos.	Acres
<i>Kasturipatti :</i>	
Survey Nos. 6/1 & 6/2	0·24—
	22
<i>Sankaridurg :</i>	
Survey No. 172/1	0·35—
	22
	10
Survey No. 172/2	0·34—
	22
	10
Survey No. 172/4	0·18—
	22
	21
Survey No. 172/5	0·05—
	22
	8
Survey No. 216/1	0·56—
	22
	16
Survey No. 216/2	0·37—
	22
	14
Survey No. 216/4	0·14—
	22

G. RAMANATHAN,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated : 3-9-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 3rd September 1976

Ref. No. 41/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. _____, situated at Kasturipatti & Sankaridurg villages, Salem district (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sankaridurg (Doc. No. 43/1976), on January 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Kanickai Mani, W/o Shri A. S. Deenadayalan Albert, 16/B1, Salem Main Road, Sankari.
(Transferor)

- (2) Smt. Sulochana, W/o Shri M. Ayanarappan, Mandapathukadu, Sankari taluk, Salem District.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands bearing the following survey Nos. and measurements at:

	Acres
<i>Kasturipatti:</i>	
Survey Nos. 6/1 and 6/2	10 0.24— 22
<i>Sankaridurg</i>	
Survey No. 172/1	13 0.35— 22
Survey No. 172/2	10 0.34— 22
Survey No. 172/4	10 0.18— 22
Survey No. 172/5	21 0.05— 22
Survey No. 216/1	8 0.56— 22
Survey No. 216/2	16 0.37— 22
Survey No. 216/4	14 0.14— 22

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated: 3-9-1976.
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 52/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing R.S. No. 93, situated at Avaniapuram, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Officer at Madurai (Doc. No. 159/76) on January 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri K. S. Natarajan & his wife Smt. N. Parvatham, No. 12, Kanakku Pillai Street, Avaniapuram, Madurai-12. Miss Bagam Piriyaal (alias) Uma, N. Jaya Baskar & N. Jayanthi minors by father & guardian Shri K. S. Natarajan.
Shri K. S. N. Ramasubramanian, N. Villi Mayil & N. Chandrasekharan By Power of Attorney Agent Smt. N. Parvatham.

(Transferor)

(2) Shri B. V. Kothari, No. 120, South Masi Street, Madurai-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land measuring 87 cents and 295 sq. ft. in survey No. 93, Avaniapuram village, Madurai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated : 4-9-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 53/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. R.S. 93, situated at Avaniapuram, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madurai (Doc. No. 158/76) on January, 1976 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri K. S. Natarajan & Smt. N. Parvatham, No. 12, Kanakkupillai St., Avaniapuram, Madurai. Miss Bagam Piriya (alias) Uma, N. Jaya Baskar & N. Jayanthi minors by father & guardian Shri K. S. Natarajan.
Shri K. S. N. Ramasubramanian, N. Valli Mayil & N. Chandrasekharan By Power of Attorney Agent Smt. N. Parvatham.

(Transferor)

(2) Shri V. Vinodkumar, (minor) by guardian Shri V. M. Kothari, No. 21, South Street, Singarayar Colony, Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land measuring 63 cents and 210 sq. ft. in survey No. 93, Avaniapuram village, Madurai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated: 4-9-1976.

Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 57/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. R.S. No. 93, situated at Avaniapuram village, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madurai (Doc. No. 210/77) on February 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

18—256GI/76

(1) Shri K. S. Natarajan & Smt. N. Parvatham Ammal, Miss Bagam Piriyaal (alias) Uma, Shri N. Jaya Basakar, N. Jayanthi minors, by father & guardian Shri K. S. Natarajan.
Shri K. S. N. Ramasubramanian, N. Valli Mayil & Shri N. Chandrasekharan. By Power of Attorney Agent Smt. N. Paravatham Ammal.

(Transferor)

(2) Shri J. V. Kothari, No. 11-12, Jadamuni Kovil St., Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land measuring 85 cents and 129 sft. in R.S. No. 93, Avaniapuram village, Madurai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated : 4-9-1976.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 86/FEB/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R.S. 93, situated at Avaniapuram village, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madurai (Doc. No. 209/76) on February 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri K. S. Natarajan,
Miss Bagam Priyal (alias)
Uma, Shri N. Jaya
Baskar & N. Jayanthi minors by father and guardian Shri K. S. Natarajan,
Smt. N. Parvatham Ammal, Shri K. S. N. Ramasubramanian, N. Valli Mayil & N. Chandrasekaran. By Power of Attorney Agent Smt. N. Parvatham.
(Transferor)
- (2) Shri V. Vinodkumar, minor by father & guardian Shri V. M. Kothari, No. 21, South Street, Singaray Colony, Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 81 cents and 388 sft. in R.S. No. 93, Avaniapuram village, Madurai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated : 4-9-1976.
Seal :

FORM ITNS-----

(1) Shri S. Mohamed Nainar Ravuthar, Uthamapalayam,
Madurai district.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri H. Mohamed Abdul Kader Ravuthar, Uthama-
palayam, Madurai district.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 60/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. _____, situated at Uthamapalayam, Madurai district (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Uthamapalayam (Doc. No. 63/1976) on 17-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands in Uthamapalayam village, Madurai district bearing the following survey Nos. and measurements :

1	Acre		Ccnts	
	2	3	4	5
Survey No. 2181/1	2	18		
Survey No. 2204	1	69		
Survey No. 2203	2	72		
Survey No. 2201	3	19		
Survey No. 2202	1	22½		
Survey No. 2173/3	0	08		
Survey No. 2202/2	0	06		
	11	14		

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated : 4-9-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 30/FEB/75-76.—Whereas, I, G. Ramanathan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 101/2, situated at Narayananagar, Komarapalayam, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Komarapalayam (Doc. No. 122/76) on February 1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisitions of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. V. R. Bakthavatsalam & V. R. Sudarsanam, By Power of Attorney agent, Shri R. V. Ramachandra Chettiar, No. 3, Raja Street, Komarapalayam, Salem district.

(Transferor)

(2) M/s. I. V. Ardhanarisami Chettiar, 2. V. Arumugam, 3. V. Kandasamy & 4. V. Gunasekaran (minor) by guardian V. Ardhanarisami Chettiar, Kathalaipettai, Komarapalayam town, Salem district.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant building sites measuring 12,788 sft. in ground Nos. 69 (3197 sft.) 70 (3220 sft.), 83 (3197 sft.) and 84 (3174 sft.) Narayananagar, Komarapalayam, Salem district.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated : 4-9-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 22nd July 1976

Ref. No. Acq. File No. 349 J. No. 256/2-76.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Door No. 21/103B2(41-4-3) Morampudi Road, Rajahmundry, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajahmundry on 11-2-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri 1. Manchimsetty Veeravenkatarao, S/o Mahalaxmi 2. M. Venkataramana, S/o Veeravenkatarao 3. M. Veeraju S/o Veeravenkatarao 4. M. Mahalaxmi-
rao M/G S/o Veeravenkatarao, Rajahmundry.

(Transferor)

(2) M/s Sri Venkataramana Alluminium Co., Represented by Managing partner, 1. Muchi Satyanarayana, RAJAHMUNDRY. 2. Lavudu Ramunaidu RAJAHMUNDRY. 3. Kadiyala Ramarao RAJAHMUNDRY. 4. Kadiyala Tatarao RAJAHMUNDRY.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document No. 405/76 registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry during the fortnight ended 15-2-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 22-7-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Rajia Begam, W/o Sri Mohd. Ghous Saheb, Seshayimetta, RAJAHMUNDRY.
(Transferor)

(2) Shri Garapati Suryarao, S/o Venkanna, KATHERU, Rajahmundry Taluk.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 7th August 1976

Ref. No. Acq. File No. 353.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing R. S. No. 294, situated at Kateru Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajahmundry on 25-2-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 518/76 registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry during the fortnight ended on 29-2-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Dated : 7-8-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Ilindra Ranganakulu, S/o Gurunadham, Saibaba Asramam PUTTAPARTI.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Kamineni Parandhamaiah, S/o Venkayya, Aminsahebpalcm, Narasaraopeta.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kakinada, the 9th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. Acq. File No. 254.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. D. No. 11-13-74, situated at Ramireddi Peta, Narasaraopeta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Narasaraopeta on 27-1-76 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per the registered document No. 135/76 registered before the Sub-Registrar, Narasaraopeta during the fortnight ended on 31-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 9-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE KAKINADA.

Kakinada, the 9th August 1976

Ref. No. Acq. File No. 355.—Whereas, I, B. V. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5/B, situated at Nallapadu village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Guntur on 17-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 369D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Nooney Maheswararao S/o Subrahmanyam, 2. Nooney Hemanagaraj Kumar MG Father Maheswararao, Guntalammasetty Street, GUNTUR. (Transferor)
- (2) Bommidala Bros, Ltd., Represented by Managing Director, B. Bhanumurthy, GUNTUR. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 90/76 registered before the Sub-Registrar, Guntur during the fortnight ended 31-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 9-8-1976.
Seal :

FORM ITNS—

(1) I. Nooney Maheswararao S/o Subrahmanyam, 2. Nooney Hemanagaraj Kumar, M/G father Maheswararao, Guntalammasetty Street, GUNTUR.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Bommidala Sri Krishnamurty, S/o Kotiratnam, Ravindranagar, GUNTUR.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kakinada, the 9th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. Acq. File No. 356.—Whereas, I, B. V. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5/B, situated at Nallapadu village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Guntur on 17-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

The schedule property as per registered document No. 91/76 registered before the Sub-Registrar, Guntur during the fortnight ended 31-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

19—256G1/76

Dated : 9-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th August 1976

Ref. No. Acq. File No. 357.—Whereas, I, B. V. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5/B, situated at Nallapadu village (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 17-1-76 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) I. Nooney Maheswararao, S/s Subrahmanyam, 2. Nooney Hemanagarajkumar, M/G, father Maheswararao, Guntalammasetty Street, GUNTUR.

(Transferor)

(2) Bommidala Laxmi Annapurna, W/o Sreekrishnamurti, Rabindranagar, GUNTUR.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 92/76 registered before the Sub-Registrar, Guntur during the Fort-night ended 31-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 9-8-1976.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th August 1976

Ref. No. Acq. File No. 358.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO being the Competent Authority under section 269B of the income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. R.S. Nos. 488 & 489 situated at J. Annavaram Sivaru (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Prathipadu on 3-1-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

- (1) Shrimati Karri Pooramma, W/o Ayyanna, J. Annavaram Sivaru, Kambalapalem, Prathipadu Taluk.
(Transferor)
- (2) Allu Appalaraju, S/o Veeraraju, Lingamparti Prathipadu Taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3/76 registered before the Sub-Registrar, Prathipadu during the fortnight ended on 15-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 9-8-1976.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 24th August 1976

Ref. No. Acq. File No. 359.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. R.S. No. 402/1, situated at Vedurupaka of Rayavaram (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering

Officer at Ramachandrapuram on 9-1-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Valluri Subbayamma, W/o Venkataraju, Rayavaram, Ramachandrapuram Taluk.

(Transferor)

(2) Kumari Medapati Sesharatnam M/G Father Venkatarreddy, RAYAVARAM.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 76/976 registered before the Sub-Registrar, Ramachandrapuram during the fortnight ended 15-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 24-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Merla Satyanarayanamma, W/o Krishnamurty
VELANGI.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Yeramati Padmavati, W/o Satyanarayana, C/o Sri
Venkatalaxmi Srinivasa Stores, Grandhalayam
Street, ANAKAPALLI.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADAObjections, if any, to the acquisition of the said pro-
perty may be made in writing to the undersigned :—

Kakinada, the 24th August 1976

Ref. No. Acq. File No. 360.—Whereas, J. B. V.
SUBHARAO,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
No. R.S. Nos. 185A, 186, 187, 188A situated at
Ravikampadu Village(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at Kakinada on Jan. 1976for an apparent consideration which is less than the fair market
value of the aforesaid property and I have reason to believe
that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the
liability of the transferor to pay tax under the
said Act, in respect of any income arising from the
transfer; and/or(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act
1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition
of the aforesaid property by the issue of this notice under
sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the follo-
wing persons, namely :—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the respective
persons, whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document
No. 316/76 registered before the Sub-Registrar, Kakinada dur-
ing the fortnight ended on 31-1-1976.B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 24-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

- (1) Shrimati Datla Padmavati, W/o Venkatapathi Raju,
Laxminarasapuram,
Anaparthi post,
E. G. Dt.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

- (2) 1. Shri Vastavaya Subrahmanya Viswanathraju,
S/o Veera Venkata Stayanarayanaraju,
2. Vatsavaya Venkata Satyanarayanaraju,
Adopted S/o Suryanarayana sitaramachandraraju,
Datla Street, Gandhinagar, Kakinada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Kakinada, the 24th August 1976

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30
days from the service of notice on the respective
persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said im-
movable property within 45 days from the date
of the publication of this notice in the Official
Gazette.

Ref. No. Acq. File. No. 361.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 34/14 Block No. 8 Ward No. 2, Gandhi Nagar, Kakinada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 19-2-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per the registered document No. 544/76 registered before the sub-registrar, Kakinada during the fortnight ended 29-2-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date : 24-8-1976.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, 'JYOTHI BUILDING', GOPALA
PRABHU ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-682011

Cochin-682011, the 4th September 1976

No. Ref. L. C. No. 80/76-77.—Whereas, I, S. N. CHANDRACHOODAN NAIR being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy. No. as per schedule situated at East Chalakudy (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chalakudy on for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration to such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sri. Nambiathan Nambiathan Bhattathiripad, S/o Smathan Nambiathan Bhattathiripad, Moothamankal, Chowara, Alwaye.
(Transferor)
- (2) Mhariharan, S/o Mani Iyer, General Merchant, Ayinikkakathu Madhom, Palace Road, East Chalakudy.
(Transferee)
- (3) (i) Shri N. Mani Iyer, General Merchant, East Chalakudy.
(ii) P. M. Sankaran Namboodiri, P. M. Ayurveda Vaidyasala, Chalakudy.
(iii) E. C. Baby Fair Price Shop, East Chalakudy
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

36 cents of land with building as per schedule attached to document No. 120 dated 16-1-1976.

S. N. CHANDRACHOODAN NAIR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 4-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 6th September 1976

Ref. No. Acq. File. No. 363.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Factory situated at Kasibugga

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kasibugga on 22-1-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Fish Products Ltd., Kakinada Represented by Mg, Director Sri Balummel Manic Edward and Jt. Mg. Director Sri V. Krishnarao, Kakinada.

(Transferor)

2. 1. M/s Palasa Trades and Industries, Visakhapatnam
2. Mrs. Thankamma France, W/o B. J. France, Chittoor Road, Ernakulam.
3. Mrs. Santhamma Mathew, W/o B. J. Mathew, Balummel House, Kannamaly Cochin-7.
4. Mrs. Nelly Antony, W/o B. J. Antony, Kannamaly, Cochin-7.
5. Hoseph Franco, S/o B. J. Franco, Ernakulam.
6. Soona Edard, W/o B. M. Edward, India Sea Foods, Cochin-5.
7. Manik Prasad, S/o B. M. Edward, Visakhapatnam.
8. Mrs. Baby Paly, W/o B. P. Paly, Kakinada.
9. Smt. V. Adilakshmi, W/o V. Ramasubbarao, Anaparthi Savaram, R. C. Pur Tq.
10. Sri V. Padmanabham S/o V. L. N. Moorthy, Anaparthi Savaram, R. C. Pur Tq.
11. Mrs. Rebecca Zechariah, D/o Dr. K. V. Abraham, Kuttayil Kalayil House, Kurinnoor, Allepy Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 66/76 registered before the Sub-Registrar, Kasibugga during the fortnight ended on 31-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Seal :
Date : 6-9-1976

FORM ITNS—

1. Burra Chitti Kamarajamma
W/o Appalaraju,
Mallam, Pithapuram Taluk

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

2. 1. Devurapalli Kasi Viswanadham S/o. Suranna
2. D. Venkataramanamurty S/o Kasi Viswanadham
3. D. Suranna S/o Kasi Viswanadham
4. D. Seetharamachandramurty, S/o Kasi Viswanadham Sanyasiralla Street, Pithapuram

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 6th September 1976

Ref. No. Acq. File. No. 364.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

233, 107, 106, 231 & 105 situated at Kapavaram Village (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Samalkota on 18-2-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

20—256GI/76

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 203/76 registered before the Sub-Registrar, Samalkota during the fortnight ended on 29-2-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 6-9-1976

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 2nd September 1976

Ref. No. Acq. File. No. 362.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27/271 situated at Pataramannapeta Machilipatnam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Machilipatnam on 19-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

1. 1. Shrimati V. Leclavathi, W/o Satyanarayana,
2. Sri V. S. Narasimharao, W/o Satyanarayana, 14-14-4, Mallikarjuna Street, Hanumanpeta, Vijayawada. (Transferor)

2. Shri Jami Hanumantharao, Port Road, Pataramannapeta, Machilipatnam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 53/76 registered before the Sub-Registrar, Machilipatnam, during the Month ended on 31-1-1976.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 2-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Parimal Chandra Ghosh S/o Late Harendra Kr. Ghosh of 34, Panditiya Terrace, Calcutta-29.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Jai Prakash Yadav (Minor) S/o Sri Jagdish Jadav at Purana Mina Bazar (Cowpal) Deoghar, Dt. S.P.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Transferee
(person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR, BORING CANAL ROAD,
PATNA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Patna, the 6th September 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. III-204/Acq/76-77/1667.—Whereas, I, A. K. SINHA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H. No. 128, W. No. XVII situated at Bompas, Deoghar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 8-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

Land more or less 12 kathas with building in mohalla-Bompas Town Deoghar, Town plot No. 1292, H. No.-128, W. No.-XVII as described in deed No.-I-91 dated 8-1-76.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 6-9-1976

Seal :

FORM ITNS

- (1) Shrimati Shashanka Manjari Devi W/o late Raja Lakshmi Narain Singh. At—Chakradharpur, Dt—Singhbhum, Presently at—10, Stephen Cowet, 18/A, Poock Street Calcutta.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) M/s Chhotabhai Jethabhai Patel & Co. 3A, Rupchand Roy Street Calcutta-7, Branch Office at Chakradharpur, Dt-Singhbhum.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR, BORING CANAL ROAD,
PATNA

- (3) Transferee (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Patna, the 6th September 1976

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. III-205/Acq/76-77/1668.—Whereas, I, A. K. SINHA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 64 & 246 W.No.-II situated at Chakradharpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta 20-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, (27 of 1957);

Land area 1.86 acres with old building in W. No.-11 at Chakradharpur, Dt-Singhbhum, Khata No. 108, Plot No. 64 & 246 as described in deed No. 292 dated 20-1-1976.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

A. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 6-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR, BORING CANAL ROAD,
PATNA

Patna, the 6th September 1976

Ref. No. III-206/Acq/76-77/1669.—Whereas, I, A. K. SINHA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. W.No.-11 situated at Chakradharpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering Officer at Calcutta on 24-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Shashanka Manjari Devi W/o Late Raja Lakshmi Narain Singh, At-Chakradhar Dt-Singhbhum, Present by at-10, Stephen court, 18/A, parki Street Calcutta.

(Transferor)

(2) M/s Chholabhai Jethabhai Patel & Co., 3A, Rupchand Roy Street Calcutta-7, Branch office at Street Calcutta.

(Transferee)

(3) Transferee (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Old building in W. No.-11 at Chakradharpur, Dt-Singhbhum as described in deed No-401 dated 24-1-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 6-9-1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BIHAR

Patna, the 6th September 1976

Ref. No. III-207/Acq/76-77/1670.—Whereas, I. A. K. SINHA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 67 situated at Chakradharpure (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 22-1-76 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shrimati Shashanka Manjwei Devi
w/o Late Raja Lakshmi Narain Singh, At Chakradharpure Dt. Singhbhum, Presently at: 10, Stephen Court 18/A Park Street Calcutta. (Transferor)
- (2) M/s. Chhotabhai Jethabhai Pate & Co. 3A,
Rupchand Roy Street Calcutta-7, Branch office at Chakradharpure Dt. Singhbhum. (Transferee)
- (3) Transferee (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land area 62 dec. in W. No.-11 at Chakradharpure Dt.-Singhbhum, Plot No. 67 as described in deed No. 371 dated 22-1-76

A. K. SINHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
PATNA

Date : 6-9-76
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1

Madras-6, the 13th September 1976

Ref. No. F. 2833/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Door No. 14/3

situated at Sivananda Nagar, Sanganur village, Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhipuram (Doc. No. 92/76) on 22-1-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act; to the following persons, namely :—

- (1) Dr. V. Sriramulu
S/o Shri Venkatasami Naidu,
No. 3/90 Sirukaliamman Koll St.,
P. N. Palayam, Coimbatore. (Transferor)
- (2) Shri N. Velumani
S/o Shri Narayanasami Naidu,
No. 23, Eye Hospital St.,
Sivananda Nagar, Coimbatore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & building bearing Door No. 14/3 Sivananda Nagar, Sanganur village, Coimbatore-12 (T. S. No. 11 ; Plot No. 37 and T.S. No. 54/5).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-, Madras-6

Date : 13-9-76

Seal :

FORM ITNS—

(1) Mrs. Kalpagam Ramakrishnan No. 1, Balajinagar
First St., Madras-14.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Jethanand B. Khanna No. 482, Poonamallee
High Road, Madras.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1

Madras-6, the 13th September 1976

Ref. No. 5035/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 5, Plot No. 13A, situated at Creams Road, Madras-6. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at T. Nagar (Doc. No. 30/76) on 19-1-1976.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of Door No. 5, Plot No. 13A, Creams Road, Madras-6 along with the share of $6\frac{1}{2}/52$ over the undivided land measuring an extent of 3 grounds 450 Sft.

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 13-9-76

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,

Madras-6, the 6th September 1976

Ref. No. F. 2855/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

New D. No. 23/360, situated at Oppanakara St., Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)

in the office of the Registering Officer at JSR III Coimbatore (Doc. No. 17/76) on January 1976 for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

21—256GI/76

(1) 1. Shri D. Govindan; 2. Smt. Manickammal; 3. Smt. Padmavathi and 4. Smt. Chandra, No. 24/15 R. G. Street, Coimbatore.

(Transferor)

(2) Sri S. Palanisami No. 23/29 Pozhikarar Lane, Edayar St., Coimbatore.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & building bearing New D. No. 23/360 Oppanakara St., Coimbatore (Old D. No. 17/197; T. S. No. 6/1215)

S. RAJARATNAM,

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Madras-6Date : 6-9-76.
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri D. Vidya Prakash S/o Shri G. R. Damodaran
6/5 Kamraj road, Red Fields, Coimbatore.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri D. Padmanabhan S/o Shri G. R. Damodaran
6/5 Kamraj road, Red Fields, Coimbatore.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II

Madras-6, the 6th September 1976

Ref. No. F. 2856/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

D. No. 6/5, situated at Kamraj road Red fields, Coimbatore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at JSR III Coimbatore (Doc. No. 128/76) on January 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & building bearing D. No. 6/5 Part Namaraj Road, Red Fields, Coimbatore (T. S. No. 10/1086/3).
(Document No. 128/76 —P. No. 6/76).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 6-9-76.

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri M. Shanmugasundaram S/o late Manicka
Mudaliar No. 25, Sai Babha Colony Coimbatore-38.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 296D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri M. Sambandha Murthy S/o Shri P. Muthusami
Gounder, No. 62, Gandhiji Road, Erode.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,Objections, if any, to the acquisition of the said property may
be made in writing to the undersigned—

Madras-6, the 6th September 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 2864/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. New D. No. 1, situated at T. Srinivasa Mudaliar St., Erode (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR I Erode (Doc. No. 164/76) on 23-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Land & building bearing New Door No. 1 (Old Door No. 2) T. Srinivasa Mudali St., Erode (T. S. No. 1353/1—New Ward No. 25).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 6-9-76.

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,

Madras-6, the 6th September 1976

Ref. No. 2864/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

New D. No. 1, situated at T. Srinivasa Mudali St., Erode (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at JSR I Srode (Doc. No. 163/76) on 23-1-1976, for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilities the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) 1. Shri M. Panchatcharam 2. Shri Saravanan (Minor) represented by Shri M. Panchatcharam, Srinivasa Mudali St., Erode.

(Transferor)

(2) Shri M. Sambandha Murthy S/o Shri P. Muthusami Gounder, No. 62, Gandhiji Road Erode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing New D. No. 1 T. Srinivasa Mudali Sa., Erode (Old Door No. 2) (T. S. No. 1353/1—New Ward No. 25).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-6

Date: 6-9-76.

Seal:

FORM ITNS—

- (1) T. V. Savitha Devi D/o Shri K. C. M. Venkatachala Reddiar and Shri Prem Kumar No. 20 Williams road, Cantonment, Trichy.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Shri PL. A. Annamalai Chettiar, S/o Shri Palaniappa Chettiar, B-29, Thillainagar North Extension Trichy.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

Madras-6, the 6th September 1976

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. F. 3500/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. T. S. No. 385/Part, situated at Block No. 48, K. Abhishekapuram village, Trichy. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Trichy (Doc. No. 239/76—I. No. 18/76) on 23-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land & building bearing T. S. No. 385/Part Block No. 48, K. Abhishekapuram village, Trichy (Doc. No. 239/76—I. No. 18/76).

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 6-9-76.
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Burra Alamelu 1-2-288/16 Gangan Mahal Road, Hyderabad-500029.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri P. Alfred 110/2 Kodambakkam High Road, Madras 600034.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

Madras-6, the 6th September 1976

Ref. No. 5046/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 18/1 Greams Road, situated at Madras-6 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at T. Nagar (Doc. No. 14/76) on 8-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House and ground bearing D. No. 18/1 Greams Road, Madras-6 (R. S. No. 41/7 and 41/8).

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 6-9-76.

Seal :

FORM ITNS-----

(1) Smt. K. C. Karuppakkal W/o Shri K. Chingga Palaniappa Mudaliar Main Road, Karamadai.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Sri Ramakrishna Oxygen Ltd. Karamadai.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-1

Madras-6, the 15th September 1976

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. F. 2852/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S. No. 43/1A & 43/2B, situated at Karamadai village, Avinashi Taluk

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Mettupalayam (Doc. No. 1967/75) on 24-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8.25 acres and bearing S. No. 43/1A and 43/2B Karamadai village, Avinashi Taluk (Doc. No. 1967/75).

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 15-9-76.

Seal

FORM ITNS

(1) Sri V. L. Asrani, S/o. Lakshmi Chand, No. 401-B,
Poonamallee High road, Madras-10.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Sheriff Salman, S/o, Mohideen Sheriff, No. 34,
Second line Beach, Madras-1.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Madras-6, the 10th September 1976

Ref. No. 28/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Door No. 1-B, No. 4C, situated at Spurtank Road Egmore,
Madras.

(and more fully described in the Schedule annexed
hereto) has been transferred under the
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at
S. R. O. West Madras (Document No. 63/76) on January,
1976

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons which-
ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land bearing Plot No. 4-C, in No. 1-B, Spurtank
Road, Egmore, Madras, bearing R. S. No. 471/1 (part)
(Extent : 1 ground 200 sq. Ft.)

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

G. RAMANATHAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said
Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Sri T. Srinivasan, S/o. Thulasingham, No. 60-A,
Egmore High Road,
Madras-8,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Sheriff Salman, S/o Mohideen Sheriff, No.34,
Second Linc Beach, Madras-1,

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Objections, if any, to the acquisition of the said pro-
perty may be made in writing to the undersigned—

Madras-6, the 10th September 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the Official
Gazette.

Ref. No. 62/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of
1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 4-B, in 1-B situated at Spurtank Road, Egmore,
Madras.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908

(16 of 1908) in the Office of the Registering
officer at

S.R.O. West Madras (Document No. 30/76)
on January, 1976.

for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and
I have reason to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefor by more than fifteen percent of such apparent
consideration and that the consideration for such transfer as
agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land bearing Plot No. 4-B, in 1-B, Spurtank Road,
Egmore, Madras, measuring 1 Ground 24 sq. Ft. in R. S.
No. 471/1 (part).

(a) facilitating the reduction or evasion of the
liability of the transferor to pay tax under
the said Act in respect of any income arising from
the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the
said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

22—256GI/76

G. RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 10-9-1976

Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 37/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 84/1 situated at Erasakkanayakkanur Village, Madurai District, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. O., Chinnamanur (Doc. No. 68/76) on January, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri V. SRINIVASAN S/o Sindhappuli Velsamy Nayakkar, Sukkankalpatti Village, Odaipatti, Uthamapalayam Taluk, and SHRI RADHAKRISHNAN, (MINOR) BY FATHER AND GUARDIAN SHRI V. SRINIVASAN

(Transferor)

(2) Shri V. Rajendran, S/o. Sindhappuli S. V. Veerappa Nayakkar, Thiagaraja Nagar, Theni, Periakulam Taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 acres (out of undivided share of 6 acres) in Survey No. 84/1 (Patta No. 123) at Erasakkanayakkanoor village, Chinnamanur, Madurai District, with 1/6th Share in well, motor-pumpset and electrical accessories.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Dated : 4-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 38/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 84/1 situated at Erasakkanayakkanoor Village, Madurai District, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. O. Chinnamanur (Doc. No. 72/76) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri V. Srinivasan, S/o, Sindappuli Velsamy Nayakkar, Sukkanakalpatti, Odapatti village, Uthamapalayam Taluk, and SHRI RADHAKRISHNAN (MINOR) BY FATHER AND GUARDIAN SHRI V. SRINIVASAN (Transferor)

(2) Shri V. Rajendran, S/o, Sindappuli S. V. Veerappa Nayakkar, Thiagaraja Nagar, Theni, Periakulam Taluk. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 3 acres (out of undivided share of 6 acres) in Survey No. 84/-1 (Patta No. 123) at Erasakkanayakkanoor village, Chinnamanur, Madurai District, with 1/6th Share in well motor-pumpset and other electrical accessories.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 4-9-1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 4th September 1976

Ref. No. 42/JAN/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the competent authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. Nos. 116/7, 116/3, 166/1F & 2D situated at Meenakshipalayam (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Velur (Doc. No. 41/76) on January, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Ettammal & 2. Shri Thamba Raju, Meenakshipalayam, Konthalam P. O. Namakkal taluk, Salem district.

(Transferor)

(2) Shri K. M. Palaniappa Gounder, Meenakshipalayam, Konthalam P. O. Namakkal taluk, Salem district.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 1.59 acres in Survey Nos. 116/7 (O. 43 acres), 116/3 (O. 23 acres), 166/1F (O. 86 acres) and 166/2D (O. 07 acres), Meenakshipalayam, Namakkal taluk, Salem district, with share in well and 10 HP oil engine.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 4-9-1976

Seal :

FORM ITNS

- (1) Smt. Ameena Bee, W/o. M. F. Shereef, 15/3, Masilamani Mudaliar Hostel Road, Vellore, North Arcot District.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Smt. Miyan Shaheeda Begum, W/o K. Mohd. Anwar Basha Saheb, No. 64, Bakiath Street, Vellore-4, North Arcot District.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Madras-6, the 10th September 1976

Ref. No. 44/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

Door No. 15/3, situated at Masilamani Mudaliar Hostel Road, Villore, N. A. District, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at J. S. R. O.-I, Vellore (Document No. 115/76) on January, 1976.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building in door No. 15/3, Masilamani Mudaliar Hostel Road, Vellore, measuring 16,583 Sq. Ft. in the following T. S. Nos.

T. S. No.	Extent
317/2	12548 Sq. Ft.
316	1389 Sq. Ft.
316	2646 Sq. Ft.
Total.	16583 Sq. Ft.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-9-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Sri Dasthageer, West Street, Kilakkarai (P.O.),
Ramanad District.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Sri Ameerdeen, S/o, Habeeb Mohamed Kasim,
West Street, Kilakkarai (P. O.) Ramanad District.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.Objections if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other persons interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of
the publication of this notice in the Official Gazette.

Madras-6, the 10th September 1976

Ref. No. 46/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 555, Situated at Covered by Document No. 51/76, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. O. Kilakkarai (Document No. 51/76) on January, 1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269C of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands covered by Document No. 51/76 measuring 9 acres 13 Cents in survey No. 555.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 10th September 1976

Ref. No. 47/JAN/76.—Whereas I, G. RAMANATHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Door No. (New) 1, situated at Aranmanai South, Street, Ramanathapuram Town (New Ward No. 3) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J. S. R. O.-I, Ramanathapuram (Doc. No. 23/76) on January, 1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely:—

- (1) 1. V. Saravanapandiasamy Thevar S/o, Late Velusamy Thevar,
2. Minor Soundari Rani,
3. Minor Gana Devi,
4. Minor Manmozhi,
5. Minor Muthuselvi,
6. Minor Kumaravelan,
7. Minor Shanmuganathan

By father and guardian Sri V. Saravanapandiasamy Thevar

All residing at Kallal village, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram District.

(Transferor)

- (2) Sri S. N. Renganathan Chettiar, S/o. Narayanan Chettiar, No. 29-A, Pundu Theru, Velippattinam, Ramanathapuram.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building in Door No. (New, 1, Aranmanai South Street, Ramanathanapuram Town. New Ward No. 3 (Old Ward No.5) measuring 6322 Sq. Ft. with Well and fittings.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date: 10-9-1976

Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 10th September 1976

Ref. No. 87/FEB/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing New Door No. 2 situated at Aranmanai South Street, Ramanathapuram Town (New Ward No. 3) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J. S. R. O-I, Ramanathapuram (Doc. 35/76) on February 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Karthigaisamy alias Ponnusamy Thevar.
2. Minor Vasuki Rani } By father and
3. Minor Manomani } guardian Karthigaisamy
4. Minor Mahendravaram } alias Ponnusamy Thevar.
5. Minor Karikalan
6. Ravindran S/o Karthigaisamy alias Ponnusamy Thevar, all residing at Gangaikondan village, Paramakudi Taluk, Ramanathanapuram District.

(Transferor)

- (2) S. N. Ganesan Chettiar, S/o Narayanan Chettiar, No. 29-A, Pudhu Theru, Velippattinam, Ramanathapuram.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building in Door No. (New) 2, Aranmanai South Street, Ramanathapuram Town, New Ward No. 3 (Old ward No. 5) measuring 6367 Sq. Ft. and vacant site measuring 280 sq. Ft. in ward No. 3 with well.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) P. S. Abdul Salam, S/o. P. Sabjee Sahib, Mysore Street, No. 18, Samraj Pettai, Bangalore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sri Kolandai Gounder, S/o, Krishna Gounder, Elavampatti, Thirupathur Taluk. North Arcot District.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-1, MADRAS

MADRAS-6, the 10th September 1976

Ref. No. 55/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No., situated at Elavampatti village, Thirupathur TK., North Arcot District (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. O. Thirupathur (Doc. No. 178/76) on January, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

23—256GU/76

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands measuring 13 acres 74 cents at Elavampatti village Thirupathur Taluk, North Arcot District in the following survey numbers:

Survey No.	Extent A.C.
203/1	5.26
203/4	2.40
205/2	0.38
207/3	0.42
227/1	5.28
Total.	13.74

G. RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1, Madras-6

Date: 10-9-1976

Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 10th September 1976

Ref. No. 55/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing T. S. No. 363 (part) situated at Thirupathur Town, North Arcot District (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. O. Thirupathur (Document No. 154/76) on January, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri G. Ramanatha Chettiar, S/o. Govinda Chettiar, Door No. 83, Railway Station Road, Thiupathur Town, North Arcot District.

(Transferor)

(2) 1. Dr. V. K. Sivaprakasam,
2. V. K. Shanmugam, Advocate. Sons of V. K. Kaliappa Gounder, Valattiyur, Jolaspet Tirupathur Taluk, North Arcot District.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(A) Vacant site in T. S. No. 363 (part), Plot No. 1, 2, 3 & 4, measuring 10606½ Sq. Ft. and (B) vacant site in T. S. No. 363 (part), Plot No. 7, 8 & 9, measuring 8585 Sq. Ft. in A Division, Ward No. 1, Block No. 16, Thirupathur Town, North Arcot District (Covered by document No. 154/76)

G. RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

- (1) 1. Ammayappan,
2. Murugan &
3. Selvaraj, Sons of Ammayappan, Perumappattu
(Pallavalli) Thirupathur TK.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

MADRAS-6, the 10th September 1976

Ref. No. 57/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value No..... exceeding Rs. 25,000/- and bearing..... situated at Kurisilapattu village, Thirupathur Tk. (covered by Document No. 157/76) (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. O. Thirupathur (Doc. No. 157/76) on January, 1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

- (2) Sri Kannu Alias Mutha Gounder, S/o. Koonan alias Perianna Gounder, Kurisipattu village, Thirupathur Tk. North Arcot District.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Kurisilapattu village, Thirupathur Tk. North Arcot District measuring 4 acres and 62 Cents in the following Survey Nos.

	Extent A.C.
181/1B	2.27
181/2B	1.10
182/2	1.25
Total	4.62

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

- (1) 1. R. Balaguruswamy & 2. B. Gunasundari ammal,
Ettayapuram Road,
Tuticorin.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Anne Therise, for The Tuticorin Congregation
of Little sisters of Poor La tour St. Joseph Rance,
30, Crecope Street, Tuticorin.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1, MADRAS-6.

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.—

Madras-6, the 10th September 1976

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

Ref. No. 58/JAN/76.—Whereas, J. G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
Survey No. 18/1A, situated at Sankarapperi village, Pol
Nayakkanpettai, Tuticorin
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Regis-
tering Officer at
J. S. R. O.-II, Tuticorin (Doc. No. 83/76) on January, 1976,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen percent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publica-
tion of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act,
in respect of any income arising from the transfer,
and/or

Building measuring 75 cents (out of 23 Acres 83 cents)
in Survey No. 18/1A, Sankarapperi village, Pol Nayakkan-
pettai Tuticorin (Municipal Ward No. 1) Covered by Docu-
ment No. 83/76.

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

G. RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-1, Madras-6

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1, MADRAS-6.

Madras-6, the 10th September 1976

Ref. No. 59/JAN/76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at V. Vedappatti village, Vilattikulami, Kovilpatti Taluk, Tirunelveli Dt., (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at District Registrar, Tuticorin, on January 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) 1. S. P. Subbiah Mudaliar
2. V. C. Subbiah Mudaliar,
3. V. C. Thialbaga Mudaliar,
4. V. C. Ulganatha Mudaliar,
5. S. T. Theetharappa Mudaliar,
Chidambara Nagar, Tuticorin. (Transferor)

(2) M. S. Sivaraj Mohan, S/o. Sivasami, No. 66, Thattar Street, Tuticorin.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2th share in 20.05 Hectares of Lands at V. Vedapatti village, vilattikulam, Kovilpatti Taluk, Tirunelveli Dt., in the following survey numbers, with Palm trees.

Survey No.	Extent Hectars
1.	5.75
2.	9.87
13/1.	2.69
14/1.	1.74
Total.	20 05

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Kishan Singh S/o Shri Baru Singh, 3-C/6, Rohtak Road, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Shamsher Singh Kukreja, S/o Shri Ram Singh A/25, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 30th August 1976

Ref. No. IAC/Acq.III/SR.II/Jan 1130(10)/75-76.—

Whereas, I, S. C. PARIJA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 36 on Road No. 52 situated at Punjabi Bagh, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act (1908 16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 9th January 1976,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing plot No. 36 on Road No. 52 measuring 1088.88 sq. yds. Class 'B' situated at Punjabi Bagh, Delhi with boundary walls built on the spot, in the revenue estate, of vill :—Madipur, Delhi State and bounded as under :—

North : Road No. 52

East : Built house on Plot No. 34

South : Service Lane

West : Built house on Plot No. 38.

S. C. PARIJA

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 30-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 6th September 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/1067/Jan.I(16)/75-76 —
Whereas, I, C. V. GUPTE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. E-501, situated at Greater Kailash-II, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on 16-1-1976,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Shrimati Pratibha Khurana Wd/o Late Harbel Singh Khurana for herself & on behalf of her minor daughter Miss Robina Khurana & Miss Shalina Khurana r/o 23, Chawari Bazar, Delhi.

(2) Shri Teja Singh Khurana s/o Lala Khan Chand, Shri Khan Chand s/o Shri Sohna Mal and Shrimati Hukam Devi w/o Lala Khan Chand through her constituted Attorney Lala Khan Chand, all r/o 126-D New Mandi, Sirsa (Hissar).
(Transferor)

2. Shri Sant Ram s/o Late Shri Bodh Raj r/o 2060. Gunj Mir Khan, Darya Ganj, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that plot of land bearing Plot No. 501, in Block 'E' ad-measuring 248 sq. yds. in the residential colony known as Greater Kailash-II situated in village Bahapur in the Union Territory of Delhi bounded as under :—

North : S. Lane
South : Road
East : Plot No. E/499
West : Plot No. E/503

C. V. GUPTE

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 6-9-1976

Seal :

FORM INTS—

(1) Smt. Baldevi Bhagat, W/o Shri P. C. Bhagat, resident of W-41, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Devender Kumar Jain, Shri Satinder Kumar Jain, and Shri Rakesh K. Jain Sons of Late Shri Sunder Lal Jain, r/o H. No. 6549, Qutab Road, New Delhi-110055.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-1, MADRAS-6.
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 9th September 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/1057/Dec. II(25)/75-76.—

Whereas, I, C. V. GUPTA,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and house bearing No. 24-A situated at Block No. A, Kailash Colony, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 30th December 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferred to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A plot of land bearing No. A/24-A, measuring 1004.9 Sq. Yds. together with the entire structure built thereon and all fittings and structure fixtures provided therein, with all rights, title, interests, easements, privileges, and appurtenances there-to situated in the residential colony known as Kailash Colony at Village Zamuradpur in the Union Territory of Delhi within the limits of Delhi Municipal Corporation and bounded as under :—

East : Plot No. A/25
West : Plot No. A/24
North : Road
South : Plot Nos. L/6, L/7 and L/8.

C. V. GUPTA,

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 9-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 9th September 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/1083/Jan.II(9)/75-76. —
Whereas, I, C. V. GUPTÉ,
being the Competent Authority under section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter
referred to as the 'said Act') have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 44-B (Ground Floor Shop) situated at Khan Market,
New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi, 24-1-1976,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of
the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of
the aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the follow-
ing persons, namely :—

24—256GI/76

(1) Shri Jagdish Parshad, S/o Lala Bhim Sen, R/o 22,
Main Market, Lodhi Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Sudhir Bawa, S/o Dr. G. S. Bawa, R/o Flat
No. 46, Khan Market, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons which-
ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

A lease-hold Shop No. 44-B, (Ground Floor) measuring
489 sq. feet (may be a little more or less) situated in Khan
Market, New Delhi.

C. V. GUPTÉ,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 9-9-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Nem Chand Jain s/o Shri Salig Ram r/o 2053 Kinari Bazar, Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Kanta Jain w/o Shri Nem Chand Jain r/o 2053 Kinari Bazar, Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 2nd September 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1216/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 7 Block 33 situated at Roshanara Ext Scheme (Shakti Nagar), Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in January 1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land measuring 137.2 sq. yds. bearing plot No. 7 Block 33 situated in Roshanara Ext. Scheme (Shakti Nagar) Delhi and bounded as under:—

North : Lane
South : Road
East : Plot No. 33/9
West : Plot No 33/5

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 2-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Surinder Nath Chhabra s/o Dr. Mohan Lal Chhabra r/o 4875 Chowk Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 2nd September 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1217/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 40 Road No. 5 situated at Punjabi Bagh, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in February 1976,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (c) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(2) Shri Banarsi Lal Bhatia s/o Shri Kanshi Ram Bhatia r/o House No. 10742 Jhandewalah Road, Nabi Karim, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storyed house constructed on a free-hold plot of land measuring 277.5 sq. yds. bearing Plot No. 40 on Road No. 5 situated in the colony known as Punjabi Bagh Delhi and bounded as under :—

North : Road No. 5
South : Service Lane
East : Property No. 38
West : Property No. 42

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 2-9-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Tulsia Singh S/o Sh. Santa Singh,
20 North Avenue Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-1(2) 1. Shri Madan Gopal S/o Shri Mehta Bhola Ram,
2. Smt. Shanti Devi W/o Shri Madan Gopal
3. Shri Suresh Kumar
4. Shri Naresh Kumar
Ss/o Shri Mehta Madan Gopal
R/o C-29 Bali Nagar, N. Delhi.

(Transferor)

Objections, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi-110001, the 14th September 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1218/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the competent authority under section 269B. of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said' Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C-29 situated at Bali Nagar, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in January, 1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A single storyed house constructed on a land measuring 181.3 sq. yds bearing No. C-29 Bali Nagar, New Delhi and bounded as under :—

North : Open land
South : Property No. C-28
East : Road
West : Service Lane.S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 14th September 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1219/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2755 (New) & 1988 (Old) situated at Gali Ram Roop, Subzi Mandi, Delhi, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in January 1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Birmo Devi Wd/o Late Shri Depty Mal Jain seli' and S.P.A. of 2. Sh. Nem Chand Jain S/o L. Shri Deputy Mal Jain, 3. Smt. Shakuntala Jain, 4. Smt. Bimla Jain, 5. Smt. Maya Jain all R/o Late Shri Deputy Mal Jain all R/o 2788 Gali Rajputans Subzi Mandi Delhi. 6. Tarlok Kumar Jain S/o L. Sh. Deputy Mal Jain R/o 2788 Gali Rajputana Subzi Mandi, Delhi self and special Attorney of Shri Gian Chand Jain S/o L. Shri Depty Mal Jain R/o 2788, Gali Rajputana, Subzi Mandi, Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Shri Inder Mal S/o Shri Durga Parsad
2. Shri Om Parkash S/o Shri Inder Mal
3. Shri Brij Mohan
4. Shri Dhannu Mal Ss/o Shri Prabhudayal All Rs/o 2755, Gali Ram Roop, Subzi Mandi Delhi.

(Transferee)

(3) 1. Shri Inder Mal
2. Shri Ramesh Chand
3. Shri Nathu Ram
4. Dhri Devi Ram Parshad
5. Shri Chandgi Ram
6. Shri Prem Narain
7. Shri Ram Saroop
8. Shri Banwari Lal
9. Shri Bhopal Singh

[Persons in Occupation of property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2½ storied house bearing M.C. No. 2755 (New) and 1988 (old) built on land measuring about 382 sq. yds situated at Gali Ram Roop, Subzi Mandi, Delhi and bounded as under :—

North : Properties of others
South : Properties of others
East : Properties of others. Gali Ram Roop.
West : Properties of others.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 14-9-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Attar Singh Pahwa S/o Sh. Bhagwan Singh
R/o 9/25, East Patel Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) S/Shri Sushil Kumar Jain and Shri Raj Kumar Jain
Ss/o Lala Roshan Lal Jain
R/o 4866, Bara Tooti, Phoota Road, Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-1 (110001)Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

New Delhi, the 14th September 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1220/76-77.—Whereas, I, S. N. L.
AGARWALA,being the Competent Authority under section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein-
after referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearingNo. 9/25 (in Block No. 9) situated at East Patel Nagar,
New Delhi,(and more fully described in the Schedule annexed hereto,
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer
Delhi in January 1976,for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to bet-
ween the parties has not been
truly stated in the said instrument of transfer with the
object of—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXA of
the said Act, shall have the same meaning
as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1½ storied house constructed on a land measuring 200 sq.
yds. situated at No. 9/25 (in block No. 9) East Patel Nagar,
New Delhi & bounded as under :—North : Road
South : Service Lane
East : Gali
West : Other Qrts.

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of
the aforesaid property by the issue of this notice under
sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the
following persons, namely :—

Date : 14-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 14th September 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1221/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4829/1 Plot No. 45 situated at No. 24 Darya Ganj, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in January, 1976,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely:—

- (1) 1. Sh. Sunder Singh Luthra
2. Sh. Satpal Singh Luthra
S/o Shri Gurdit Singh
Residents of F-1/22, Model Town, Delhi
3. Shri Manjit Singh Khurana S/o
Sh. Gurmukh Singh Khurana R/o
F-2/15, Model Town, Delhi.
4. Shri Surender Pal Singh S/o
Late Shri Pritam Singh
5. Sardarni Narender Kaur W/o
S. Jagjit Singh Ahuja R/o
1565-67, Church Road, Kashmere Gate, Delhi.
6. Sardarni Man Mohan Kaur W/o
Shri Gurmukh Singh R/o
F-2/15, Model Town, Delhi.

(Transferor)

- (2) Smt. Memo Devi W/o Shri Ajit Pershad Jain R/o
2320 Dharampura, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storied house with land underneath measuring about 180.89 sq. yds bearing Plot No. 45 Property No. 4829/1, Khasra No. 51 situated at No. 24 Darya Ganj, Delhi and bounded as under:—

East : Property No. 4830
West : Building No. 4838
North : Prahlad Lane 20' wide
South : Property No. 4837

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 14th Sept. 1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Maharaj Kumar Abhoychand Mahtab Bahadur,
32D, New Road, Alipur, Calcutta.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 54, RAFI AHMED KIDWAI
ROAD, CALCUTTA-16

(2) 1. Om Prakash Kanoria, 2. Sm. Savitri Devi Kanoria,
3. Sm. Sushila Devi Kanoria, 4. Anjan Kumar
Kanoria, all residing at No. 4, Clyde Row, Hastings,
Calcutta-22, 5. Smt. Bhagirathi Devi Kanoria, 6.
Smt. Champa Devi Kanoria, 7. Smt. Bimla Devi
Kanoria & 8. Smt. Sobha Devi Kanoria, all residing
at No. 5, Janki Shah Road, Hastings, Calcutta-22.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may
be made in writing to the undersigned :—

Calcutta-16, the 13th September 1976

Ref. No. Acq.-9/B-II/Cal/76-77.—Whereas, J. R. V.
LALMAWIA,
being the competent authority under section 269 B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. 32P, situated at New Alipore Rd. Calcutta,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Registrar of Assurance, Calcutta on 12-1-76
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
(consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 Bigha, 1 Chittak & 42 sq. ft. together
with structure at premises No. 32P, New Rd., Alipore, Cal.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or which
ought to be disclosed by the transferee for the pur-
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of Section 269D of the said Act, to the following per-
sons, namely :—

R. V. LALMAWIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16.

Date : 13-9-1976
Seal :

FORM ITNS—

(1) Laxmi Devi, 1B, Janki Shah Road Hastings, Calcutta.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 13th September 1976

(2) 1. Sri Swaraj Kumar Jain,
D-20, Connaught Place, New Delhi-1,
2. Sri Vinod Kumar Jain,
26A, Barakhamba Road, New Delhi-1,
3. Sri Pradeep Kumar Jain,
14, Alipore Road, New Delhi, &
4. Sri Anil Kumar Jain,
2, Janki Shah Road, Calcutta.

(Transferee)

(3) Shri Jagdish Rai,
1B Janki Shah Road, Hastings,
Calcutta.

[Person in occupation of the property]

Ref. No. AC-10/R-II/Cal/76-77.—Whereas, I, R. V. LALMAWIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1B, situated at Janki Shah Rd., Hastings, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Registrar of Assurance, Calcutta on 30-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

25—256GI/76

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 1B Janki Shah Road, Hastings, Calcutta.

R. V. LALMAWIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16.

Date : 13-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Puspa Devi Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Deokinandan Dhalia

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 10th September 1976

Ref. No. TR-256/C-253/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th share of the 4th floor Western Bay area 1980 sqft. at 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 10-9-1976

Seal ;

FORM ITNS

(1) Shri Arvind Kumar Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Deokinandan Dhalia

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 10th September 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. TR-262/C-247/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY, being the competent authority under section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

1/6th share of the 4th floor Western Bay area 1980 sqft. at premises No. 27B, Camac Street, Calcutta.

THE SCHEDULE

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Saraswati Devi Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Deokinandan Dhalia

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 10th September 1976

Ref. No. TR-250/C-259/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of the 4th floor Western Bay area 1980 sqft. at 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 10-9-1976
Seal:

FORM ITNS—

(1) Shri Benoy Kumar Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Deokinandan Dhalia

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 10th September 1976

Ref. No. TR-253/C-254/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th share of the 4th floor Western Bay area 1980 sqft. at 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 10-9-1976

Seal:

FORM ITNS

(1) Smt. Sumitra Devi Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Deokinandan Dhalia

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 10th September 1976

Ref. No. TR-257/C-252/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at 5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely:—

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of the 4th floor Western Bay area 1980 sqft. at 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Saraswati Debi Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Govind Prasad Dhalia

Minor, represented by father Deokinandan Dhalia.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Calcutta-16, the 13th September 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

Ref. No. TR-249/C-258/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

All that 1/6th undivided share of 4th floor Eastern Bay area 1980 sqft. at 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 13-9-1976
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Benoy Kumar Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Govind Prasad Dhalia

Minor, represented by father Deokinandan Dhalia.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Calcutta-16, the 10th September 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

Ref. No. TR-252/C-257/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76,

for an apparent consideration which is less

than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilities the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

1/4th share of 4th floor, Eastern Bay area 1980 sqft. at 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY.

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-9-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Puspa Debi Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Govind Prasad Dhalia
Minor, represented by father Deokinandan Dhalia.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 13th September 1976

Ref. No. TR-251/C-260/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

26—256GI/76

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th share of 4th floor, Eastern Bay area 1980 sqft. at 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 13-9-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Arbind Kumar Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Govind Prasad Dhalia
Minor, represented by father Deokinandan Dhalia.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Calcutta-16, the 13th September 1976

Ref. No. TR-256/C-255/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at 5, Government Place North, Calcutta on 21-1-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

1/6th share of 4th floor Eastern Bays area, 1980 sq. ft. at premises No. 27B, Camac Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-9-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Sumitra Devi Goenka

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Govind Prasad Dhalia
Minor, represented by father Deokinandan Dhalia.
(Transferee)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Calcutta-16, the 13th September 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.Ref. No. TR-255/C-256/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K.
CHAKRAVARTY,being the Competent Authority under section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'Said Act'), have reason to believe that the im-
movable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing

No. 27B, situated at Camac Street, Calcutta,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
5, Government Place North, Calcutta on 21-1-1976for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen percent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instruments of
transfer with the object of :—EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act that
have the same meaning as given in that
Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

1/6th share of 4th floor Eastern Bay area 1980 sqft. at
No. 27B, Camac Street, Calcutta.S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—Date : 13-9-1976
Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Babibai Rajaram Patil,
Eksar, Borivli (West), Bombay.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-III,

SMT. K. G. M. P. AYURVEDIC HOSPITAL BUILDING

NETAJI SUBHASH ROAD,

BOMBAY-400002

(2) (1) Shri Ratilal M. Patel
(2) Shri Lallubhai B. Patel
(3) Shri Dhirajlal B. Gala
(4) Shri Dahyalal M. Mehta
(5) Shri Kaluchand H. Shah
(6) Shri Mulchand K. Ranka
(7) Shri Jethmal H. Ranka
(8) Shri Babulal P. Jain
(9) Shri Vasant D. Gala,
Ismail Baug, Anand Road, Malad (West),
Bombay-64.

(Transferee)

(4) Purchasers.
(person whom the undersigned knows to be interested in the
property)

Bombay-400002, the 1st September 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. AR/III/966/Jan./76.—Whereas, I, R. G.

NERURKAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.Survey No. 99, Hissa No. 5 situated at Eksar, Borivli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer
at Sub Registrar's Office Bombay on 15-1-1976for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen percent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expression used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying
and being at Eksar formerly within Borivli Taluka but now
within Greater Bombay in the Registration Sub-District, bear-
ing Survey No. 99, Hissa No. 5, admeasuring about 2 Acres
and 1 3/4 Gunthas or 9891 sq. yards or 8259 sq. metres and
bounded On or towards North partly by plot bearing Survey
No. 99, Hissa No. 1, belonging to Waman Ganpat Patil and
partly by land bearing S. No. 99, H. No. 4, belonging to
Govind Narayan Kini. On or towards South and West by Plot
bearing S. No. 95, belonging to Narayan Odaji Samant. On
or towards the East by Land bearing S. No. 99, H. No. 3,
belonging to Vishnu Damodar Thaker and partly by land
belonging to L.I.C. known as Vallabh Nagar and bearing
S. No. 98. (1/6th share).

R. G. NERURKAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, BombayNow, therefore, in pursuance of Section 269C, of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition
of the aforesaid property by the issue of this notice under
sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the
following persons, namely :—

Date : 1-9-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Anubai Kashinath Mhatre,
Eksar, Borivli (West), Bombay.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
SMT. K. G. M. P. AYURVEDIC HOSPITAL BUILDING
NETAJI SUBHASH ROAD,
BOMBAY-400002(2) (1) Shri Ratilal M. Patel
(2) Shri Lallubhai B. Patel
(3) Shri Dhirajlal B. Gala
(4) Shri Dahyalal M. Mehta
(5) Shri Kaluchand H. Shah
(6) Shri Mulchand K. Ranka
(7) Shri Jethmal H. Ranka
(8) Shri Babulal P. Jain
(9) Shri Panachand V. Gala
(10) Shri Vasant D. Gala.Ismail Baug, Anand Road, Malad (West),
Bombay-64.

(Transferee)

(4) Purchasers.

(person whom the undersigned knows to be interested in the
property)

Bombay-400002, the 1st September 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. AR/III/967/Jan/76.—Whereas, I, R. G. NERURKAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 99, Hissa No. 5 situated at Eksar, Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sub Registrar's Office Bombay on 15-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXA of the
said Act, shall have the same meaning as
given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying and being at Eksar formerly within Borivli Taluka but now within Greater Bombay in the Registration Sub-District of Bandra, District Bombay Suburban, bearing Survey No. 99, Hissa No. 5, admeasuring about 2 Acres and 1½ Gunthas or 9891 sq. yds or 8259 sq. metres and bounded on or towards North partly by plot bearing Survey No. 99, Hissa No. 1, belonging to Waman Ganpat Patil and partly by land bearing S. No. 99, H. No. 4, belonging to Govind Narayan Kini. On or towards South and West by Plot bearing S. No. 95, belonging to Narayan Oadaji Samant. On or towards the East by Land bearing S. No. 99, H. No. 3, belonging to Vishnu Damodar Thaker and partly by land belonging to L.I.C. known as Vallabhnagar and bearing S. No. 98. (1/6th share).

R. G. NERURKAR,
Competent Authority,Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 1-9-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Jumunabai Laxman Patil,
Eksar, Borivli (West), Bombay.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,

SMT. K. G. M. P. AYURVEDIC HOSPITAL BUILDING

NETAJI SUBHASH ROAD,

BOMBAY-400002

Bombay-400002, the 1st September 1976

Ref. No. AR/II/968/Jan/76.—Whereas, I,
R. G. NERURKAR,
the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range Bombay,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 99, Hissa No. 5 situated at Eksar, Borivli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sub Registrar's Office Bombay on 15-1-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (2) (1) Shri Ratilal M. Patel
(2) Shri Lalubhai B. Patel
(3) Shri Shri Dhirajlal B. Gala
(4) Shri Dabhyalal M. Mehta
(5) Shri Kaluchand H. Shah
(6) Shri Mulchand K. Ranka
(7) Shri Jethmal H. Ranka
(8) Shri Babulal P. Jain
(9) Shri Vasant D. Gala,
Ismail Baug, Anand Road, Malad (West),
Bombay-64.

(Transferee)

- (4) Purchasers.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate in and being at Eksar formerly within Borivli Taluka but not within Greater Bombay in the Registration Sub-District of Bandra District Bombay Suburban, bearing Survey No. 99, Hissa No. 5, admeasuring about 2 Acres and 1½ Gunth or 9891 sq. yds. or 8259 sq. metres and bounded, On towards North partly by plot bearing Survey No. 9, Hissa No. 1, belonging to Waman Ganpat Patil and partly by land bearing S. No. 99, H. No. 4, belonging to Govind Narayan Kini. On or towards South and West by Plot bearing S. No. 95, belonging to Narayan Dadaji Samant. On towards the East by Land bearing S. No. 99, H. No. 3, belonging to Vishnu Damodar Thaker and partly by land belonging to L.I.C. known as Vallabh Nagar and bearing S. No. 98. (1/6th share).

R. G. NERURKAR
Competent AuthorityInspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 1-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III

SMT. K. G. M. P. AYURVEDIC HOSPITAL BUILDING
NETAJI SUBHASH ROAD,
BOMBAY-400002

Bombay-400002, the 1st September 1976

Ref. No. AR/III/969/Jan/76.—Whereas, I. R. G. NERURKAR, the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range-III, Bombay, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 99, Hissa No. 5 situated at Eksar, Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Sub Registrar's Office Bombay on 15-1-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been fully stated in the said instrument of transfer with the object

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) in the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

1. (1) Waman Hari Mhatre,
(2) Shri Tulsibai Waman Mhatre,
Eksar, Borivli (West), Bombay.

(Transferor)

2. (1) Shri Rajilal M. Patel
(2) Shri Lalubhai B. Patel
(3) Shri Shri Dhirajlal B. Gala
(4) Shri Dahyalal M. Mehta
(5) Shri Kaluchand H. Shah
(6) Shri Mulchand K. Ranka
(7) Shri Jethmal H. Ranka
(8) Shri Babulal P. Jain
(9) Shri Vasant D. Gala,
Ismail Baug, Anand Road, Malad (West),
Bombay-64.

(Transferee)

- (4) Purchasers.

(person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying and being at Eksar formerly within Borivli Taluka but now within Greater Bombay in the Registration Sub-District of Bandara, District Bombay Suburban, bearing Survey No. 99, Hissa No. 5, admeasuring about 2 Acres and 14 Gunthas or 9891 sq. yds. or 8259 sq. metres and bounded. On or towards North partly by plot bearing Survey No. 99, Hissa No. 1, belonging to Waman Ganpat Patil and partly by land bearing S. No. 99, H. No. 4, belonging to Govind Narayan Kini. On or towards South and West by Plot bearing S. No. 95, belonging to Narayan Dadaji Samant. On or towards the East by Land bearing S. No. 99, H. No. 3, belonging to Vishnu Damodar Thaker and partly by land belonging to L.I.C. known as Vallabh Nagar and bearing S. No. 98. (1/6th share).

R. G. NERURKAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 1-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
SMT. K. G. M. P. AYURVEDIC HOSPITAL BUILDING
NETAJI SUBHASH ROAD,
BOMBAY-400002

Bombay-400002, the 7th September 1976

Ref. No. AR/III/985/Jan/76.—Whereas, I, R. G. NERURKAR, the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range III Bombay, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 8 (part), 111 (part), C.T.S. No. 488 (1 to 28) Tikka No. 62, situated at Eksar Pahady, Goregaon (East) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sub-Registrar's Office Bombay on 22-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Harilal Gordhandas Sonawalla,
Sonawalla Building,
67, Marine Drive, Bombay-20. (Transferor)
- (2) (1) Shri Ramchand K. Sagar, C/o. Sardar Bachan Singh, Sardar Bachansingh Chawl,
Block No. 12,
Sonawala Main Road, Goregaon (East),
Bombay-63.
(2) Shri Ramesh Amrutlal Mehta,
Vidya Building,
1st Floor,
Plot No. 1,
S. V. Road, Kandivli (West),
Bombay-67.
(3) Shri Jagdish Ramkrishan Mehta,
127, Jawahar Nagar,
Goregaon (West), Bombay-62.
(4) Shri Mahendrakumar Himatmal Parmar,
A-7, Navjivan Co-op. Hsg. Sec.,
5th Floor,
Block No. 18,
Lamington Road, Bombay-8. (Transferee)
- (3) Property is in possession of the Tenants.
(person in occupation of the property)
- (4) Transferees.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground at Sonawala Road in Sonawala Estate, Goregaon (East) in the village of Eksar Pahady also known as Pahady now in the Registration District and Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban containing by admeasurement 10549 sq. yds. (equal to 8820 sq. metres) or thereabouts together with the building or structure standing thereon and bearing Survey No. 8 (part) 111 (part) C.T.S. No. 488 (1 to 28) Tikka No. 62 Pahadi Goregaon and bounded as follows :—

That is to say On or towards the East by a public road, On or towards the West by property of Western Railway. On or towards the North by S. No. 111 (part) and on or towards the South by S. No. 111 (part).

R. G. NERURKAR,
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 7th September 1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IIISMT. K. G. M. P. AYURVEDIC HOSPITAL BUILDING
NETAJI SUBHASHI ROAD,
BOMBAY-400002

Bombay-400002, the 1st September 1976

Ref. No. AR/III/990/Jan/76.—Whereas, I. R. G. NERURKAR, the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range-III, Bombay, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 99 Hissa No. 5, situated at Eksar, Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Sub Registrar's Office, Bombay on 16-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

27—256GI/76

- (1) (1) Shri Bhaurao Hari Mhatre
(2) Smt. Malibai Bhaurao Mhatre
(3) Shri Hemant Bhaurao Mhatre
(4) Shri Pradip Bhaurao Mhatre
(5) Shri Arvind Bhaurao Mhatre,
Eksar, Borivli (West), Bombay.

(Transferor)

- (2) (1) Shri Ratilal M. Patel
(2) Shri Lallubhai B. Patel
(3) Shri Dhirajlal B. Gala
(4) Shri Dahyalal M. Mehta
(5) Shri Kaluchand H. Shah
(6) Shri Mulchand K. Runka
(7) Shri Jethmal K. Runka
(8) Shri Babulal P. Jain
(9) Shri Panachand V. Gala
(10) Shri Vasant D. Gala,

Ismail Baug, Anand Road, Malad (West),
Bombay-64.

(Transferee)

- (4) Purchasers

[Person(s) whom the undersigned knows to
be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying and being at Eksar formerly within Borivli Taluka but now within Greater Bombay in the Registration Sub-District of Bandra, District Bombay Suburban, bearing Survey No. 99, Hissa No. 5, admeasuring about 2 Acres and 1 3/4 Gunthas or 9891 sq. yards or 8259 sq. metres and bounded On or towards North partly by plot bearing Survey No. 99 Hissa No. 1, belonging to Waman Gunpat Patil and partly by land bearing S. No. 99, H. No. 4, belonging to Govind Narayan Kini. On or towards South and West by plot bearing S. No. 95, belonging to Narayan Dadaji Samant. On or towards the East by land bearing S. No. 99, H. No. 3, belonging to Vishnu Damodar Thaker and partly by land belonging to L.I.C. known as Vallabh Nagar and bearing S. No. 98. (1/6th share).

R. G. NERURKAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 1-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IIISMT. K. G. M. P. AYURVEDIC HOSPITAL BUILDING
NETAJI SUBHASH ROAD,
BOMBAY-400002

Bombay-400002, the 1st September 1976

Ref. No. AR/III/991/Jan.76.—Whereas, I, R. G. NERURKAR, the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range Bombay, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 99, Hissa No. 5, situated at Eksar, Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sub Registrar's Office, Bombay on 16-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) (1) Shri Hiraji Hari Mhatre
(2) Shri Jankibai Hiraji Mhatre
(3) Shri Hareish Hiraji Mhatre
(4) Shri Rekha Hiraji Mhatre
(5) Shri Pratibha Hira Mhatre
(6) Shri Nanda Hiraji Mhatre,
Eksar, Borivli (West), Bombay.
(Transferor)
- (2) (1) Shri Ratilal M. Patel
(2) Shri Lallubhai B. Patel
(3) Shri Dhirajlal B. Gala
(4) Shri Dabyalal M. Mehta
(5) Shri Kaluchand H. Shah
(6) Shri Mulchand K. Ranka
(7) Shri Jethmal K. Ranka
(8) Shri Babulal P. Jain
(9) Shri Panachand V. Gala
(10) Shri Vasant D. Gala,
Ismail Baug, Anand Road, Malad (West),
Bombay-64.
(Transferee)
- (4) Purchasers
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying and being at Eksar formerly within Borivli Taluka but now within Greater Bombay in the Registration Sub-District of Bandra, District Bombay Suburban, bearing Survey No. 99, Hissa No. 5, admeasuring about 2 Acres and 1 3/4 Gunthas or 9891 sq. yards or 8259 sq. metres and bounded On or towards North partly by plot bearing Survey No. 99, Hissa No. 1, belonging to Waman Gunpat Patil and partly by land bearing S. No. 99, H. No. 4, belonging to Govind Narayan Kini. On or towards South and West by plot bearing S. No. 95, belonging to Narayan Dadaji Samant. On or towards the East by land bearing S. No. 99, H. No. 3, belonging to Vishnu Damodar Thaker and partly by land belonging to L.I.C. known as Vallabhnagar and bearing S. No. 98. (1/6th share).

R. G. NERURKAR,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 1-9-1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
AYURVED HOSPITAL BUILDING
NETAJI SUBHASH ROAD,
BOMBAY-400002

Bombay-400 002, the 2nd September 1976

Ref. No. AR-1/1492-6/Jan/76.—Whereas, I, V. R. AMIN, the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range-I, Bombay,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 7261, C. S. No. 127 of Malabar and Cumballa Hill Division situated at Walkeshwar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay on 15-1-1975,

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Pravinchandra Dwarkadas.
(Transferor)
- (2) Pamir Co-operative Housing Society Ltd.
(Transferee)
- (3) (1) Shri Madhukant No. Shah.
(2) Shri Harjivandas B. Sagar and
Smt. Indiraben H. Sagar.
(3) Shri Babulal M. Jaju.

- (4) Shri Poptlal M. Shah and
Shri Vasantlal P. Shah.
- (5) Shri Balubhai Mohanal .
- (6) Shri Manjulaben Jayantilal and
Shri Jayatilal K. Vora.
- (7) Smt. Hiralaxmi J. Mody.
- (8) Shri Chandulal M. Gandhi.
- (9) Shri Jayendra Dhirajlal.
- (10) Smt. Padmavati Dhirajlal.
- (11) Shri Mahesh D. Jhaveri.
- (12) Smt. Mangalagauri Dwarkadas.
- (13) Shri Dilipkumar D. Dalal.
- (14) Shri Chandrakant G. Patel.

[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of freehold land with the message tenement or dwelling house standing thereon situate lying and being at Walkeshwar in the Island and Registration Sub-District of Bombay and containing by recent admeasurement four hundred and ten square yards i.e. equivalent to 342.80 square meters or thereabouts be the same a little more or less and registered by the Collector of Land Revenue under Old No. 39 and New Survey No. 7261 and bearing Cadastral Survey No. 127 of Malabar Hill Division and assessed by the Municipality under D Ward No. 3120 Street No. 258-60 Walkeshwar Road, and bounded on or towards the North-West by the property of Mathuram Ramnarain Private Ltd., on or towards the North-East by the property of Kubalia Raj and Mrs. Narbadabai Keshawji, on or towards the West by the Nawi Chawal, and on or towards the South by the property known as Ganga Niwas of the Trustees—Mrs. Mangalagauri Dwarkadas and others and on or towards the East by Walkeshwar Road.

V. R. AMIN,

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 2nd September 1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Vecna Investments Private Limited.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
AYURVEDIK COLLEGE BUILDING
NETAJI SUBHASH ROAD,
BOMBAY-400002

(2) Gaylani Constructions Co. Private Limited.

- (1) Dr. S. B. Shirviakar
- (2) Shri John Solomon
- (3) Shri Kasturilal A. Bhatia
- (4) Shri Arun D. Bhatia
- (5) Shri Jehangir D. Banji
- (6) Silver Jubilee Club
- (7) Shri Taber Tayeb Soni
- (8) Shri Jamil Ahmed
- (9) Shri Arshad Hussian
- (10) Smt. Anvari Alim and Shri Vali.

(Transferee)

As at serial No. 2.

(Person in occupation of the property)

Bombay-400 002, the 10th September 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

Ref. No. AR-I/1507-11/Jan/76.—Whereas, I, V. R. AMIN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. CS No. 940 A Ward No. 2360 Fort Division situated at Dr. D. N. Road, Bombay, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 28-1-1976 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All THAT Piece or parcel of land or ground or freehold tenure situate at Dr. Dedabhoj Nowroji Road, in the City of Bombay Together with the messuage, tenement or dwelling house standing thereon known as "Davar House" containing by admeasurement 156 square yards equivalent to 130.43 square metres or thereabouts and situated within the registration Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban and being Cadastral Survey No. 940 of Fort Division and Municipal A Ward No. 2360, Street Nos. 197-198.

V. R. AMIN,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Bombay.

Date : 10th September 1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 13th September 1976

Notice No. 141/76-77/ACQ.—Whereas, I, S. NARASIMHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

C.S. No. 1977 situated at Ganpat Galli, Belgaum (and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Belgaum under Document No. 3227 on 3-2-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid

property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the effect of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the said property by the issue of this notice under Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Keshav Hanumanth Jamkhandi, Clerk in D.S.P. Office, Belgaum.
- (2) Shri Anand Keshav Jamkhandi, Clerk in P & T Department, Belgaum.
- (3) Shri Srinivas Keshav Jamkhandi, Belgaum.
- (4) Shri Venkatesh Keshav Jamkhandi,
All are residing at Mahadev Galli, Belgaum.

(Transferor)

- (2) Shri Ramachandra Hanumanth Jadhav,
C/o M/s. Ramchandra Hanumanth Jadhav,
Book Sellers and Publishers, Ganpath Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of shop, godown and open space measuring 156 square yards, situated at Ganpat Galli, Belgaum under survey number 1977.

S. NARASIMHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 13-9-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 13th September 1976

Notice No. 140/76-77/ACQ.—Whereas, I, S. NARASIMHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Register 20781 (Panaji) situated at Goa Velha, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Panaji, under Document Number 15 on 6-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Philip Custodio Lobo and his wife Mrs. Maria Palmira Marcelina Lobo, Residents of Siolim, Bardex (Goa).

(Transferors)

(2) Shri Dashrath Yeshwant Sawant, Verem, Reis Magos, Bardez, Goa.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;


(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of coconut grove with residential house with servants' quarters and known as "Onlichem Bhat" and also known as "Fragoso Bhat" situated at Goa Velha, sub-district of ILHAS (Goa) and bounded by

- On the East : By a piece of land owned by Krishna Sinai and now by S. J. Kamat Sankwalkar;
- On the West : Paddy field owned by the community of Goa Velha;
- On the North : The Northern half of the remaining piece of land of 'Onlichembat';
- On the South : The public Road—Agasim-Panaji Road.

S. NARASIMHAN
Competent AuthorityInspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 13-9-1976

Seal :